

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2011 सत्र

गुरुवार, दिनांक 24 फरवरी, 2011

तारांकित प्रश्नोत्तर

नगर विकास योजना-4 (कमल विहार) रायपुर के लिए ले-आउट की स्वीकृति

1. (*क्र. 1023) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगर विकास योजना-4 (कमल विहार) रायपुर के लिए ले-आउट स्वीकृत किया गया है ? अगर हां, तो कब और किन प्रावधानों के तहत ? (ख) कंडिका "क" के ले-आउट स्वीकृति की तिथि में प्रस्तावित योजना क्षेत्र की भूमि का स्वामित्व किसके पास था ? क्या बिना स्वामित्व प्राप्त किए ले-आउट स्वीकृत का प्रावधान है ? यदि हां, तो प्रावधान बताएं ? (ग) क्या कंडिका "क" का ले-आउट, रायपुर शहर के मास्टर प्लान के अनुसार किया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) नगर विकास योजना-4 का छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50(3) के तहत प्रकाशन हेतु अभिन्यास का कतिपय शर्तों के साथ अनुमोदन दिनांक 02-07-2010 को किया गया है. (ख) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विकास किये जाने की स्थिति में छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 28 सहपठित धारा 27 के अंतर्गत विकास के आशय की जानकारी 30 दिन पूर्व संचालक को दिये जाने का प्रावधान है. अधिनियम की धारा 50(10) के अंतर्गत नगर विकास योजना के प्रवर्तन में आने के दिनांक से अधोसंरचना हेतु समस्त भूमि नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी में पूर्णतः निहित हो जाने संबंधी प्रावधान है. (ग) नगर विकास योजना क्रमांक-4 का अनुमोदित अभिन्यास रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2021 के प्रावधानों के अनुसार है.

अवैध जमाखोरों एवं अमानक खाद्य पदार्थों के खिलाफ फर्मों/गोदामों की जांच

2. (*क्र. 113) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाद्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 31-01-11 तक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी एवं रायगढ़ जिले में अमानक खाद्य पदार्थों की जांच तथा नियम विरुद्ध जमाखोरी के कारण किन-किन स्थानों एवं फर्मों/गोदामों में छापे मारे गये ? (ख) छापामारी में कहां-कहां किन-किन फर्मों के विरुद्ध खाद्य पदार्थ अवैध रूप से भंडारित करने के या अमानक पदार्थ पाये जाने के कारण क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नुलाल मोहले) : (क) अमानक खाद्य पदार्थों की जांच खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित नहीं है. खाद्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा 2009-10, 2010-11 में 31-01-11 तक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी एवं रायगढ़ जिले में अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन) आदेश 2009 के तहत विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं उनके गोदामों की जांच पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" अनुसार है. (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार जिलों में की गई जांच एवं फर्मवार की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" अनुसार है.

जिला धमतरी के बुनकर सहकारी समितियों को प्रदत्त अनुदान

3. (*क्र. 345) **श्री लेखराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में बुनकर सहकारी समितियों की संख्या कितनी है ? कितनी समिति क्रियाशील एवं कितनी अक्रियाशील हैं ? (ख) वर्ष 2008-09 से 2010-11 की स्थिति में बुनकर सहकारी समितियों को कितना अनुदान दिया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नुलाल मोहले) : (क) प्रश्नाधीन जिले में 01 बुनकर सहकारी समिति है, जो क्रियाशील है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में बुनकर सहकारी समिति को कुल राशि रुपये 7,52,674/- अनुदान दिया गया.

प्रदेश के बी.पी.एल. कार्डों का सत्यापन

4. (*क्र. 253) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में बी.पी.एल. कार्डधारियों के सत्यापन के लिए क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? (ख) 20 जनवरी, 2011 की स्थिति में शहरी क्षेत्रों में कितने बी.पी.एल. राशन कार्ड निरस्त किये गये तथा ग्रामीण क्षेत्र में कितने निरस्त किये गये ? जिलेवार बतायें. (ग) बी.पी.एल. परिवार निर्धारित करने के लिए क्या-क्या मापदण्ड है ? तथा न्यूनतम आय कितनी निर्धारित की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के कार्डधारियों के सत्यापन के लिए निर्धारित मानदंड † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. ग्रामीण क्षेत्र तथा 10 हजार से कम आबादी वाले नगरीय निकायों में अपात्र पाये गये राशनकार्डों को डेटाबेस से डिलीट करने की कार्यवाही प्रचलित है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” अनुसार है.

इन्डस्ट्रीयल ग्रोथसेन्टर बोर्ड का स्वीकृत अभिन्यास

5. (*क्र. 952) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर बोर्ड जिला दुर्ग के अभिन्यास ले-आऊट प्लान की स्वीकृति कितने क्षेत्र पर कब और किसको प्रदान की गई ? विकास अनुज्ञा किन शर्तों के अधीन थी ? अभिन्यास के लैन्ड यूस ब्रेकअप के अनुसार कितनी-कितनी भूमि किस-किस उपयोग हेतु निश्चित की गई थी ? (ख) उक्त अभिन्यास एवं विकास अनुज्ञा पत्र में कब-कब क्या संशोधन किन-किन कारणों से किए गए ? (ग) अद्यतन स्थिति में विकास अनुज्ञा पत्र एवं स्वीकृत अभिन्यास का उल्लंघन किन-किन कारणों से हुआ ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर द्वारा दिनांक 3-9-1991 को प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम को निम्न शर्तों के अधीन अभिन्यास की स्वीकृति दी गई :—

1. अभिन्यास में प्रस्तावित भूखण्ड का उपविभाजन किसी प्रकार न किया जावे.
2. भूखंडों के अनुसार उपांतीय खुली भूमि का पालन किया जाना आवश्यक है.
3. अभिन्यास की स्वीकृति 230.15 हेक्टर भूमि जो विभाग के आधिपत्य में है का ही अनुमोदन किया जाना है.

अभिन्यास के अनुसार विभिन्न उपयोग की जानकारी प्रपत्र “अ” पर †† संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र “ब” पर †† संलग्न है. (ग) स्वीकृत अभिन्यास में उल्लंघन का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है.

बागबाहरा नगर पंचायत क्षेत्र के विकास हेतु स्वीकृत प्रस्ताव एवं आवंटित राशि

6. (*क्र. 1015) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में 31 जनवरी, 2011 तक बागबाहरा नगर के विकास के कुल कितने प्रस्ताव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को प्राप्त हुए हैं ? (ख) प्रश्नांक “क” की अवधि में प्राप्त प्रस्तावों में से कुल कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गये ? (ग) प्रश्नांक “ख” के स्वीकृत कार्यों में कुल कितनी राशि आवंटित की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) नगर पंचायत बागबाहरा से वर्ष 2009-10 में 01 एवं 2010-11 में 31 जनवरी, 2011 तक 08 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. इस प्रकार कुल 09 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. (ख) प्रश्नांक “क” के अवधि में प्राप्त प्रस्ताव में से 04 प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है. इसके अतिरिक्त संचालनालय द्वारा वर्ष 2009-10 में 06 एवं 2010-11 में 01 कार्य की स्वीकृति दी गई है. इस प्रकार कुल 11 प्रकरणों में स्वीकृति दी गई है. (ग) प्रश्नांक “ख” के स्वीकृत कार्यों में कुल राशि 15.00 लाख आवंटित की गई साथ ही संचालनालय स्तर पर स्वीकृत किए गए 06 कार्यों के लिए वर्ष 2009-10 में रु. 63.50 लाख एवं 01 कार्य हेतु वर्ष 2010-11 में 7.50 लाख. इस तरह कुल रु. 86.00 लाख नगर पंचायत बागबाहरा को आवंटित किये गए.

आवासीय कॉलोनियों से संयंत्रों की दूरी का प्रावधान

7. (*क्र. 950) **श्री भजन सिंह निरंकारी** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आवासीय कालोनी से कितनी दूरी पर संयंत्र निर्माण की मंजूरी नियमानुसार दिये जाने का प्रावधान है ? (ख) क्या जे.पी. सीमेंट प्लांट भिलाई को पर्यावरण विभाग से नियमानुसार मंजूरी प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ? (ग) भिलाई नगर में वायु प्रदूषण की मात्रा कितनी है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) संयंत्र निर्माण की अनुमति हेतु आवासीय कालोनी से न्यूनतम दूरी संबंधी प्रावधान नियमों में नहीं है. (ख) जी हां. मे. भिलाई जे. पी. सीमेंट लिमिटेड, भिलाई को सीमेंट ग्राइंडिंग युनिट (पोर्टलैण्ड स्लेग सीमेंट)-2.2 मिलियन टन/वर्ष हेतु निम्नानुसार अनुमति प्राप्त है :-

1. भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 01-05-2008 के द्वारा.
2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार स्थापना सम्मति पत्र दिनांक 08-10-08 एवं संचालन सम्मति पत्र दिनांक 21-06-2010 के द्वारा.

(ग) प्रश्नाधीन क्षेत्र में परिवेशीय वायु में प्रदूषकों की औसत मात्रा निम्नानुसार है :-

अ- 5/32 बंगला, भिलाई —

1. सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मीटर-163.22 माइक्रो ग्राम/घनमीटर
2. रेस्पेरेबल डस्ट पार्टिकुलेट मीटर-80.53 माइक्रो ग्राम/घनमीटर
3. सल्फर डाइ आक्साइड-4.81 माइक्रो ग्राम/घनमीटर
4. नाईट्रोजन के आक्साइड-14.82 माइक्रो ग्राम/घनमीटर

ब- बोकारो हॉस्टल, सेक्टर-4, भिलाई

1. सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मीटर-182.13 माइक्रो ग्राम/घनमीटर
2. रेस्पेरेबल डस्ट पार्टिकुलेट मीटर-94.39 माइक्रो ग्राम/घनमीटर
3. सल्फर डाइ आक्साइड-10.16 माइक्रो ग्राम/घनमीटर
4. नाईट्रोजन के आक्साइड-21.73 माइक्रो ग्राम/घनमीटर

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरित चावल की गुणवत्ता

8. (*क्र. 663) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पूरे प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दिये जाने वाले चावल की खराब गुणवत्ता एवं कम मात्रा में दिये जाने की इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 15-01-2010 तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) बस्तर क्षेत्र से प्राप्त शिकायतों की जांच किस स्तर के अधिकारियों से कराई गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जी हां. वित्तीय वर्ष 2009-10 में दिनांक 15-01-2010 तक सरगुजा जिले की 01 शिकायत प्राप्त हुई. (ख) बस्तर क्षेत्र से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अतः जांच कराये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

रायपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत गैस गोदामों की सुरक्षा

9. (*क्र. 36) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर नगर निगम सीमा के भीतर कहां-कहां, किन-किन गैस कंपनियों के गोदाम हैं ? (ख) आबादी के बीच स्थित गोदामों में दुर्घटना घटित होने पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से क्या-क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) रायपुर नगर निगम सीमा के भीतर इंडियन ऑयल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम एवं भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमि. कं. के 10 घरेलू गैस गोदाम संचालित हैं, जिसकी जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) † संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित एल.पी.जी. गोदाम का निर्माण भारत सरकार के मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ऑयल कंपनियों के द्वारा किया गया है. मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक के द्वारा प्रतिवर्ष गोदामों की सुरक्षा व्यवस्था के निरीक्षण उपरांत की ऑयल कंपनियों की अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण किया जाता है. दुर्घटना से बचाव एवं दुर्घटना घटित होने पर अग्निशमन हेतु सभी आवश्यक उपाय ऑयल कंपनियों द्वारा किया गया है.

प्रदेश में हितग्राहियों को चांवल का वितरण

10. (*क्र. 981) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छ. ग. प्रदेश में कुल कितने-कितने हितग्राहियों को 1 रुपये किलो एवं 2 रुपये किलो में प्रतिमाह चांवल का प्रदाय किया जाता है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : वर्तमान में प्रदेश में 6.93 लाख हितग्राहियों को 01 रुपये किलो की दर से तथा 27.37 लाख हितग्राहियों को 02 रुपये किलो की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है.

जिला जांजगीर-चांपा नगरीय निकायों में गौरव पथ निर्माण

11. (*क्र. 196) **महन्त रासमुन्दर दास** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में कुल कितनी नगरपालिका एवं नगर पंचायतें हैं ? नाम सहित बतायें ? (ख) क्या जिले के समस्त नगरीय निकायों में गौरवपथ निर्माण हेतु राशि प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो कौन-कौन से नगरीय निकाय का गौरवपथ पूर्ण हुआ है ? (ग) क्या जैजपुर, राहौद एवं नवागढ़ नगर पंचायतों में भी गौरवपथ निर्माण की योजना है ? यदि हां, तो निर्माण कब तक कराया जायेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत 04 नगरपालिका परिषद एवं 11 नगर पंचायतें हैं. **नगरपालिका परिषद—**

1. नगरपालिका जांजगीर
2. नगरपालिका चांपा
3. नगरपालिका सक्ती
4. नगरपालिका अकलतरा

नगर पंचायत—

1. नगर पंचायत नया बाराद्वार
2. नगर पंचायत बलौदा
3. नगर पंचायत खरौद
4. नगर पंचायत शिवरीनारायण
5. नगर पंचायत अड़भार
6. नगर पंचायत जैजपुर
7. नगर पंचायत डभरा
8. नगर पंचायत चंद्रपुर
9. नगर पंचायत सारागांव
10. नगर पंचायत राहौद
11. नगर पंचायत नवागढ़

(ख) जी नहीं. केवल 04 नगर पालिकाओं चांपा, अकलतरा, जांजगीर तथा सक्ती एवं 05 नगर पंचायतें खरौद, अड़भार, नयाबाराद्वार, शिवरीनारायण एवं बलौदा को गौरव पथ निर्माण हेतु राशि प्रदान की गई है. नगर पालिका जांजगीर, चांपा, सक्ती, अकलतरा तथा नगर पंचायत खरौद, शिवरीनारायण, अड़भार तथा नयाबाराद्वार में गौरव पथ निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है. (ग) जैजपुर, राहौद एवं नवागढ़ में गौरव पथ निर्माण की योजना वर्तमान में स्वीकृत नहीं है.

राजनांदगांव जिले के अंतर्गत नगर पालिका, नगर पंचायतों को विकास हेतु आवंटित राशि

12. (*क्र. 935) **श्री भोलाराम साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले के सभी नगर पालिका, नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2009-2010, 2010-2011 में दिनांक 01-02-2011 की स्थिति तक नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा विकास हेतु कितने-कितनी राशि कब-कब प्रदान की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : राजनांदगांव जिले की सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में प्रदाय की गई राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है.

अंतर्राज्यीय बस सेवा हेतु अनुबंध

13. (*क्र. 844) **श्री अमरजीत भगत** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अन्तर्राज्यीय बस सेवा हेतु किस-किस राज्य के साथ अनुबंध किया गया ? (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से कब और क्या समझौता हुआ ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) अन्तर्राज्यीय बस सेवा हेतु छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग द्वारा क्रमशः महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, झारखण्ड एवं बिहार राज्य के मध्य अंतिम पारस्परिक यातायात समझौता सम्पन्न किया गया है, तथा आन्ध्रप्रदेश राज्य के साथ अंतिम यातायात समझौते पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं एवं छत्तीसगढ़ के “राजपत्र” में प्रकाशन किया जा चुका है, परन्तु आन्ध्रप्रदेश सरकार द्वारा अंतिम प्रकाशन अभी तक नहीं किया गया है. (ख) छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य प्रारम्भिक पारस्परिक यातायात समझौता वर्ष 2005 में सम्पन्न हुआ था, जिसका प्रकाशन “छत्तीसगढ़ राजपत्र” में दिनांक 26-05-2006 को किया जा चुका है. उत्तर प्रदेश शासन परिवहन विभाग की ओर से प्रारम्भिक प्रकाशन “राजपत्र” में अभी तक नहीं किया गया है. प्रारम्भिक प्रकाशन के साथ अंतिम पारस्परिक यातायात समझौता हेतु छत्तीसगढ़ शासन की ओर से उत्तर प्रदेश शासन को कई बार पत्राचार किया गया है, तथा निरन्तर प्रयास जारी है.

नगर निगम क्षेत्र अम्बिकापुर में मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनांतर्गत पात्र बी.पी.एल. कार्डधारी

14. (*क्र. 877) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर निगम क्षेत्र अम्बिकापुर में संचालित मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनांतर्गत नवंबर, 2010, दिसम्बर, 2010 एवं जनवरी, 2011 के अन्तर्गत कुल कितने बी.पी.एल. कार्डधारियों को चावल उपलब्ध कराने के लिए पात्र पाया गया ? (ख) पात्र व्यक्तियों में कुल कितने व्यक्तियों को प्रश्नांश “क” अवधि के अनुसार चावल का वितरण किया गया कितने को नहीं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्लाल मोहले) : (क) नगर निगम क्षेत्र अम्बिकापुर में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजनांतर्गत नवम्बर, 2010 में 11,380 हितग्राही, दिसम्बर, 2010 में 11,386 हितग्राही तथा जनवरी, 2011 में 11,105 हितग्राही पात्र पाये गये. (ख) प्रश्नांश “क” अवधि में नवम्बर, 2010 में 11364 हितग्राही, दिसंबर, 2010 में 11,341 हितग्राही तथा जनवरी, 2011 में 10,813 हितग्राहियों को चावल प्रदाय किया गया. नवम्बर 2010 में 16 हितग्राही, दिसंबर 2010 में 45 हितग्राही तथा जनवरी 2011 में 292 हितग्राहियों द्वारा चावल प्राप्त नहीं किया गया.

जिला जांजगीर-चांपा में लहरी पावर संयंत्र को ग्रीन बेल्ट विकसित करने की प्रदत्त अनुमति

15. (*क्र. 521) **श्री सौरभ सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में बलौदा विकासखंड में ग्राम मड़वा स्थित लहरी पावर संयंत्र को पर्यावरण स्वीकृति में कितने क्षेत्रफल में किस-किस प्रकार के वृक्षों का ग्रीन बेल्ट कब तक विकसित करने के लिये अनुमति दी गई है ? (ख) ग्रीन बेल्ट विकसित न करने की स्थिति में क्या कार्यवाही की जाती है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दी गई स्थापना सम्मति में उद्योग परिसर के चारों ओर कम से कम 25 से 30 मीटर चौड़ाई के एवं उपलब्ध खुली भूमि में स्थानीय प्रजाति के वृक्षों का सघन वृक्षारोपण करने की शर्त दी गई है. (ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रदत्त सम्मति में ग्रीन बेल्ट विकसित करने के संबंध में निर्दिष्ट शर्त का पालन नहीं करने पर, सम्मति शर्त के उल्लंघन के लिये उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार न्यायालयीन कार्यवाही करने का प्रावधान है.

पर्यावरण सुधार हेतु उद्योगों द्वारा वृक्षारोपण

16. (*क्र. 903) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में स्थापित उद्योगों में पर्यावरण सुधार हेतु सन् 2009 से दिनांक 31-01-11 तक कौन-कौन सी प्रजाति के वृक्षारोपण कब-कब किए गये हैं ? (ख) इनमें जीवित पौधों की संख्या कितनी है तथा इसका निरीक्षण किस स्तर के अधिकारी के द्वारा कब-कब किया जाता है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है. वृक्षारोपण का निरीक्षण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़ में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाता है. विवरण प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है.

जिला कोरिया में संचालित दाल भात केन्द्रों को आवंटित चावल

17. (*क्र. 176) **श्री फूलचंद सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरिया जिले में किन-किन स्थानों में कितने दाल भात केन्द्र संचालित हैं ? (ख) क्या दाल भात केन्द्रों को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 30-1-2011 तक कितना-कितना चावल आवंटित किया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) कोरिया जिले के विकासखण्ड बैकुण्ठपुर में 01, सोनहत में 01, मनेन्द्रगढ़ में 02, जनकपुर में 01, खड़गवां में 01 कुल 06 दाल-भात केन्द्र संचालित हैं. (ख) दाल-भात केन्द्रों को वित्तीय वर्ष 2009-10 में 295 क्विंटल एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 में 30-01-2011 तक 275 क्विंटल चावल आवंटित किया गया.

नई राजधानी में रेल्वे स्टेशन तथा पुलिस थाना/चौकियों का निर्माण

18. (*क्र. 1) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि नई राजधानी में मंत्रालय नवंबर, 2011 तक स्थानांतरित हो जायेगा ? (ख) क्या नई राजधानी में मंत्रालय के नये भवनों का निर्माण तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस थाना/चौकियों का निर्माण प्रस्तावित है ? (ग) क्या यह भी सही है कि नया रायपुर में मुख्य रेल्वे स्टेशन सहित तीन अन्य स्टेशनों का भी निर्माण किया जाना है ? क्या उक्त स्टेशनों हेतु स्थल चयन कर लिया गया है ? यदि हां, तो कहाँ ? निर्माण की अवधि एवं लागत भी बतावें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) नया रायपुर में मंत्रालय के निर्माण एवं अन्य समस्त कार्य नवम्बर-2011 के पूर्व संपन्न कराने का लक्ष्य रखा गया है. (ख) जी हां. (ग) जी हां. मुख्य रेल्वे स्टेशन सहित 3 पैसेंजर हॉल्ट का निर्माण होना है जो कि उद्योग नगर, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एवं मुक्तांगन के पास प्रस्तावित है. रेल्वे विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है, तत्पश्चात् स्थल चयन किया जावेगा. निर्माण की अवधि एवं लागत सर्वेक्षण तथा विस्तृत प्राक्कलन पश्चात् निर्धारित होगा.

रायपुर सीमा क्षेत्र में प्रदूषणकारी उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही

19. (*क्र. 1028) **श्री बर्नाड जोसेफ रोड्रिक्स** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर सीमा क्षेत्र में कितने उद्योग/कारखानों को प्रदूषणकारी उद्योग के लिए चिन्हांकित किया गया है ? उनके नाम, व स्थान सहित ब्यौरा दें ? वृहद/मध्यम श्रेणी पृथक-पृथक बतावें ? (ख) प्रश्नांश "क" के उद्योग/कारखानों में प्रदूषण रोकने के कौन-कौन से उपाय किए गए हैं ? इसकी जांच कब-कब किनके द्वारा की गई ? (ग) कंडिका "क" के किन-किन उद्योगों के विरुद्ध प्रदूषण पर्यावरण अधिनियम के तहत नियमों के पालन न करने के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है.

जगदलपुर शहर में अटल आवासों का निर्माण तथा आवंटन

20. (*क्र. 441) **श्री संतोष बाफना** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जगदलपुर शहर में 25 जनवरी, 2011 की स्थिति में कितने अटल आवास बनाये गये हैं ? प्रति अटल आवास की लागत कितनी है तथा आवंटन के क्या मापदंड हैं ? (ख) 25 जनवरी, 2011 की स्थिति में कितने हितग्राहियों को अटल आवास आवंटन कर दिये गये हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जगदलपुर शहर में दिनांक 25 जनवरी 2011 की स्थिति में 33 नग अटल आवास बनाये गये हैं. प्रति अटल आवास लागत रु. 1.57 लाख है. आवंटन के मापदंड अनुसार प्रति हितग्राही वार्षिक आय रु. 60,000.00 से कम होना चाहिये. शासन के निर्देशानुसार दीनदयाल आवास योजना में लागू आरक्षण नियमों का पालन इस योजना में भी किया गया है, जो निम्नानुसार है :—

1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	10 प्रतिशत,
2.	पिछड़ा वर्ग	06 प्रतिशत,

3.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	04 प्रतिशत,
4.	सुरक्षा कर्मचारी	02 प्रतिशत,
5.	विकलांग	01 प्रतिशत,

कुल	23 प्रतिशत
------------	-------------------

आवंटन की प्रक्रिया कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से की जाती है. (ख) दिनांक 25 जनवरी 2011 की स्थिति में 27 हितग्राहियों को अटल आवास आवंटित कर दिये गये हैं.

आरंग विधान सभा क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी तथा कस्टम मिलिंग हेतु नीति का निर्धारण

21. (*क्र. 497) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में दिनांक 31-01-2011 तक समर्थन मूल्य पर कितनी मात्रा में धान खरीदी गई ? खरीदा गया धान कस्टम मिलिंग हेतु किन-किन को प्रदाय किया गया ? (ख) कस्टम मिलिंग में अरवा और उसना चावल हेतु शासन ने क्या नीति निर्धारित की है तथा कितने प्रतिशत अरवा तथा कितने प्रतिशत उसना मिलिंग कराये जाने का निर्देश दिया गया है ? (ग) कस्टम मिलिंग के अंतर्गत कितना-कितना धान अरवा तथा कितना-कितना धान उसना मिलिंग कराया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में दिनांक 31-01-2011 तक समर्थन मूल्य पर 16,42,485.20 क्विंटल धान की खरीदी की गई. खरीदे गये धान की कस्टम मिलिंग हेतु † संलग्न परिशिष्ट अनुसार मिलर्स को प्रदाय किया गया. (ख) जिला प्रशासन द्वारा पी.डी.एस. हेतु अरवा एवं उसना चावल की आवश्यकता के आधार पर धान की मिलिंग कराई जा रही है. भारतीय खाद्य निगम द्वारा मार्कफेड से प्राप्त होने वाले चावल के लिए उसना एवं अरवा चावल का अनुपात 60:40 तय किया गया है. (ग) आरंग विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2010-11 में खरीदे गये धान में से मिलर्स द्वारा दिनांक 31-01-2011 की स्थिति में 5,31,708.20 क्विंटल धान की अरवा मिलिंग एवं 1,55,040.80 क्विंटल धान की उसना मिलिंग की गई है.

प्रदेश में विभिन्न उद्योगों स्थापना हेतु प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति

22. (*क्र. 745) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में उद्योग, प्लांट एवं खदान लगाये जाने हेतु वर्ष 2009-2010 व 2010-2011 में किस-किस कम्पनी को, कितने-कितने रकबे के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति कब-कब दी गई ? (ख) पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व उद्योग, प्लांट एवं खदान लगाये जाने हेतु किस-किस कम्पनी के विरोध में, किस-किस गांव के लोगों द्वारा, कब-कब आपत्ति लगाई गई ? आपत्ति का निराकरण कब-कब किया गया ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती है, तथापि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में उपलब्ध जानकारी अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है. (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित पर्यावरणीय स्वीकृति के जिन प्रकरणों में जनसुनवाई की प्रक्रिया के दौरान गांवों से आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है. जनसुनवाई में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाता है, अपितु जन सुनवाई में परियोजना के संबंध में प्राप्त प्रतिक्रियायें, विचार/चिंताये/टीका-टिप्पणी आदि को संकलित कर मूलतः भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण को प्रेषित किया जाता है, जिनके द्वारा इन पर सम्यक रूप से विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत अंतिम निर्णय लिया जाता है.

राजनांदगांव जिले अंतर्गत संचालित धान खरीदी केन्द्रों में अवैध धान की बिक्री पर कार्यवाही

23. (*क्र. 66) **श्री शिवराज सिंह उसारे** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा कौन-कौन से धान खरीदी केन्द्र (सोसायटी) संचालित किये जा रहे हैं ? (ख) उक्त धान खरीदी केन्द्रों में से 20-01-11 की स्थिति में कौन-कौन से केन्द्र में अवैध धान बिक्री के मामले किनके द्वारा पकड़े गये तथा पकड़े गये मामलों में आरोपी पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) राजनांदागांव जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा संचालित धान खरीदी केन्द्र का विवरण परिशिष्ट पर † संलग्न है। (ख) जिले के धान खरीदी केन्द्रों में 20-01-2011 की स्थिति में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग द्वारा अवैध धान बिक्री के 18 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। प्रकरण में कार्यवाही विचाराधीन है।

जिला रायगढ़ के छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के धान भंडारण केन्द्रों में धान की कमी पर कार्यवाही

24. (*क्र. 290) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के रायगढ़ जिले में कितने धान भंडारण केन्द्र हैं ? (ख) रायगढ़ जिले में भंडारण केन्द्र में धान भंडारण में कितने धान की कमी हुई ? (ग) रायगढ़ जिले के भंडारण केन्द्र में धान कमी के संबंध में किन-किन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) रायगढ़ जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2010-11 में 4 धान भंडारण केन्द्र संचालित हैं। (ख) खरीफ विपणन वर्ष 2010-11 में भण्डारण केन्द्रों में धान भंडारण की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलन में है। ऐसी स्थिति में धान की कमी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) खरीफ विपणन वर्ष 2010-11 में भण्डारण केन्द्र से वर्तमान में धान का निराकरण पूर्ण नहीं हुआ है अतः धान की कमी के संबंध में अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

लिंगियाडीह जिला बिलासपुर स्थित स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के गोदाम में चावल की मात्रा का जांच

25. (*क्र. 1007) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि लिंगियाडीह, जिला बिलासपुर स्थित स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के गोदाम में विभागीय अधिकारियों के द्वारा माह जनवरी, 2011 को मारे गये छापे में प्रति 50 कि.ग्रा. के चावल की बोरी में सिर्फ 30 कि.ग्रा. चावल ही प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस गोदाम में कुल कितना चावल रखना बताया गया है एवं जांच के पश्चात कितनी मात्रा में चावल प्राप्त हुआ है ? (ख) प्रश्न (क) में पूछे गये कम मिले चावल की जांच कब एवं किस अधिकारी से कराई गई है एवं किस-किस राईस मिलर एवं गोदाम से संबंधित किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी पर क्या-क्या कार्यवाही 1 फरवरी, 2011 तक की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) माह जनवरी, 2011 में छ. ग. राज्य भंडार गृह निगम मुख्यालय, रायपुर के संयुक्त जांच दल द्वारा लिंगियाडीह, बिलासपुर स्थित गोदाम क्र. 5 की जांच की गई। गोदाम क्र. 5 के भौतिक सत्यापन में गोदाम में चावल की मात्रा सही पाई गई। गोदाम में राईस मिलरों द्वारा कस्टम मिलिंग का चावल जमा कराने के लिए डम्प किया गया था, जिसका गुणवत्ता परीक्षण और वजन किये जाने की कार्यवाही नहीं हुई थी। उन बोरी का तौल कराने पर 40 बोरे में 50 किलो से कम एवं 11 बोरे में 50 किलो से अधिक वजन पाया गया। जांच दल द्वारा डम्प लाट के सभी बोरी के लूज (पाला) स्कंध का वजन कराया गया। चावल के 4320 बोरी में कुल 2160 क्विंटल 52 किलो 400 ग्राम वजन पाया गया। (ख) प्रश्नांश "क" के गोदाम की जांच दिनांक 17-01-11 से 21-01-11 तक श्री एम.एल. माकोड़े, वरिष्ठ सहायक प्रबंधक, राज्य भंडार गृह निगम, श्री एस. के. पाण्डेय, सहायक प्रबंधक, राज्य भंडार गृह निगम, श्री व्ही.एन. शुक्ला, खाद्य निरीक्षण, श्री संजय तिवारी, सहायक प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, बिलासपुर एवं श्री सी. एस. ठाकुर, गोदाम प्रभारी नागरिक आपूर्ति निगम, बिलासपुर द्वारा की गई। मे. पार्वती राईस मिल के लाट नं. 1368 के कई बोरी की सिलाई खुले पाये जाने, नायलोन धागे से सिंगल सिलाई पाये जाने के कारण राईस मिलर को वापस किया गया। कलेक्टर बिलासपुर द्वारा पार्वती राईस मिल के संचालक को नोटिस जारी किया गया है।

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

राजधानी रायपुर की होटलों पर मिठाइयों में मिलावट पर कार्यवाही

1. (क्र. 9) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या होटलों एवं मिठाई दुकानों का पंजीयन विभाग में किए जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो रायपुर में होटलों एवं मिठाई दुकानों की संख्या कितनी है ? क्या मिठाईयों की गुणवत्ता की जांच और होटलों की साफ-सफाई की विभाग द्वारा जांच की जाती है ? (ख) यदि हां, तो रायपुर में वर्ष 2009-10 में होटलों में मिलावटखोरी के कितने प्रकरण प्रकाश में आये तथा कितने होटल संचालकों पर कार्यवाही की गई ? कितने होटल संचालकों के लाइसेंस निरस्त किये गये हैं ? (ग) मिलावट रोकने के लिये शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. रायपुर में पंजीकृत होटलों एवं मिठाई दुकानों की कुल संख्या 880 है. जी नहीं. नगर निगम द्वारा केवल होटलों एवं मिठाई दुकानों की साफ-सफाई की जांच की जाती है. (ख) रायपुर में 01-04-2009 से 31-03-2010 तक की अवधि में नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा होटलों एवं मिठाई दुकानों से परीक्षण हेतु लिये गये 32 खाद्य नमूनों में से 24 खाद्य नमूने अपमिश्रित पाये गये. 08 नमूने मानक पाये गये. जिसमें से 23 खाद्य नमूनों के प्रकरण पंजीबद्ध कर सी.जे.एम. रायपुर के न्यायालय में दायर किये जा चुके हैं तथा 01 प्रकरण विवेचना में है. विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. कोई भी लायसेंस निरस्त नहीं किया गया है. (ग) मिलावट रोकने के लिए नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा सतत रूप से खाद्य नमूना संग्रहित कर जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोग शाला रायपुर भेजा जाता है. प्रयोग शाला के द्वारा खाद्य सामग्री के अपमिश्रित पाये जाने पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की जाती है.

गैस डीलरों द्वारा घरेलू गैस पर अधिक कीमत वसूली की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

2. (क्र. 10) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजधानी के गैस डीलर (एच.पी, इण्डेन, बीपी) द्वारा नए कनेक्शन के लिए अधिक कीमत वसूल चूल्हे, एप्रिन समेत अन्य सामान न लेने पर कनेक्शन नहीं करने की शिकायतें जिला प्रशासन को प्राप्त हुई है ? (ख) यदि हां, तो संबंधितों के खिलाफ शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जी हां. दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं. (ख) प्राप्त दोनों शिकायतों की जांच कराने पर शिकायत सही नहीं पाया गया.

रायपुर स्थित बाल आश्रम परिसर में बने काम्प्लेक्स का निर्माण संबंधी

3. (क्र. 37) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि कचहरी चौक, रायपुर स्थित बाल आश्रम परिसर में बने राजीव गांधी आवासीय काम्प्लेक्स अवैध तथा नियम विरुद्ध है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण के दोषी कौन है तथा निर्माण की अनुमति किसके द्वारा प्रदान की गयी है ? (ख) उक्त निर्माण अवैध घोषित होने के पश्चात् क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. बाल आश्रम सोसायटी रायपुर को अनुमति प्रदान नहीं की गयी है. (ख) नगर पालिक अधिनियम, 1956 की धारा 293 (I) (II), 302 व 307 (2) (अ) तथा धारा 307 (3) के तथा अवैध निर्माण हटा लेने के लिए नोटिस जारी किया गया है.

दन्तेवाड़ा जिले में धान की खरीदी एवं भुगतान

4. (क्र. 90) **श्री लखमा कवासी** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा जिले में खरीफ वर्ष 2010-2011 में सहकारी समितियों के माध्यम से कितनी धान खरीदी हुई ? (ख) कितने किसानों को भुगतान किया गया है ? (ग) कितने किसानों का भुगतान बाकी है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा जिले में खरीफ वर्ष 2010-2011 में सहकारी समितियों के माध्यम से दिनांक 05-02-2011 की स्थिति में 10,590.11 मेट्रिक टन धान की खरीदी हुई. (ख) कुल 6,425 किसानों को भुगतान किया गया है. (ग) धान बिक्री करने वाले किसी भी किसान का भुगतान शेष नहीं है.

रायगढ़ जिले में वायु एवं जल प्रदूषण की मात्रा

5. (क्र. 114) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 31-01-11 तक रायगढ़ जिले के किन-किन उद्योगों के निरीक्षण में पर्यावरण संरक्षण के मापदण्ड का पालन होना नहीं पाया गया ? ऐसे उद्योगों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ख) रायगढ़ जिले के तमनार एवं रायगढ़ विकासखण्ड में वायु एवं जल प्रदूषण की मात्रा की जांच 01 अप्रैल, 2009 से दिनांक 31-01-2011 के मध्य कब-कब, किस-किस अधिकारी के द्वारा की गयी ? जांच में वायु एवं जल में कौन-कौन से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्व कितनी-कितनी मात्रा में मौजूद है ? (ग) रायगढ़ शहर को वायु एवं जल प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“एक” पर है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“दो”, “तीन”, “चार” एवं “पांच” पर है. (ग) शहरी क्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिगत स्थानीय निकायों द्वारा सड़कों का पक्कीकरण, कचरों का वैज्ञानिक पद्धति से प्रबंधन/अपवहन, वृक्षारोपण आदि हेतु कार्यवाही की जाती है. साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योगों में शुन्य निस्सारण की स्थिति बनाये रखने, धूल कणों के नियंत्रण हेतु उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का सतत् संचालन सुनिश्चित करने, उत्सर्जन मानकों के भीतर रखने, सघन वृक्षारोपण करने, ठोस अपशिष्टों का सुरक्षित अपवहन करने, आंतरिक सड़कों को पक्का करने आदि हेतु निर्देश दिये जाकर कार्यवाही करवाई जा रही है.

प्रदेश में गरीबी रेखा के राशन कार्डों का सत्यापन

6. (क्र. 197) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं ? जिलेवार पृथक-पृथक बतायें ? (ख) क्या राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा कार्डों का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में परीक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कितने कार्डों को निरस्त किया गया है ? पृथक-पृथक बतायें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रदेश में वर्तमान में कुल 33.79 लाख गरीब परिवारों हेतु राशन कार्ड जारी किये गये हैं. जिलेवार जारी राशन कार्डों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जी हां. 10 हजार से अधिक आबादी वाले नगरों के राशन कार्ड सत्यापन के बाद डेटा बेस से डिलीट किये जा चुके हैं, जिसकी जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है. ग्रामीण क्षेत्रों एवं 10 हजार से कम आबादी वाले नगरों के राशन कार्डों के निरस्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है.

जिला जगदलपुर में पी.डी.एस. चावल की तस्करी के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

7. (क्र. 448) **श्री संतोष बाफना** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दिसम्बर, 2010 तक जगदलपुर जिले में पी.डी.एस. चावल तस्करी/हेराफेरी के कितने मामले पकड़े गये तथा तस्करी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दिसम्बर, 2010 तक जगदलपुर जिले में पी. डी. एस. चावल तस्करी/हेराफेरी के 10 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. विवरण †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

जिला महासमुंद में अवैध बिक्री हेतु जस धान

8. (क्र. 641) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सेवा सहकारी समिति जलकी पं.क्र. 1167 जिला महासमुंद में अवैध रूप से बिक्री हेतु लाई गई धान दिनांक 18-01-2011 को जस की गई है ? यदि हां, तो किससे कितनी मात्रा में ? (ख) धान जस करने के बाद क्या कार्यवाही की गई है ? क्या थाना में अपराध पंजीबद्ध कराया गया ? (ग) जस सुदा धान किसकी सुपुर्दगी में कहां पर रखी गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जी, हां. 482 बोरी, वजन 192.80 क्विंटल धान जस की गई है. (ख) धान जस करने के बाद दिनांक 18-01-2011 को श्रीराम कुमार साहू एवं श्री खिलावन साहू के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थाना प्रभारी तुमगांव को सूचित किया गया है. थाना प्रभारी, तुमगांव के द्वारा अपराध पंजीबद्ध करने की कार्यवाही की जा रही है. (ग) जस 192.80 क्विंटल धान समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति जलकी की सुपुर्दगी में दिया गया.

जिला महासमुंद में धान खरीदी का लक्ष्य तथा कृषकों को भुगतान

9. (क्र. 642) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में वर्ष 2010-11 में कितने मेट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है दिनांक 27-1-11 की स्थिति में विभिन्न समितियों द्वारा कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई है ? (ख) प्रश्नांकित अवधि तक कितनी राशि का भुगतान किसानों को किया गया है ? (ग) प्रश्नांकित अवधि तक जिले के किन-किन समितियों द्वारा कितनी धान कौन-कौन किसम की कितनी मात्रा में खरीदी की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) महासमुंद जिले में 2010-11 में 5.60 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है. दिनांक 27-01-11 की स्थिति में विभिन्न समितियों द्वारा 4,74,557 मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई. (ख) प्रश्नांकित अवधि तक 480 करोड़, 39 लाख, 92 हजार रुपये की राशि बैंक के माध्यम से किसानों को भुगतान की गई. (ग) प्रश्नांकित अवधि तक समितिवार, किस्मवार, खरीदे गए धान की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

बिल्डरों द्वारा बिना अनुमोदन के कराये गये निर्माण कार्य पर कार्यवाही

10. (क्र. 662) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर जिलों में नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग के अनुमोदन के बिना बिल्डर्स द्वारा विगत 4 वर्षों में कॉलोनी/फ्लैट्स निर्माण के कितने मामले प्रकाश में आये हैं ? (ख) इनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? (ग) इनमें से बाद में कितने बिल्डर्स को विभाग द्वारा अनुमति दे दी गयी ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) विगत 4 वर्षों में कालोनी/फ्लैट्स के रायपुर जिले में 178, दुर्ग जिले में 181 एवं बिलासपुर जिले में 238 मामले प्रकाश में आये. (ख) इनके विरुद्ध रायपुर जिले में 114 प्रकरणों में अवैध विकास को हटाया गया एवं 02 प्रकरणों में माननीय सत्र न्यायालय रायपुर में अभियोजन की कार्यवाही हेतु मामला दायर किया गया है. दुर्ग जिले में धारा 37 (1) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है तथा 2 प्रकरणों में माननीय सत्र न्यायालय दुर्ग में अभियोजन की कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया एवं 15 प्रकरणों पर अवैध विकास को हटाने की कार्यवाही की गई. बिलासपुर जिले में अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत अवैध विकास को हटाने बाबत नोटिस की गई है जिसमें 6 प्रकरणों के विरुद्ध न्यायालयीन प्रक्रियाधीन है एवं 3 प्रकरणों पर अवैध विकास को हटाने की कार्यवाही की गई. (ग) इनमें से रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर कार्यालय द्वारा एक-एक कालोनाईजर को नियमानुसार विकास अनुज्ञा दी गई.

जिला राजनांदगांव स्थित पाटेकोहरा बेरियर में धर्मकांटा लगाए जाने संबंधी

11. (क्र. 764) **श्री शिवराज सिंह उसारे** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजनांदगांव जिले के अंतर्गत पाटेकोहरा बेरियर में धर्मकांटा लगाने का शासन द्वारा प्रावधान किया गया है ? (ख) यदि हां, तो क्या शासन द्वारा पाटेकोहरा बेरियर में धर्मकांटा लगा दिया गया है ? (ग) यदि नहीं, तो पाटेकोहरा बेरियर में कब तक धर्मकांटा लगा दिया जावेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. (ख) जी नहीं. (ग) तौलकांटा लगाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित किये गये हैं. निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् तौलकांटा स्थापित किया जावेगा.

जिला रायगढ़ के नगरीय निकायों में गौरव पथ निर्माण की स्वीकृति

12. (क्र. 814) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिला के किन-किन नगरीय निकायों में गौरव पथ योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ? (ख) क्या खरसिया नगर निगम हेतु गौरव पथ निर्माण के लिये आवश्यक जमीन का भू-अधिग्रहण कर लिया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) रायगढ़ जिला अन्तर्गत नगर पालिक निगम रायगढ़ एवं नगर पालिका परिषद् खरसिया तथा नगर पंचायत धरमजयगढ़, घरघोड़ा एवं सारंगढ़ में गौरव पथ योजना स्वीकृत की गई है. (ख) नगरपालिका परिषद् खरसिया हेतु गौरव पथ निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होने के कारण नहीं किया गया है.

सहकारी समिति द्वारा धान की खरीदी तथा भुगतान

13. (क्र. 815) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 में सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल कितनी-कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई है ? जिलेवार खरीदी धान की मात्रा बतावें. (ख) सहकारी समिति के माध्यम से खरीदे गये धान में कितने का भुगतान किसानों को किया जा चुका है ? कितना भुगतान लम्बित है ? लम्बित भुगतान कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ? (ग) खरीदे गये धान में कितनी-कितनी मात्रा में बारिश के कारण भींगने से नुकसान हुआ है ? (घ) खरीदी गई धान की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा क्या उपाय किये गये थे ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) दिनांक 5 फरवरी, 2011 तक खरीदे गये धान की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी हां, सभी किसानों को चेक के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है, जिसकी जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ग) खरीदे गये धान की मिलिंग का कार्य पूर्ण होने के उपरांत नुकसान का वास्तविक आंकलन संभव होगा. (घ) धान के सुरक्षित संग्रहण हेतु डेनेज मटेरियल, केप कव्हर एवं पॉलिथीन कव्हर की व्यवस्था की गई है.

बैंक ब्रांच भटगांव, तिल्दा, कसडोल के अन्तर्गत धान खरीदी

14. (क्र. 953) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायपुर सहकारी बैंक भटगांव, तिल्दा एवं कसडोल के अन्तर्गत आने वाले धान खरीदी केन्द्रों में माह जनवरी 2011 में समितिवार, तिथिवार कुल कितना-कितना धान कहां-कहां के किनसे खरीदा गया ? (ख) उक्त खरीदे गए धान का निराकरण समितिवार, तिथिवार किनको कस्टम मिलिंग हेतु प्रदान कर लिया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रश्नांकित अवधि के दौरान जिला रायपुर सहकारी बैंक ब्रांच भटगांव, तिल्दा एवं कसडोल के अन्तर्गत आने वाले धान खरीदी केन्द्रों से संलग्न गांवों के किसानों से पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में उल्लेख अनुसार समितिवार, तिथिवार धान खरीदा गया है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” अनुसार है.

जिला जशपुर के नगरीय निकायों को गौरवपथ निर्माण हेतु प्रदत्त राशि

15. (क्र. 969) **श्री रामपुकार सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जशपुर में कुल कितनी नगर पालिका एवं नगर पंचायतें हैं ? नाम सहित पृथक-पृथक बतावें ? (ख) क्या शासन द्वारा उक्त समस्त नगरीय निकायों में गौरव पथ निर्माण हेतु राशि प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी, किन-किन को ? गौरव पथ निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है ? कितने पूर्ण हैं ? कितने में कार्य प्रारंभ ही नहीं किये हैं, निकायों के नाम सहित अलग-अलग बतावें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जिला जशपुर अंतर्गत निम्नानुसार 01 नगरपालिका परिषद् तथा 03 नगर पंचायतें हैं.

1. नगरपालिका जशपुर नगर
2. नगर पंचायत पत्थलगांव
3. नगर पंचायत कोतबा
4. नगर पंचायत बगीचा

(ख) जी नहीं. गौरव पथ निर्माण हेतु नगरपालिका परिषद् जशपुर को 172.26 लाख रु. एवं नगर पंचायत पत्थलगांव को 62.08 लाख रु. प्रदान की गई है. नगर पालिका परिषद् जशपुर में फुटपाथ निर्माण कार्य 5% शेष है, एवं नगर पंचायत पत्थलगांव में गौरव पथ निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है.

ग्राम तिफरा जिला बिलासपुर स्थित नवीन बस स्टैण्ड का लोकार्पण तथा निर्मित नवीन दुकानों का आवंटन

16. (क्र. 1008) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि बिलासपुर शहर के बस स्टैण्ड को अन्यत्र स्थानांतरित करने हेतु ग्राम तिफरा में एक हाईटेक बस स्टैण्ड का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो इस कार्य की स्वीकृति दिनांक, कार्य पूर्ण होने की तिथि, इस कार्य की लागत सहित यह बतायें कि इस निर्माण का विधिवत लोकार्पण कब और

किसके मुख्य आतिथ्य में किया गया है ? बस स्टैण्ड से बसों का संचालन कब से प्रारंभ हुआ ? (ख) प्रश्न (क) के निर्माण में कितनी दुकानों का निर्माण किया गया है ? क्या इन दुकानों का आवंटन कर दिया गया है ? यदि हां तो कब ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. विवरण निम्नानुसार है :—

- (1) स्वीकृति दिनांक 10-05-2006, (2) कार्य पूर्णता तिथि 02-08-2010, (3) कार्य की लागत रु. 800.00 लाख,
(4) लोकार्पण दिनांक 18-10-2010 को माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्य आतिथ्य में हुआ. बसों का संचालन प्रारंभ नहीं हुआ है.

(ख) 34 दुकानों का निर्माण किया गया है. आवंटन सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा किया जाना है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत धान की खरीदी एवं धान का उठाव

17. (क्र. 1016) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ विपणन वर्ष 2010 में दिनांक 31-01-2011 तक समर्थन मूल्य पर खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कितने मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई ? धान खरीदी केन्द्रानुसार जानकारी देवें ? (ख) 15 दिसम्बर, 2010 से 15 जनवरी 2011 तक प्रतिदिन कितनी खरीदी की गई ? केन्द्रानुसार जानकारी प्रदान करें ? (ग) प्रश्नांश “क” के अनुसार धान खरीदी केन्द्रों में कौन-कौन से दिन धान खरीदी नहीं की गई ? केन्द्रवार जानकारी प्रदान करें. (घ) प्रश्नांश “ख” के अनुसार धान खरीदी केन्द्रों में प्रति दिन कितना-कितना धान का उठाव हुआ ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2010 में दिनांक 31-01-2011 तक समर्थन मूल्य पर खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 1,20,090 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है. केन्द्रवार जानकारी प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है. (ग) जानकारी प्रपत्र “स” पर † संलग्न है. (घ) जानकारी प्रपत्र “द” पर † संलग्न है.

रायपुर राजधानी के प्रदूषण कारक औद्योगिक इकाईयों का चिन्हांकन

18. (क्र. 1024) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा तथा रायपुर राजधानी में वर्ष 2009-10 एवं चालू वर्ष में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के डाटा कब-कब संग्रहित किए गए ? नियमानुसार इन क्षेत्रों में कितने अंतराल में प्रदूषण के डाटा संग्रह करने का प्रावधान है ? (ख) क्या कंडिका “क” के क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण कारक औद्योगिक इकाईयों को चिन्हांकित किया गया है ? यदि हां, तो इनके नाम, स्थान सहित ब्यौरा दें ? (ग) कंडिका “क” के क्षेत्रों में कितने इकाईयों को विगत 2 वर्ष में पर्यावरण प्रदूषण मानकों को पालन न करने के लिए दण्डित किया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा एवं आस-पास के क्षेत्र तथा रायपुर राजधानी में 01-04-2009 से 31-03-2010 तक एवं 01-04-2010 से चालू वर्ष में 31-01-2011 तक की अवधि में परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन की तिथियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर तथा जल नमूना संग्रहण की तिथियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर हैं. मृदा नमूनों का विश्लेषण नहीं किया गया है. “राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता परिमाणन कार्यक्रम” के अंतर्गत स्थापित मॉनिटरिंग स्टेशनों में प्रत्येक स्टेशन पर सप्ताह में दो दिन परिवेशीय वायु गुणवत्ता की जांच की जाती है. राष्ट्रीय जलीय संसाधन प्रबोधन के अंतर्गत खारून नदी तथा भूमिगत जल के नमूने वर्ष में चार बार एकत्रित एवं विश्लेषित किये जाते हैं. इन क्षेत्रों में प्रदूषण के डाटा संग्रह करने के अंतराल के संबंध में नियमों में प्रावधान नहीं है. (ख) जी हां. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है. (ग) विगत दो वर्षों में विचाराधीन क्षेत्र की 15 औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन बंद करने का निर्देश जारी किया गया है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला दन्तेवाड़ा में धान की खरीदी तथा भुगतान

1. (क्र. 71) **श्री लखमा कवासी** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा जिले में वर्ष 2010-2011 में शासन द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से कितने धान की खरीदी की गयी ? (ख) समितियों द्वारा कितने कृषकों से धान की खरीदी की गयी ? (ग) कितने कृषकों का भुगतान किया गया एवं कितने कृषकों का भुगतान बाकी है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा जिले में वर्ष 2010-2011 में सहकारी समितियों के माध्यम से 1,48,628.26 क्विंटल धान की खरीदी की गयी. (ख) समितियों द्वारा 10,888 कृषकों से धान की खरीदी की गयी. (ग) सभी कृषकों को चेक के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है.

रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिले में थर्मल पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति

2. (क्र. 133) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिले में थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु किनको-किनको, कितनी-कितनी भूमि में, कहां-कहां, कितने-कितने मेगावाट का पॉवर प्लांट लगाने की पर्यावरणीय स्वीकृति 2008-2009, 2009-2010 एवं 2010-2011 में दिनांक 31-01-2011 तक किन-किन शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है ? (ख) किनके-किनके प्रकरण में, कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए, कितने भूमि में, कहां-कहां प्लांट लगाने हेतु प्रकरण विचाराधीन है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी प्रपत्र "अ" पर † संलग्न है. (ख) भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन संवर्ग "क" (केटेगरी "ए") के अंतर्गत आने वाले थर्मल पॉवर प्लांट बाबत जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में उपलब्ध नहीं है, तथापि संवर्ग "क" (केटेगरी "ए") के अंतर्गत आने वाले थर्मल पॉवर प्लांट के जिन प्रकरणों में लोकसुनवाई पूर्ण हो गयी है, उसकी जानकारी प्रपत्र "ब" पर † संलग्न है. इसी प्रकार भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन संवर्ग "ख" (केटेगरी "बी") के अंतर्गत आने वाले थर्मल पॉवर प्लांट बाबत जानकारी प्रपत्र "स" पर † संलग्न है.

जिला रायगढ़ में संचालित दाल भात केन्द्रों में रियायती चांवल प्रदाय

3. (क्र. 134) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में दाल भात केन्द्र कहां-कहां, कब-कब से संचालित हैं ? संचालनकर्ता के नाम एवं स्थान की जानकारी दें. (ख) केन्द्रवार एवं माहवार कितनी-कितनी मात्रा में रियायती चांवल वर्ष 2010-2011 में किस दर पर प्रदाय किया गया है तथा प्रति केन्द्र प्रतिदिन औसतन कितने हितग्राही भोजन करते हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) एवं (ख) जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है.

जिला जांजगीर-चांपा में संचालित उचित मूल्य के दुकानें

4. (क्र. 204) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में शासकीय उचित मूल्य की कुल कितनी दुकानें संचालित हैं, विकासखण्डवार बतायें ? (ख) जिले में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जहां वर्तमान में शासकीय उचित मूल्य की दुकानें व्यवस्था के तहत संचालित हैं ? ऐसे ग्रामों में नियमित दुकानें कब तक प्रारंभ की जावेगी ? (ग) जिले में ऐसी कितनी शासकीय दुकानें हैं जहां एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों को सामानों का वितरण किया जाता है ? प्रत्येक ग्राम पंचायतों की पृथक-पृथक शासकीय दुकान हो इसके लिए शासन की क्या योजना है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में शासकीय उचित मूल्य की कुल 619 दुकानें संचालित हैं। विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिले में 55 ग्राम पंचायतों हेतु उचित मूल्य की दुकान अन्य क्षेत्रों की उचित मूल्य की दुकानों से संलग्न हैं। 42 ग्राम पंचायतों की दुकानों के विरुद्ध निर्मित प्रकरण के निराकरण उपरांत नियमित दुकानें प्रारंभ की जावेगी। 13 ग्राम पंचायतों में दुकान आवंटन की कार्यवाही प्रचलित है। (ग) जिले की 16 उचित मूल्य दुकानों से 1 से अधिक ग्राम पंचायतों को सामग्री वितरण किया जाता है। राज्य शासन द्वारा प्रत्येक पंचायत के लिए एक उचित मूल्य दुकान संचालन का लक्ष्य रखकर कार्यवाही की जा रही है।

राजधानी रायपुर में स्थापित अवैध/वैध मोबाईल टावर

5. (क्र. 205) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर में कुल कितने वैध एवं अवैध मोबाईल टावर स्थापित हैं ? (ख) रायपुर में स्थापित अवैध मोबाईल टावरों को हटाने के लिये शासन की क्या योजनायें हैं ? (ग) रायपुर में नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत भविष्य में अवैध मोबाईल टावर स्थापित न हो पाये इसके लिये शासन की क्या कार्य योजनाएँ हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) रायपुर नगर निगम क्षेत्रांतर्गत कुल 188 मोबाइल टावर वैध एवं 125 मोबाइल टावर अवैध हैं। (ख) नगरीय निकायों की सीमा में अवैध मोबाइल टावर स्थापित न हो इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 5062/1405/18/2010 दि. 24-09-10 के तहत मोबाइल टावर लगाने हेतु छ. ग. नगर पालिक निगम (सेल्युलर मोबाइल फोन के लिए अस्थायी टावर या संरचना का निर्माण) नियम 2010 बनाये गये हैं (पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “क”)। अवैध मोबाइल टावरों को हटाने के लिये संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर के पत्र दिनांक 10-12-2010 के द्वारा समस्त नगरीय निकायों को अवैध टावरों को सील करने के निर्देश दिये हैं। (पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ख”)। (ग) उत्तर “ख” अनुसार।

भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों को विभिन्न कार्यों हेतु प्रदत्त राशि

6. (क्र. 226) **श्री चैतराम साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका परिषद् भाटापारा एवं नगर पंचायत सिमगा को वर्ष 2008-09 से दिनांक 25-01-2011 तक राज्य शासन द्वारा किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि कब-कब जारी की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका भाटापारा एवं नगर पंचायत सिमगा को वर्ष 2008-2009 से दिनांक 25-01-11 तक राज्य शासन द्वारा कार्यवार जारी की गई राशि की जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है।

महासमुंद जिले में उचित मूल्य की दुकान एवं गोदाम हेतु भवन निर्माण

7. (क्र. 280) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में उचित मूल्य की कितनी दुकानें संचालित हैं ? विकासखंडवार बतायें ? (ख) उक्त में से कितनी दुकानें भवनविहीन हैं ? विकासखंडवार नाम सहित बतायें ? (ग) उचित मूल्य की दुकानों एवं खाद बीज हेतु जिले में कितने गोदाम उपलब्ध हैं, तथा गोदाम विहीन समितियों की जानकारी नाम सहित बतायें ? (घ) उचित मूल्य की दुकान व गोदाम के भवनों का निर्माण कब तक कर लिया जावेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) महासमुंद जिले के विकासखण्ड महासमुंद में 103, बागबाहरा में 82, पिथौरा में 98, बसना में 73 एवं सराईपाली में 56 कुल 412 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। (ख) जिले के विकासखण्ड महासमुंद में 34, बागबाहरा में 34, पिथौरा में 34, बसना में 31 एवं सराईपाली में 24 कुल 157 उचित मूल्य की दुकानें शासकीय भवन विहीन हैं। (ग) जिले में उचित मूल्य दुकान हेतु 255 शासकीय भवन एवं खाद, बीज भंडारण हेतु 89 गोदाम उपलब्ध हैं। खाद बीज भंडारण हेतु गोदाम विहीन समितियां जिले में नहीं हैं। (घ) जिले में शासकीय भवन विहीन उचित मूल्य दुकान हेतु भवन निर्माण का प्रस्ताव जिला पंचायत महासमुंद को प्रेषित किया गया है। जिला पंचायत के द्वारा बी.आर.जी.एफ योजना के तहत दुकान सह-गोदाम स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान की कस्टम मिलिंग हेतु अनुबंध

8. (क्र. 317) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 के लिए सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान की कस्टम मिलिंग हेतु किन-किन राईस मिलों से अनुबंध किया गया है ? (ख) उक्त राईस मिलों में से किन-किन के विरुद्ध पूर्व में निर्धारित मात्रा से अधिक कनकी मिलाने की शिकायत प्राप्त हुई थी ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) खरीफ वर्ष 2010-11 के लिये सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग हेतु 73 राईस मिलरों द्वारा अनुबंध किया गया है. मिलवार जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के राईस मिलों में से पूर्व में किसी भी मिलर के द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक कनकी मिलाने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

रायगढ़ जिले में राशन कार्डों (बी.पी.एल.) का सत्यापन

9. (क्र. 318) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में कितने राशनकार्ड सत्यापित किये गये हैं ? कितने राशनकार्ड (बी.पी.एल.) निरस्त किये गये हैं ? (ख) नियम विरुद्ध जारी किये गये राशन कार्ड पर क्या कार्यवाही हुई एवं संबंधित अधिकारियों के ऊपर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) वर्ष 2010-2011 के दौरान राशन कार्ड नवीनीकरण के प्रथम चरण में रायगढ़ जिले के 10 हजार से अधिक आबादी वाले नगरों में 22,448 राशन कार्डों का सत्यापन किया गया, जिसमें 4,942 राशन कार्ड निरस्त किये गए. राशन कार्ड नवीनीकरण के द्वितीय चरण में ग्रामीण क्षेत्रों तथा 10 हजार से कम आबादी वाले नगरों में राशनकार्डों के नवीनीकरण के अंतर्गत अपात्र पाये गए राशनकार्डों के निरस्तीकरण का कार्य प्रचलित है. (ख) राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के हितग्राहियों की पात्रता के मानदण्ड निर्धारित किये जाने के उपरांत अपात्र हो चुके राशन कार्डों को निरस्त किया गया है. जिले में नियम विरुद्ध राशन कार्ड जारी नहीं किये गए थे, अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

जिला जांजगीर-चांपा में उद्योगों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

10. (क्र. 548) **श्री सौरभ सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जांजगीर-चांपा में कब-कब, किस-किस उद्योग के खिलाफ पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने की शिकायत किस-किस व्यक्ति द्वारा वर्ष 2009 और 2010 में की गई है ? शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है.

धान खरीदी के लिए बारदानें खरीदी तथा उसके गुणवत्ता की जांच

11. (क्र. 634) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चालू वर्ष के धान खरीदी के लिए कितने-कितने बारदानों की कहां-कहां से किस-किस दर पर खरीदी की गई ? संबंधित कंपनी के द्वारा कब-कब सप्लाई की गई ? (ख) बारदानों में कितनी मात्रा में घटिया बारदाना जांच के दौरान पाया गया ? (ग) बारदानों की गुणवत्ता की जांच किन के द्वारा किया गया और कब नहीं तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) वर्तमान खरीफ वर्ष 2010-11 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदानों का क्रय डायरेक्टर जनरल, सप्लाई एण्ड डिस्पोजल, भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, कोलकाता से किया गया है. इस वर्ष 2,44,052 गठान (प्रति गठान-500 नग) बारदानें क्रय किये जाने हेतु 20,000 रुपये प्रति गठान की दर से अग्रिम राशि डायरेक्टर जनरल, सप्लाई एण्ड डिस्पोजल, कोलकाता को भुगतान किया गया है. डायरेक्टर जनरल, सप्लाई एण्ड डिस्पोजल, कोलकाता द्वारा संबंधित जूट मिलों को बारदानें सप्लाई हेतु निर्देशित किया गया, जिनके द्वारा माह अगस्त 2010 से फरवरी, 2011 के दौरान विभिन्न जिलों के रेल रिक पाईन्ट पर बारदानें सप्लाई किए गये. (ख) कुल 1368 गठान बारदानें अमानक पाये गये. (ग) बारदानों की गुणवत्ता की जांच जिला स्तर पर गठित कमेटी तथा मार्कफेड द्वारा गठित कमेटी द्वारा अगस्त 2010 से फरवरी, 2011 के दौरान की गई.

प्रदेश में खरीफ फसल की धान की खरीदी

12. (क्र. 676) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में खरीफ फसल की धान खरीदी का कार्य कब से प्रारंभ किया गया है ? धान खरीदी का लक्ष्य कितना रखा गया है ? (ख) दिनांक 31-01-2011 तक कितने की धान खरीदी की जा चुकी है ? जिलेवार जानकारी दें। (ग) क्या अन्य प्रदेशों का धान प्रदेश में लाकर बेचे जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ? जिलेवार जानकारी दें।

खाद्य मंत्री (श्री पुन्लाल मोहले) : (क) वर्तमान खरीफ वर्ष 2010-11 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 1 नवंबर, 2010 से प्रारंभ किया गया। इस वर्ष 50 लाख टन धान खरीदी का अनुमान है। (ख) प्रश्नांकित अवधि तक 44,73,256.78 लाख टन धान की खरीदी की जा चुकी थी, जिसकी जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हां। प्राप्त शिकायत के आधार पर दंतेवाड़ा जिले में 40.5 टन धान, महासमुन्द जिले में 5.85 टन धान तथा 2 वाहन जप्त किया गया है। राजनांदगांव जिले में प्राप्त शिकायत की जांच के आधार पर 3.2 टन धान तथा वाहन की राशि में से 3000 रुपए राजसात किया गया एवं एक अन्य प्रकरण में 13.92 टन धान तथा 3 वाहन जप्त किया गया है।

जांजगीर-चांपा एवं रायपुर जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्य

13. (क्र. 716) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा एवं रायपुर के बिलाईगढ़, कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार विकासखंड अंतर्गत जनवरी 2008 से दिसम्बर 2010 तक किस-किस योजना के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? (ख) प्रश्नांश “क” में स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं ? कार्यों के अपूर्ण होने का क्या कारण है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जांजगीर-चांपा एवं रायपुर के बिलाईगढ़, कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार विकासखंड अंतर्गत जनवरी 2008 से दिसंबर 2010 तक योजनाओं के स्वीकृत किये गये कार्यों के विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों से आवंटित खाद्यान्न

14. (क्र. 717) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान आवंटन के क्या-क्या नियम हैं ? (ख) जांजगीर-चांपा एवं रायपुर जिला के बिलाईगढ़, कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार विकासखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कितनी दुकानें हैं ? (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कौन-कौन सी सामग्री, किस-किस मात्रा एवं दर में विभिन्न कार्डधारियों को प्रदान की जाती है ? ए.पी.एल. वालों को इन दुकानों से कौन-कौन सी सामग्री, किस-किस मात्रा एवं दर पर दी जाती है, बतावें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्लाल मोहले) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है :-

1. उचित मूल्य दुकानों का आवंटन प्राथमिक कृषि साख समितियों, वृहत्ताकार आदिमजाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, ग्राम पंचायत, महिला स्व सहायता समूह, अन्य सहकारी समिति तथा वन सुरक्षा समिति को किया जा सकता है।
2. जिला मुख्यालय पर कलेक्टर के अनुमोदन पर खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी द्वारा एवं जिला मुख्यालय को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में कलेक्टर के अनुमोदन पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा किया जाता है।
3. उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित किये जाने तथा संबंधित क्षेत्र के नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत को सूचना दिये जाने का प्रावधान है।

(ख) जांजगीर-चांपा जिले में 619 उचित मूल्य दुकानें हैं। रायपुर जिले के बिलाईगढ़ विकासखण्ड में 94 उचित मूल्य दुकानें, कसडोल में 75, पलारी में 64 तथा बलौदाबाजार में 61 उचित मूल्य दुकानें हैं। (ग) जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है।

जिला रायगढ़ एवं जशपुर में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत निर्मित दुकानों का आवंटन

15. (क्र. 789) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ एवं जशपुर जिले में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत कहां-कहां कितनी-कितनी दुकान बनायी गयी है ? (ख) रायगढ़ एवं जशपुर जिले में कितने हितग्राहियों को दुकानें आवंटित की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) रायगढ़ जिले के नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत निर्मित दुकानों का विवरण निकायवार निम्नानुसार है :—

1. नगर निगम रायगढ़	-	446 दुकानें
2. नगर पालिका खरसिया	-	75 दुकानें
3. नगर पंचायत सारंगढ़	-	18 दुकानें
4. नगर पंचायत धर्मजयगढ़	-	25 दुकानें
5. नगर पंचायत घरघोड़ा	-	11 दुकानें

जशपुर जिले के नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत निर्मित दुकानों का विवरण निकायवार निम्नानुसार है :—

1. नगर पालिका जशपुर	-	75 दुकानें
2. नगर पंचायत पत्थलगांव	-	21 दुकानें

(ख) रायगढ़ जिले में हितग्राहियों को आवंटित दुकानों का विवरण निम्नानुसार है :—

1. नगर निगम रायगढ़	-	336 दुकानें
2. नगर पालिका खरसिया	-	41 दुकानें
3. नगर पंचायत सारंगढ़	-	18 दुकानें
4. नगर पंचायत धर्मजयगढ़	-	25 दुकानें

जशपुर जिले में हितग्राहियों को आवंटित दुकानों का विवरण निम्नानुसार है :—

1. नगर पालिका जशपुर	-	75 दुकानें
2. नगर पंचायत पत्थलगांव	-	18 दुकानें

अटल आवास, दीनदयाल आवास एवं ई.डब्ल्यू.एस. योजनांतर्गत निर्मित आवासों का आवंटन

16. (क्र. 820) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर एवं रायगढ़ नगर में अटल आवास योजना एवं दीनदयाल आवास योजना एवं ई.डब्ल्यू.एस. अन्तर्गत कितने-कितने आवास निर्माण किये गये ? नगरवार निर्मित आवासों की संख्या बतावें. (ख) प्रश्नांक “क” के तहत इन नगरों से आवासों हेतु कितने-कितने हितग्राहियों द्वारा आवास हेतु आवेदन किये गये एवं कितनों को आवास आवंटित किया गया ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है.

जिला रायगढ़ में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकानों का आवंटन

17. (क्र. 821) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 31-01-11 तक रायगढ़ जिला के नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत किन-किन नगरों में कुल कितनी-कितनी दुकानें बनाई गई हैं ? नगरीय निकायवार जानकारी दें. (ख) क्या प्रश्नांक “क” में उल्लेखित अवधि में स्वीकृत दुकानों में कुछ दुकानों

का निर्माण कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो इनकी संख्या बतावें. (ग) प्रश्नांक “क” के तहत कितनी दुकानों की नीलामी व आवंटन की जा चुकी है ? कितनी आवंटित नहीं की गई है ? आवंटन लम्बित होने का क्या कारण है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में 31-01-11 तक रायगढ़ जिला के नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत निर्मित दुकानों का विवरण निकायवार निम्नानुसार है :—

1. नगर निगम रायगढ़	-	20 दुकानें
2. नगर पंचायत घरघोड़ा	-	11 दुकानें

(ख) प्रश्नांक “क” में उल्लेखित अवधि में स्वीकृत दुकानों में से किसी भी दुकान का निर्माण कार्य अपूर्ण नहीं है. (ग) प्रश्न “क” के तहत नगर पालिक निगम रायगढ़ में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत निर्मित 20 दुकानों में से 18 दुकानों का आवंटन किया गया है एवं 2 दुकानों का आवंटन प्राक्रियाधीन है. नगर पंचायत घरघोड़ा में निर्मित 11 दुकानों के आवंटन की कार्यवाही प्रचलित है.

जिला धमतरी में किसानों से धान की खरीदी का लक्ष्य

18. (क्र. 890) **श्री लेखराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला धमतरी में कितना-कितना धान किसानों से खरीदा गया है ? प्रत्येक खरीदी केन्द्र का पृथक-पृथक बतायें. (ख) जिला धमतरी में खरीफ फसल वर्ष 2010-2011 में धान खरीदी का लक्ष्य कितना था एवं खरीदी कितनी की गयी ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जिला धमतरी में समर्थन मूल्य पर दिनांक 10-02-11 की स्थिति में 3,72,129.70 मेट्रिक टन धान किसानों से खरीदा गया है. उपार्जन केन्द्र वार खरीदे गए धान की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) जिले में खरीफ वर्ष 2010-2011 में समर्थन मूल्य पर 3.80 लाख टन धान खरीदी का अनुमान था, जिसके विरुद्ध दिनांक 10-02-2011 तक 3.72 लाख टन धान की खरीदी की जा चुकी है.

कुरुद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खाद्य सामग्री के कालाबाजारी के दर्ज प्रकरण

19. (क्र. 891) **श्री लेखराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुरुद विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008-09 से दिनांक 31-02-2011 तक खाद्य सामग्री की कालाबाजारी के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं ? (ख) कितनी मात्रा में चावल, दाल, शक्कर एवं मिट्टी तेल जब्त किया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) कुरुद विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008-09 से 31-02-11 तक खाद्य सामग्री की कालाबाजारी के प्रकरण दर्ज नहीं किये गये हैं. (ख) प्रश्नांकित अवधि में कालाबाजारी के तहत चावल, दाल, शक्कर एवं मिट्टी तेल जब्त नहीं किया गया है. छत्तीसगढ़ चावल उपाप्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 2007 के प्रावधानों के उल्लंघन पाये जाने पर वर्ष 2008-09 में नाहर पैडी इण्डस्ट्रीज भखारा से 111.32 क्विंटल चावल जब्त किया गया है.

प्रदेश में प्रचलित राशन कार्ड तथा उसके निरस्तीकरण के मापदण्ड

20. (क्र. 920) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने प्रकार के राशन कार्ड प्रचलन में हैं ? राशन के प्रकार सहित पृथक-पृथक लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र में जारी राशन कार्डों की संख्या बतावें ? (ख) राशन कार्ड निरस्त किए जाने के मापदण्ड क्या हैं ? कार्ड निरस्त करने हेतु सक्षम अधिकारी कौन होता है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 08 प्रकार के राशन कार्ड प्रचलित हैं. लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र के राशन कार्ड की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशन कार्डों के नवीनीकरण कार्य के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा कार्डधारियों की अपात्रता के लिये निर्धारित मानदण्ड की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. गरीब परिवारों को जारी राशनकार्ड निरस्त करने हेतु सक्षम अधिकारी कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होते हैं. ए.पी.एल. परिवारों को राशन कार्ड जारी करने एवं निरस्त करने का कार्य ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा किया जाता है.

खुज्जी क्षेत्र अंतर्गत स्व सहायता समूहों को आवंटित उचित मूल्य की दुकानें

21. (क्र. 939) **श्री भोलाराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खुज्जी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कौन-कौन सी उचित मूल्य की दुकान कहां-कहां, किस-किस स्व सहायता समूह को कितनी अवधि के लिए किस-किस की अनुशंसा पर संचालन हेतु दी गई है ? कहां-कहां से कौन-कौन से समूहों को उचित मूल्य की दुकान संचालन करने का आवेदन लंबित है.

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में 42 शासकीय उचित मूल्य की दुकान, महिला स्व सहायता समूहों को छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत दुकान आवंटन हेतु पात्र पाये जाने के आधार पर कलेक्टर के अनुमोदन पर आवंटित की गई है. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2004 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत दुकान संचालन के हेतु पात्र बने रहने तक एजेंसी द्वारा दुकान का संचालन किया जा सकता है. स्थानवार आवंटित उचित मूल्य दुकानों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के डोंगरगांव अनुविभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत दामाबंजारी एवं रामपुर के महिला स्व सहायता समूह के आवेदन दुकान रिक्त नहीं होने के कारण लंबित है.

खुज्जी क्षेत्र अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को बी.पी.एल. कार्डों का आवंटन

22. (क्र. 940) **श्री भोलाराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत छुरिया एवं अं. चौकी विकासखण्ड अंतर्गत बी.पी.एल. सूची में दर्ज सभी पात्र हितग्राहियों के कम्प्यूटराईज्ड कार्ड बन गए हैं, एवं हितग्राहियों को कार्ड मिल गए हैं ? अगर नहीं तो कितने हितग्राहियों के शेष हैं और कब तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में छुरिया एवं अं. चौकी विकासखण्ड के सभी पात्र हितग्राहियों को कम्प्यूटराईज्ड कार्ड बनाकर वितरित किये गए हैं.

जिला जांजगीर-चांपा में धान खरीदी केन्द्र तथा क्रय धान की मात्रा

23. (क्र. 985) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इस वर्ष जांजगीर-चांपा जिला में कुल कितने कहां-कहां धान खरीदी केन्द्र बनाये गये हैं ? स्थानवार केन्द्र का नाम बतावें ? (ख) प्रत्येक केन्द्र में कितनी-कितनी राशि से कितने-कितने क्विंटल धान की खरीदी दिनांक 31-01-2011 तक की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) खरीफ वर्ष 2010-11 में जांजगीर-चांपा जिले में 156 धान खरीदी केन्द्र बनाये गए हैं. स्थानवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) दिनांक 31-01-11 तक केन्द्रवार धान खरीदी एवं राशि की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है.

प्रदेश में चूंगी क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त राजस्व

24. (क्र. 1011) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में छ. ग. प्रदेश के चूंगी क्षतिपूर्ति मद में कितने राजस्व की प्राप्ति शासन को प्राप्त हुई है ? वर्षवार आंकड़े दें ? (ख) प्राप्त राशि में से कितनी राशि नगरीय निकायों को सीधे नगरीय निकायों के खाते में भेजी गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) प्रदेश में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को चूंगी क्षतिपूर्ति मद में वर्ष 2009-10 में राशि रु. 37864.00 लाख एवं 2010-11 में राशि रु. 60500.00 लाख का बजट आवंटन प्राप्त हुआ. (ख) प्राप्त राशि में से शासन के द्वारा सीधे नगरीय निकायों के खाते में भेजी गयी राशि का वितरण परिशिष्ट पर † संलग्न है.

प्रदेश में बी.पी.एल./अन्त्योदय कार्ड धारकों की संख्या

25. (क्र. 1012) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. प्रदेश में बी.पी.एल. कार्डधारी एवं अन्त्योदय कार्डधारी (लालकार्ड) धारकों की संख्या 1 जनवरी, 2010 तक कितनी है जिलेवार संख्या बताएं ? (ख) क्या यह भी सत्य है कि वर्ष 2010 में प्रश्न (क) में पूछे गए कार्डधारियों के कार्ड की जांच एवं नवीनीकरण का कार्य किया गया है ? क्या कार्डधारियों के कार्ड निरस्त कर दिये गए हैं ? यदि हां, तो निरस्त किये कार्डों की संख्या 1 फरवरी, 2011 की स्थिति में जिलेवार संख्या सहित बताएं.

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जी हां. सत्यापन उपरांत अपात्र कार्डधारियों के राशनकार्ड निरस्त किये गये हैं. ग्रामीण क्षेत्रों एवं 10 हजार के कम आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में अपात्र पाये गये राशनकार्डों को निरस्त करने की कार्यवाही प्रचलित है. निरस्त किये गये राशन कार्डों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी द्वारा भूमि के क्रय विक्रय, निर्माण अनुमति, उपयोगिता परिवर्तन में रोक संबंधी

26. (क्र. 1019) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी के किस आदेश पर कौन-कौन से गांव में भूमि के क्रय विक्रय एवं निर्माण अनुमति, उपयोगिता परिवर्तन पर रोक लगाया गया है रोक कब तक के लिये है ? (ख) क्या नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी द्वारा अपनी उपयोगिता की भूमि के खसरा नम्बर को चिन्हित कर लिया गया है ? यदि हां, तो रायपुर तहसील के ग्राम सेरीखेड़ी प.ह.नं. 112 के कौन-कौन से खसरे इसमें शामिल हैं ? यदि चिन्हांकन नहीं किया गया है तो कब तक कर लिया जायेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) आदेश दिनांक 10-08-2005 एवं 25-08-2005 द्वारा तहसील आरंग के ग्राम कोटराभाठा, कयाबांधा, कुहेरा, खपरी, नवागांव, बरोदा, राखी, छतौना, रीको, चीचा, झांझ, नवागांव, सेंध, परसदा, पलौद, कोटनी, तांदुल एवं तहसील अभनपुर के ग्राम तूता, उपरवारा, खण्डवा, तेंदुआ, पौता, बंजारी, चेरिया, कुरू, पचेड़ा, मुड़पार उर्फ भेलवाडीह में जमीन की खरीद-बिक्री पर आगामी आदेश तक कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य की गई है. निर्माण अनुमति विकास योजना-2031 के अनुसार दिया जा सकता है. विकास योजना में भू-उपयोग को प्रस्तावित किया गया है, जिसमें परिवर्तन लोकहित में राज्य शासन द्वारा ही किया जा सकता है. (ख) नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर द्वारा उपयोगिता की भूमि नया रायपुर विकास योजना के अनुसार मानचित्र पर चिन्हित कर लिया है. ग्राम सेरीखेड़ी प.ह.नं.-112 नया रायपुर विकास योजना के लेयर-II में है. पृथक से चिन्हांकन की आवश्यकता नहीं है.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के उचित मूल्य की दुकानों को आवंटित खाद्यान्न

27. (क्र. 1020) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 31 जनवरी 2011 तक खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें हैं तथा इन दुकानों को कुल कितना राशन एवं केरोसिन आवंटित किया जाता है ? (ख) प्रश्नांक “क” की अवधि में आवंटित राशन एवं केरोसिन में से कुल कितना राशन एवं केरोसिन हितग्राहियों को वितरित किया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) वर्ष 2009-10 में खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में 111 उचित मूल्य की दुकानें तथा 2010-11 में 31 जनवरी तक 112 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं. इन उचित मूल्य दुकानों को वर्ष 2009-10 में 14417 टन चावल, 1609 टन गेहूं, 622 टन शक्कर, 945 टन अमृत नमक तथा 1916.45 किलो लीटर केरोसिन आवंटित किया गया. वर्ष 2010-11 में 31 जनवरी तक 10532 टन चावल, 3958 टन गेहूं, 508 टन शक्कर, 771 टन अमृत नमक तथा 1659.50 किलो लीटर केरोसिन आवंटित किया गया. (ख) प्रश्नांक “क” की अवधि में 2009-10 में 14,388 टन चावल, 1,582 टन गेहूं, 619 टन शक्कर, 940 टन अमृत नमक तथा 1916.45 किलो लीटर केरोसिन हितग्राहियों को वितरण किया गया. वर्ष 2010-11 में 10660 टन चावल, 2569 टन गेहूं, 505 टन शक्कर, 766 टन अमृत नमक तथा 1659.50 किलो लीटर केरोसिन हितग्राहियों को वितरण किया गया.

प्रदेश की परिवहन जांच चौकियों द्वारा जांच/अर्थदण्ड की वसूली

28. (क्र. 1025) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में परिवहन

जांच (बैरियर) कहां-कहां संचालित है ? (ख) वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं चालू वर्ष में निर्धारित क्षमता से अधिक क्षमता के परिवहन करने वालों, वाहनों से कितनी राशि जुर्माना के तौर पर वसूली की गई ? कितने वाहनों को निषेध किया गया ? (ग) कंडिका “क” के जांच चौकियों से क्या ऐसे परिवहनों/परिवहन कर्ताओं से दण्ड वसूल किए गए, जिसमें अनाधिकृत मादक पदार्थ/प्रतिबंधित बाऊद आदि परिवहन करते पकड़ा गया ? यदि हां तो ऐसे प्रकरणों की जानकारी विस्तार देवें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) प्रदेश में 15 परिवहन जांच चौकी एवं 02 उप जांच चौकी संचालित है. विवरण प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है. (ख) वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं चालू वर्ष (माह अप्रैल, 2010 से जनवरी, 2011 तक की अवधि) में निर्धारित क्षमता से अधिक क्षमता के परिवहन करने वाली वाहनों से वसूल की गई जुर्माना की वर्षवार जानकारी प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है. उक्त अवधि में निषेध किये गये वाहनों की संख्या “निरंक” है. (ग) जी नहीं.

रायपुर जिले की बुनकर सहकारी समिति को स्वीकृत अनुदान

29. (क्र. 1026) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के अंतर्गत कितने बुनकर सहकारी समितियां पंजीकृत हैं ? विकासखण्डवार बतावें ? (ख) किन-किन समितियों को, कितना-कितना अनुदान वर्ष 2008-09, 2009-10 में एवं चालू वर्ष में स्वीकृत किया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रश्नाधीन जिले में कुल 25 बुनकर सहकारी समितियां पंजीकृत हैं. जानकारी प्रपत्र “अ” में †† संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र “ब” में †† संलग्न है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “एक”

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 253) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

ग्रामीण क्षेत्रों तथा 10,000 से कम आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु मानदण्ड

1. शासकीय सेवा से संबंधित परिवारों के लिए रुपये 4212/- प्रति माह को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशन कार्ड हेतु गरीब परिवार की आय का कट ऑफ आधार माना जावे. यह आधार शासन द्वारा कुशल श्रमिक के लिए निर्धारित मानदेय के आधार पर रखा गया है. इससे अधिक मानदेय /वेतन प्राप्त करने वाले अस्थायी शासकीय कर्मचारियों को बी. पी. एल. राशनकार्ड के लिए अपात्र घोषित किया जावे. यह मानदंड उन सभी राशनकार्डधारी जो कि शासकीय कर्मचारी नहीं हैं, के लिए लागू नहीं होगा तथा इनकी पात्रता का निर्धारण नीचे दिये गये बिन्दु क्रमांक (2) से लेकर (6) में उल्लेखित मानदंडों के आधार पर किया जावे.
2. 10,000 की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाली नगर पंचायत क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में 2500 वर्गफीट से अधिक के क्षेत्रफल में निर्मित स्वयं के पक्के मकान के मानदण्ड को अपात्रता का आधार बनाया जाये.
3. 10,000 की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाली नगर पंचायत क्षेत्र में 2500 वर्गफीट से अधिक आवासीय भूमि को अपात्रता का आधार बनाया जावे. ग्रामीण क्षेत्रों (**अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर**) में 5 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल की कृषि भूमि को अपात्रता का आधार बनाया जावे. **अनुसूचित क्षेत्रों में कृषि भूमि के स्वामित्व का मानदण्ड अपात्रता का आधार नहीं होगा.**
4. निर्धारित सीमा से अधिक आवासीय भूमि अथवा पक्के मकान हितग्राही के स्वयं अथवा परिवार (पत्नि एवं बच्चों) के नाम पर होने पर उसे अपात्र माना जाये.
5. हितग्राही के स्वयं के खाते में बैंक/डाकघर में एक लाख रुपये से अधिक राशि जमा पाये जाने पर उसे अपात्र माना जावे.
6. मोटर चलित चार पहिया एवं तिपहिया वाहन, जैसे-ट्रेक्टर, ट्रक, बस, कार, ऑटो स्वयं अथवा परिवार के अन्य सदस्यों (पत्नि एवं बच्चों) के नाम पर होने पर हितग्राही को अपात्र माना जावे. हितग्राही के परिवार में एक से अधिक मोटर चलित दुपहिया वाहन जैसे-मोटर साईकिल, स्कूटर आदि होने पर हितग्राही को अपात्र माना जावे.
7. वर्तमान में कूलर, पंखे, मोबाईल, टी. वी., फ्रिज, आदि दैनिक आवश्यक वस्तुएं हो गई है. अतः हितग्राही के मकान में इन वस्तुओं की उपलब्धता मात्र से उन्हें अपात्र घोषित नहीं किया जावे.

10 हजार से अधिक आबादी के नगरीय निकायों के मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु मानदण्ड

1. शासकीय सेवा से संबंधित परिवारों के लिए रुपये 3367/- प्रति माह को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशन कार्ड हेतु गरीब परिवार की आय का कट ऑफ आधार माना जावे. इससे अधिक मानदेय/वेतन प्राप्त करने वाले अस्थायी शासकीय कर्मचारियों को बी. पी. एल. राशन कार्ड के लिए अपात्र घोषित किया जावे.
2. नगर निगम क्षेत्रों में 1000 वर्गफीट से अधिक, नगर पालिका क्षेत्र में 1250 वर्गफीट से अधिक और नगर पंचायत क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक के क्षेत्रफल में निर्मित स्वयं के पक्के मकान के मानदण्ड को अपात्रता का आधार बनाया जाये.
3. नगर निगम क्षेत्रों में 1500 वर्गफीट से अधिक, नगर-पालिका क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक और नगर पंचायत क्षेत्र में 2500 वर्गफीट से अधिक आवासीय भूमि स्वयं अथवा परिवार के अन्य सदस्यों (पत्नी एवं बच्चों) के नाम पर होने पर अपात्र माना जावे.

4. हितग्राही के स्वयं के खाते में बैंक/डाकघर में एक लाख रुपये से अधिक राशि जमा पाये जाने पर उसे अपात्र माना जावे.
5. मोटर चलित चार पहिया वाहन, जैसे-ट्रेक्टर, ट्रक, बस, कार स्वयं के नाम पर होने पर हितग्राही को अपात्र माना जावे. हितग्राही के परिवार में एक से अधिक मोटर चलित चारपहिया, तिपहिया एवं दुपहिया वाहन जैसे-मोटर साईकिल, स्कूटर आदि हितग्राही के नाम अथवा परिवार के अन्य सदस्यों (पत्नी एवं बच्चों) के नाम पर होने पर अपात्र माना जावे.
6. वर्तमान में कूलर, पंखे, मोबाईल, टी. वी., फ्रिज, आदि दैनिक आवश्यक वस्तुएं हो गई है. अतः हितग्राही के मकान में इन वस्तुओं की उपलब्धा मात्र से उन्हें अपात्र घोषित नहीं किया जावे.

प्रपत्र "ब"

जिलेवार निरस्त किये गये राशनकार्डों की जानाकरी

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	10 हजार से अधिक आबादी वाले नगरों के गरीबी रेखा के राशनकार्डों के सत्यापन उपरांत निरस्त किये गये राशनकार्डों की संख्या (3)
1.	कवर्धा	2788
2.	कांकेर	1218
3.	कोरबा	5341
4.	कोरिया	3929
5.	जशपुर	1917
6.	जांजगीर	1212
7.	दंतेवाड़ा	1913
8.	दुर्ग	31957
9.	धमतरी	1486
10.	नारायणपुर	1113
11.	बस्तर	7021
12.	बिलासपुर	14513
13.	बीजापुर	0
14.	महासमुन्द	4307
15.	राजनांदगांव	12677
16.	रायगढ़	1359
17.	रायपुर	46758
18.	सरगुजा	4873

प्रपत्र “स”

बी.पी. एल. परिवार निर्धारित करने के मानदंड**1. ग्रामीण क्षेत्र :-**

बी. पी. एल. योजना में पंजीयन हेतु पात्रता का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित 13 मानदण्डों आधार पर राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002 के ग्रामीण सर्वेक्षण में किया गया है, जिसके आधार निम्नानुसार है -

- | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1. कृषि योग्य भूमि का रकबा, | 2. मकान का प्रकार, | 3. वस्त्रों की उपलब्धता, | 4. खाद्यान्न सुरक्षा | 5. स्वच्छता, |
| 6. उपलब्ध घरेलू उपभोक्ता सामग्री, | 7. साक्षरता, | 8. श्रम शक्ति का स्तर | 9. आजीविका का साधन, | |
| 10. बच्चों की स्थिति, | 11. ऋणग्रस्तता का प्रकार, | 12. पलायन का कारण, | 13. परिवार द्वारा चाही गयी सहायता की प्राथमिकताएं | |
- शामिल है.

2. शहरी क्षेत्र :-

शहरी बी. पी. एल. योजना में पंजीयन हेतु पहचान एवं गणना का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर राज्य शासन द्वारा वर्ष 2007-08 की शहरी सर्वेक्षण में किया गया है, जिसके आधार निम्नानुसार है :-

- (क) जीवन दशा - 1. छत, 2. फर्श, 3. पानी, 4. स्वच्छता
- (ख) शिक्षा स्तर
- (ग) रोजगार प्रकार
- (घ) घर के बच्चे.

परिशिष्ट “दो ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 952) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र.	विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कुल क्षेत्रफल	450.81	-
2.	कुल भूखण्डीय क्षेत्र	230.15	-
3.	कुल आधिपत्य भूमि	230.15	-
4.	बायपास रोड	14.76	-
5.	पी. डब्ल्यू. डी. रोड	2.55	-
6.	जलाशय क्षेत्र	27.90	-
7.	कुल प्लानिंग क्षेत्र	184.93	100.00
8.	औद्योगिक भूखण्ड	109.55	59.23
9.	सेवा-सुविधाएं	19.14	8.19
10.	पार्किंग/ट्रांसपोर्ट	15.57	8.42
11.	आंतरिक रोड	18.60	10.06
12.	आवासीय क्षेत्र	1.32	0.71
13.	ग्रीन बेल्ट	7.86	4.25
14.	वर्तमान औद्योगिक शेड	2.33	1.28
15.	गांव का विकास	6.89	3.72
16.	डिप्रेसन लेण्ड	7.66	4.14

प्रपत्र "ब"

क्र. (1)	अभिन्यास संशोधन का दिनांक (2)	संशोधन का विवरण (3)	संशोधन का कारण (4)
1.	23-12-1991	अतिरिक्त क्षेत्र 60.26 हेक्टर शामिल किये जाने के कारण कुल क्षेत्र 290.41 हेक्टर.	अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किये जाने के कारण
2.	05-03-1992	अतिरिक्त क्षेत्र 138.08 हेक्टर शामिल किये जाने के कारण कुल क्षेत्र 424.49 हेक्टर.	अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किये जाने के कारण
3.	24-02-1996	अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किये जाने के कारण कुल क्षेत्र 450.81 हेक्टर.	अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किये जाने के कारण
4.	17-01-2005	ट्रांसपोर्ट प्रयोजन हेतु वैकल्पिक स्थान प्रस्तावित करने पर ट्रांसपोर्ट हेतु प्रस्तावित स्थल पर औद्योगिक विकास प्रस्तावित किया गया.	पार्किंग/ट्रांसपोर्ट प्रयोजन हेतु स्थल परिवर्तन के कारण.

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 36) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

रायपुर नगर निगम सीमा में संचालित गैस गोदामों की जानकारी

क्रमांक (1)	गैस एजेंसी का नाम (2)	पता (3)
इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमि.		
1.	प्रकाश गैस सर्विस	पुराने आर. टी. ओ. के पास रिंग रोड रायपुर
2.	आकाश गैस सर्विस	श्री नगर खमतराई रोड रायपुर
3.	किचन क्विन	गोल चौक रोहिणीपुरम रायपुर
4.	लालमणी इंडेन	गांधीनगर पंडरी मंदिर गेट के पास रायपुर
5.	रुकमणी गैस एजेंसी	मठपुरैना रिंग रोड रायपुर
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लिमि.		
1.	मे. गैस हाउस	छत्तीसगढ़ नगर हरिभूमि प्रेस के पीछे टिकरापारा रायपुर छ. ग.
2.	मे. कल्याण गैस एजेंसी	दलदलसिवनी रोड मोवा रायपुर
3.	मे. रायपुर गैस कंपनी	रिंग रोड क्र. 2 महेश कोल्ड स्टोरेज के पास भनपुरी रायपुर छ. ग.
भारत पेट्रोलियम कार्पो. लिमि.		
1.	श्री जय मुरारी गैस सर्विसेस	जी. के. कान्वेट के पास गुढियारी रायपुर
2.	लक्ष्मी गैस एजेंसी	लक्ष्मी नगर पचपेड़ीनाका रायपुर

परिशिष्ट “चार”

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 903) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

वर्ष 2009 से 31-01-2011 तक रायगढ़ जिले के मुख्य प्रदूषणकारी उद्योगों में किये गये वृक्षारोपण बाबत जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम	रोपित प्रजाति	जीवित पौधों की संख्या (लगभग)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मेसर्स एम. एस. पी. स्पंज आयरन लिमिटेड, ग्राम-मनुआपाली, रायगढ़.	अशोक, एलीस्टोनिया, आम, नीम, गुलमोहर, अकेसिया, मेन्जई, जामुन, केसिया सेमिया आदि.	2000
2.	मेसर्स एम. एस. पी. स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-जामगांव, रायगढ़.	अशोक, एलीस्टोनिया, अमलतास, पेल्टाफार्म, आम, नीम, अर्जुन, करंज, गुलमोहर, अकेसिया, मेन्जई, मेहोगिनी, केसुरीना, जामुन, नीलगिरी, केसिया, सेमिया सेसील पेनिया, थिवेटिया, फोक्सटेल आदि.	3440
3.	मेसर्स सिंघल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम तराईमाल, रायगढ़.	पेल्टाफार्म, गुलमोहर, सतवंत, चाकुन्डा आदि.	20000
4.	मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, रायगढ़.	पेल्टाफार्म, गुलमोहर, सतवंत आदि.	3200
5.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-पतरापाली, रायगढ़.	कैसिया, पेल्टाफार्म, लेमन ग्रास, टैक्टोना, अकेसिया आदि.	115300
6.	मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, रायगढ़.	एलेस्टोनिया, गुलमोहर, चकुन्डी, नीम, पीपल, आकाशिया, अशोक, अर्जुन, करंज, जकरन्ड, बनयान, लेगेस्टोमियम, बबूल, बहुनिया, बांस, पेल्टाफार्म, कदम, आम, गुआवा, पाम, जामुन, आंवली, चिकु, नींबू, आजू, आदि.	30700
7.	मेसर्स महावीर इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, भेंगारी, रायगढ़.	गुलमोहर, चकुन्डी, पेल्टाफार्म आदि.	2600
8.	मेसर्स रायगढ़ ऑयरन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम पूंजीपथरा रायगढ़.	अशोक, गुलमोहर, शीशम, आम आदि.	1300

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम सराईपाली, रायगढ़.	नीम, करंज, केसिया सेमिया, पेल्टाफार्म, गुलमोहर आदि.	2500
10.	मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम तराईमाल, रायगढ़.	अकेसिया, केसिया सेमिया, पेल्टाफार्म, नीम, रतनजोत, नीलगिरी, शीशम, आम, नींबू, खम्हार, गुलमोहर, अशोक आदि.	10800
11.	मेसर्स मॉ काली एलॉयज उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम पाली, रायगढ़.	सागौन, पीपल, बनियान, मेन्जियम, आम, आंवला, अशोक, बांस, रतनजोत, गुलमोहर, इमली, अमरूद, काजू, नींबू, केला, शीशम, सीताफल, जामुन, जंगल जलेबी आदि.	1200
12.	मेसर्स स्केनिया स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम पूंजीपथरा, रायगढ़.	नीम, जामुन, पेन्टाफार्म, अकेसिया, नीलगिरी, कदम, अशोक, सुबबूल, करंज आदि.	5200
13.	मेसर्स अंजनी स्टील लिमिटेड, ग्राम उज्जवलपुर, रायगढ़.	अशोक, गुलमोहर, सागौन, नीम, नीलगिरी, शिशम, आंवला, सफेदा, बांस आदि.	5600
14.	मेसर्स शिव शक्ति स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम चक्रधरपुर, रायगढ़.	सागौन, अशोक, गुलमोहर, आम, आंवला आदि.	4000
15.	मेसर्स मेको स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, सराईपाली रायगढ़.	गुलमोहर, अकेसिया, टेक, आम आदि.	3000
16.	मेसर्स आर. आर. एनर्जी लिमिटेड, गढ़उमरिया, रायगढ़.	गुलमोहर, करंज, सागौन, पेल्टाफार्म, केसिया, सेम आदि.	6800
17.	मेसर्स मॉ शाकम्बरी स्टील लिमिटेड, सम्बलपुरी, हमीरपुर रोड, रायगढ़.	अशोक, गुलमोहर, अमरूद, आम आदि.	5300
18.	मेसर्स मॉ मंगला इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, नटवरपुर, रायगढ़.	गुवा, जामुन, सागौन, विभिन्न प्रकार के हर्बल पौधे आदि.	6100
19.	मेसर्स रूकमणी पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड, कुनकुनी, रायगढ़.	गुलमोहर, नीलगिरी, बांस, नीम, पाम, बनियान, बॉटल पाम, अशोक, शीशम आदि.	1525

(1)	(2)	(3)	(4)
20.	मेसर्स इण्ड सिनर्जी लिमिटेड, ग्राम कोटमार, महापल्ली एवं सियारपाली, रायगढ़.	पेल्टाफार्म, गुलमोहर, नीम, करंज, कचनार, सीताफल, कटहल, बादाम, अर्जुन, सागौन, सिरस आदि.	8200
21.	मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड, ग्राम-नहरपाली, रायगढ़.	शीशम, करंज, पेल्टाफार्म, आकेसिया, अशोक, नीम, बादाम, गुलमोहर, चकुंडी, रतनजोत, अर्जुन, आदि.	38800
22.	मेसर्स अंबिका इस्पात (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, तराईमाल, रायगढ़.	नीम, अशोक, केसियम, मेन्जियम टिक आदि.	3500
23.	मेसर्स सेलेनो स्टील्स लिमिटेड, ग्राम- तराईमाल, रायगढ़.	आंवला, नीम, सागौन, अशोक आदि.	1800
24.	मेसर्स बी. एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- तराईमाल, रायगढ़.	पेल्टाफार्म, सागौन, शीशु, गुलमोहर, अशोक, आंवली, ब्लेकबेरी, ईमली, फार्मरिया आदि.	2800
25.	मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम तराईमाल, रायगढ़.	आंवला, नीलगिरी, केसिया सेमिया, नींबू, पीपल, लीची, जामुन, टीक, कटहल आदि.	4950
26.	मेसर्स एन. आर. इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम गौरमुड़ी, रायगढ़.	महानीम, महुआ, साल, आम, चार, बरगद, ढेलुआ, बीजा, पीपल, नीम, सेमर, धबरा, हर्षा, पाकेल आदि.	1900
27.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम डोंगामहुआ, रायगढ़ केप्टिव पावर प्लांट.	आकेसिया, औरिकुलीफार्मिंश, केशिया सेमिया, टेक्टोना ग्रांडिस, आजादी, इंडिका, पेल्टाफार्म, बांस, जामुन आदि.	4700
28.	मेसर्स सालासार स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, गेरवानी, रायगढ़.	नीम, करंज, अशोक, टीक, नींबू, अमरूद, जामुन, आंवला, करोंदा, आम आदि.	4450
29.	मेसर्स रामेश्वरम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, बड़ेगुमड़ा, रायगढ़.	सफलेनिया, करंज, गुलमोहर, नीम आदि.	1900
30.	मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड, चिरईपानी रायगढ़.	नीम, अशोक, टीक, नींबू आदि.	1750

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2009 से 31-01-2011 तक रायगढ़ जिले के मुख्य प्रदूषणकारी उद्योगों में किये गये वृक्षारोपण संबंधी निरीक्षण बाबत जानकारी

क्र. (1)	उद्योग का नाम (2)	निरीक्षणकर्ता अधिकारी (3)	निरीक्षण दिनांक (4)
1.	मेसर्स एम. एस. पी. स्पंज आयरन लिमिटेड, ग्राम मनुआपाली, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी वैज्ञानिक एवं उप अभियंता	04-05-2009 06-05-2010
2.	मेसर्स एम. एस. पी. स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम जामगांव, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी एवं वैज्ञानिक वैज्ञानिक एवं उप अभियंता वैज्ञानिक एवं उप अभियंता मुख्य रसायनज्ञ एवं उप अभियंता मुख्य रसायनज्ञ एवं उप अभियंता	29-06-2010 25-11-2009 15-12-2009 06-05-2010 12-10-2010 14-12-2010
3.	मेसर्स सिंघल इंटरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड, ग्राम तराईमाल, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ एवं उप अभियंता.	08-02-2009 23-05-2009 25-03-2010 06-01-2011
4.	मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी एवं वैज्ञानिक वैज्ञानिक	07-03-2009 10-12-2009 21-04-2010
5.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-पतरापाली, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी, वैज्ञानिक एवं उप अभियंता क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी मुख्य रसायनज्ञ एवं वैज्ञानिक	01-10-2009 27-03-2010 27-06-2010 15-09-2010
6.	मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ एवं उप अभियंता क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ एवं उप अभियंता	16-06-2009 12-08-2009 27-12-2010 06-01-2011
7.	महावीर इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, भेंगारी, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी वैज्ञानिक क्षेत्रीय अधिकारी, वैज्ञानिक एवं उप अभियंता	11-06-2009 19-01-2010 19-11-2010
8.	मेसर्स रायगढ़ ऑयरन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम पूंजीपथरा रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी एवं वैज्ञानिक वैज्ञानिक एवं उप अभियंता	02-01-2009 24-11-2009 10-06-2010

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम सराईपाली, रायगढ़.	वैज्ञानिक , प्रभारी रसायनज्ञ एवं सेम्पलर वैज्ञानिक मुख्य रसायनज्ञ एवं वैज्ञानिक वैज्ञानिक एवं उप अभियंता	14-10-2009 09-07-2010 10-11-2010 20-01-2011
10.	मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम तराईमाल, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी वैज्ञानिक क्षेत्रीय अधिकारी, वैज्ञानिक एवं उप अभियंता	09-01-2009 25-06-2010 04-12-2010
11.	मेसर्स मॉ काली एलॉयज उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम पाली, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रभारी रसायनज्ञ एवं सेम्पलर क्षेत्रीय अधिकारी, वैज्ञानिक	22-07-2009 01-04-2010
12.	मेसर्स स्केनिया स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-पूंजीपथरा, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी एवं वैज्ञानिक वैज्ञानिक एवं उप अभियंता क्षेत्रीय अधिकारी, वैज्ञानिक एवं उप अभियंता	07-06-2009 24-06-2010 09-07-2010 04-12-2010
13.	मेसर्स अंजनी स्टील्स लिमिटेड, ग्राम उज्जवलपुर, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रीय अधिकारी एवं वैज्ञानिक	07-06-2009 30-06-2009 25-03-2010 25-06-2010
14.	मेसर्स शिव शक्ति स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम चक्रधरपुर, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी, वैज्ञानिक एवं उप अभियंता वैज्ञानिक	24-09-2009 09-04-2010
15.	मेसर्स मेको स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, सराईपाली रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रीय अधिकारी, वैज्ञानिक एवं उप अभियंता वैज्ञानिक एवं उप अभियंता	07-03-2009 24-11-2009 01-10-2010 20-01-2011
16.	मेसर्स आर. आर. एनर्जी लिमिटेड, गढ़उमरिया, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी वैज्ञानिक क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ एवं उप अभियंता	20-01-2009 25-06-2010 20-12-2010
17.	मेसर्स मॉ शाकम्बरी स्टील लिमिटेड, सम्बलपुरी, हमीरपुर रोड, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी वैज्ञानिक एवं उप अभियंता मुख्य रसायनज्ञ एवं उप अभियंता	17-03-2009 03-07-2009 14-12-2010
18.	मेसर्स मॉ मंगला इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, नटवरपुर, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी, वैज्ञानिक एवं उप अभियंता क्षेत्रीय अधिकारी, वैज्ञानिक	18-03-2009 24-09-2009 29-10-2010
19.	मेसर्स रूकमणी पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड, कुनकुनी, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी वैज्ञानिक एवं उप अभियंता क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ एवं उप अभियंता	04-01-2009 एवं 15-02-2009 02-02-2010 09-12-2010

(1)	(2)	(3)	(4)
20.	मेसर्स इण्ड सिनर्जी लिमिटेड, ग्राम-कोटमार, महापल्ली एवं सियारपाली, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी एवं वैज्ञानिक	17-01-2009 18-03-2010
21.	मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड, ग्राम-नहरपाली, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रीय अधिकारी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ, वैज्ञानिक एवं उप अभियंता. क्षेत्रीय अधिकारी, वैज्ञानिक एवं उप अभियंता.	04-01-2009 15-02-2009 27-11-2009 01-04-2010 09 एवं 10-09-2010 09-12-2010
22.	मेसर्स अबिका इस्पात (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, तराईमाल, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रीय अधिकारी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रीय अधिकारी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रीय अधिकारी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ एवं उप अभियंता	07-03-2009 27-11-2009 26-12-2009 26-03-2010 24-06-2010 06-01-2011
23.	मेसर्स सेलेनो स्टील्स लिमिटेड, ग्राम- तराईमाल, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी मुख्य रसायनज्ञ एवं वैज्ञानिक	03-01-2009 06-05-2010
24.	मेसर्स बी. एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- तराईमाल, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी वैज्ञानिक	05-06-2009 21-04-2010
25.	मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम तराईमाल रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रीय अधिकारी एवं वैज्ञानिक वैज्ञानिक एवं उप अभियंता	24-11-2009 25-03-2010 20-01-2011
26.	मेसर्स एन. आर. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम गौरमुड़ी, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी मुख्य रसायनज्ञ एवं उप अभियंता मुख्य रसायनज्ञ एवं उप अभियंता	27-05-2009 23-02-2010 04-06-2010
27.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम डोंगामहुआ, रायगढ़ केप्टिव पॉवर प्लांट.	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी एवं वैज्ञानिक वैज्ञानिक एवं उप अभियंता मुख्य रसायनज्ञ एवं उप अभियंता	05-03-2010 11-06-2010 12-07-2010 11-11-2010
28.	मेसर्स सालासार स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, गेरवानी, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी वैज्ञानिक एवं उप अभियंता वैज्ञानिक एवं उप अभियंता	22-07-2009 14-05-2010
29.	मेसर्स रामेश्वरम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, बड़ेगुमड़ा, रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी एवं प्रभारी रसायनज्ञ वैज्ञानिक क्षेत्रीय अधिकारी एवं वैज्ञानिक	27-03-2009 10-09-2009 19-06-2010 19-12-2010

(1)	(2)	(3)	(4)
30.	मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, चिरईपानी रायगढ़.	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी, वैज्ञानिक एवं उप अभियंता	22-04-2009 11-12-2009

परिशिष्ट “पांच”

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 497) के भाग (क) की जानकारी]

क्रमांक (1)	उपार्जन केन्द्र का नाम (2)	धान उठाव हेतु संलग्न राईस मिल (3)
1.	अमोदी	अमित चावल उद्योग
2.	अमोदी	सी. जी. स्टेट कार्पो. मार्के. लिमि. कि. रा. मि. पलारी
3.	अमोदी	एच. एल. इन्डस्ट्रीज, खालबाड़ा रायपुर
4.	अमोदी	जे. जी. राईस मिल
5.	अमोदी	कान्हा ग्रेन प्रोसेस
6.	अमोदी	मूनका राईस मिल
7.	अमोदी	आर. टी. इन्डस्ट्रीज
8.	अमोदी	रतिराम ताराचंद
9.	अमोदी	श्री ओम राईसटेक प्राईवेट लिमिटेड
10.	अमोदी	तिरूपति बालाजी फुड्स प्रा. लि.
11.	आरंग	अनंत राईस इन्डस्ट्रीज
12.	आरंग	अनुज राईस मिल्स प्रा. लि.
13.	आरंग	गुरूनानक राईस मिल
14.	आरंग	जगदम्बा राईस इन्डस्ट्रीज
15.	आरंग	मां गायत्री राईस इन्डस्ट्रीज
16.	आरंग	शंकर राईस मिल
17.	आरंग	शंकर राईस मिल
18.	आरंग	श्री विश्वभारती पैडी प्रोसेसिंग युनिट
19.	आरंग	विश्व भारती राईस इन्डस्ट्रीज
20.	कोसरंगी	दंतेश्वरी इन्डस्ट्रीज, सिनोधा
21.	कोसरंगी	दिलीप इम्पैक्स प्रा. लि.
22.	कोसरंगी	गीता राईस इन्डस्ट्रीज
23.	कोसरंगी	गोयल एग्रो इन्डस्ट्रीज
24.	कोसरंगी	एच. एल. इन्डस्ट्रीज, खालबाड़ा रायपुर
25.	कोसरंगी	कचरूलाल जितेन्द्र कुमार परबाईलिंग प्लांट
26.	कोसरंगी	मे. छत्तीसगढ़ राईस इन्डस्ट्रीज
27.	कोसरंगी	मे. जनता राईस मिल
28.	कोसरंगी	नेशनल ट्रेनिंग कंपनी
29.	कोसरंगी	ओम राईस मिल
30.	कोसरंगी	रतिराम ताराचंद
31.	कोसरंगी	सत्यम बालाजी राईस इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
32.	कोसरंगी	शिवम राईस मिल
33.	कोसरंगी	श्री ओम राईसटेक प्रा. लि.
34.	कोसरंगी	श्री विश्वभारती पैडी प्रोसेसिंग युनिट

(1)	(2)	(3)
35.	देवरतिल्दा	सी. जी. स्टेट कार्पो. मार्के. लिमि. कि. रा. मि. पलारी
36.	देवरतिल्दा	मोहन राईस मिल, आमसिवनी रायपुर
37.	देवरतिल्दा	रतिराम ताराचंद
38.	देवरतिल्दा	शिवम राईस मिल
39.	देवरतिल्दा	श्री ओम राईसटेक प्राईवेट लिमिटेड
40.	गोढ़ी	दीपक राईस इन्डस्ट्रीज
41.	गोढ़ी	जय भोले राईस इन्डस्ट्रीज
42.	गोढ़ी	मे. मां मावली राईस इन्डस्ट्रीज
43.	गोढ़ी	मंजू एगो प्राईवेट लिमिटेड
44.	गोढ़ी	राधा स्वामी राईस मिल
45.	गोढ़ी	श्रीधर एगो प्रोडक्ट्स (प्रा.) लिमि.
46.	गोढ़ी	उज्जवल एसोसिएट्स
47.	खौली	महामाया राईस मिल
48.	खौली	श्री विश्वभारती फुड प्रोडक्ट्स
49.	खौली	विश्वभारती राईस इन्डस्ट्रीज
50.	गौरभाठ	शंकर राईस मिल
51.	गौरभाठ	श्री जगन्नाथ राईस मिल प्रा. लि.
52.	गौरभाठ	श्री जगन्नाथ राईस मिल प्रा. लि.
53.	गौरभाठ	विजय ट्रेनिंग कंपनी
54.	कुटेला	श्रीदेव इन्डस्ट्रीज
55.	कुटेला	विश्व भारती राईस इन्डस्ट्रीज
56.	कुटेला	मेसर्स मां अम्बे कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
57.	गुल्लू	ऐश्वर्या राईस इन्डस्ट्रीज
58.	गुल्लू	अमित चांवल उद्योग
59.	गुल्लू	अमित चांवल उद्योग
60.	गुल्लू	अनंत राईस इन्डस्ट्रीज
61.	गुल्लू	गीता राईस इन्डस्ट्रीज
62.	गुल्लू	गोयल एगो इन्डस्ट्रीज
63.	गुल्लू	गोयल एगो इन्डस्ट्रीज
64.	गुल्लू	जे. जी. राईस मिल
65.	गुल्लू	छत्तीसगढ़ राईस इन्डस्ट्रीज
66.	गुल्लू	मे. जनता राईस मिल
67.	गुल्लू	महावीर राईस मिल
68.	गुल्लू	पाम इन्टरप्राईजेस
69.	गुल्लू	श्री विश्वभारती फुड प्रोडक्ट्स
70.	गुल्लू	श्रीधर एगो प्रोडक्ट्स (प्रा.) लिमि.
71.	चपरीद	शारदा राईस इन्डस्ट्रीज
72.	चपरीद	शारदा ट्रेडर्स

(1)	(2)	(3)
73.	चपरीद	श्री विश्वभारती फुड प्रोडक्ट्स
74.	चपरीद	श्री विश्वभारती पैडी प्रोसेसिंग युनिट
75.	चपरीद	विश्व भारती राईस इन्डस्ट्रीज
76.	बाना	ऐश्वार्या राईस इन्डस्ट्रीज
77.	बाना	अमित चांवल उद्योग
78.	बाना	अमित चांवल उद्योग
79.	बाना	गीता राईस इन्डस्ट्रीज
80.	बाना	गोयल एग्रो इन्डस्ट्रीज
81.	बाना	गोयल एग्रो इन्डस्ट्रीज
82.	बाना	हनुमान राईस इन्डस्ट्रीज
83.	बाना	जगदम्बा राईस इन्डस्ट्रीज
84.	बाना	मे. इण्डियन राईस इन्डस्ट्रीज
85.	बाना	मे. सचदेव फुड प्रोडक्ट्स
86.	बाना	मे. सचदेव फुड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
87.	बाना	महावीर राईस मिल
88.	बाना	पाम इन्टरप्राईजेस
89.	बाना	आर. के. इन्डस्ट्रीज
90.	बाना	आर. टी. इन्डस्ट्रीज
91.	बाना	शंकर राईस मिल
92.	बाना	श्री विश्व भारती फुड प्रोडक्ट्स
93.	बाना	श्री विश्व भारती पैडी प्रोसेसिंग युनिट
94.	बाना	विश्व भारती राईस इन्डस्ट्रीज
95.	चंदखुरी	मे. केशरी राईस इन्डस्ट्रीज
96.	चंदखुरी	आर. टी. इन्डस्ट्रीज
97.	चंदखुरी	राकेश राईस मिल
98.	चंदखुरी	श्री विश्व भारती फुड प्रोडक्ट्स
99.	नरदहा	मे. शांति परबाईलिंग इन्डस्ट्रीज
100.	नारा	मंजू एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
101.	नारा	मंजू एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
102.	नारा	आर. टी. इन्डस्ट्रीज
103.	पचेड़ा	मे. शांति परबाईलिंग इन्डस्ट्रीज
104.	पचेड़ा	निर्मल ट्रेडर्स
105.	पचेड़ा	राजेश ट्रेनिंग कंपनी, नेवरा
106.	पचेड़ा	श्री जगन्नाथ राईस मिल प्रा. लि.
107.	पचेड़ा	व्ही. के. राईसटेक प्रा. लि.
108.	गनौद	मे. केशरी राईस इन्डस्ट्रीज
109.	गनौद	महावीर राईस मिल
110.	पलौद	महावीर राईस मिल

(1)	(2)	(3)
111.	पलौद	सत्य बालाजी राईस इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
112.	बरौदा	हर्षा राईस मिल प्राईवेट लिमिटेड
113.	बरौदा	श्रीधर एग्रो प्रोडक्ट्स (प्रा.) लिमि.
114.	भंडार	अग्रोहा इन्डस्ट्रीज, नेवरा
115.	भंडार	गीता राईस इन्डस्ट्रीज
116.	भंडार	नेशनल ट्रेनिंग कंपनी
117.	भंडार	निर्मल ट्रेडर्स
118.	भंडार	पारस एग्रो इन्डस्ट्रीज
119.	भंडार	आर. टी. इन्डस्ट्रीज
120.	भंडार	राजपाल राईस मिल
121.	भंडार	श्रीदेव इन्डस्ट्रीज
122.	भंडार	श्री साईबाबा राईस मिल प्रा. लि.
123.	भंडार	श्री श्याम राईस उद्योग
124.	भंडार	श्री विश्व भारती फुड प्रोडक्ट्स
125.	भंडार	श्री विश्व भारती पैडी प्रोसेसिंग युनिट
126.	भंडार	तिरूपति राईस इन्डस्ट्रीज, केशला खरोरा
127.	भंडार	व्ही. के. राईसटेक प्रा. लि.
128.	भैंसा	दिलीप इम्पैक्स प्रा. लि.
129.	भैंसा	दिलीप इम्पैक्स प्रा. लि.
130.	भैंसा	गीता राईस इन्डस्ट्रीज
131.	भैंसा	एच. एल. इन्डस्ट्रीज, खालबाड़ा रायपुर
132.	भैंसा	मे. छत्तीसगढ़ राईस इन्डस्ट्रीज
133.	भैंसा	मोहन राईस मिल, आमासिवनी रायपुर
134.	भैंसा	रतिराम ताराचंद
135.	भैंसा	रूद्रा पैडी फुड्स
136.	भैंसा	एस. एन. इन्डस्ट्रीज
137.	भैंसा	श्री राम एग्रो
138.	भैंसा	सोहनलाल मुंशीलाल
139.	भैंसा	सोहनलाल मुंशीलाल
140.	भैंसा	विश्व भारती राईस इन्डस्ट्रीज
141.	फरफौद	गीता राईस इन्डस्ट्रीज
142.	फरफौद	लक्ष्मी चांवल उद्योग
143.	फरफौद	महामाया राईस मिल
144.	फरफौद	श्रीदेव इन्डस्ट्रीज
145.	फरफौद	श्री विश्व भारती पैडी प्रोसेसिंग युनिट
146.	फरफौद	तिरूपति राईस इन्डस्ट्रीज, केशला खरोरा
147.	फरफौद	मे. मां अम्बे कमर्शिल प्राईवेट लिमिटेड
148.	भानसोज	मे. सचदेव फुड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.

(1)	(2)	(3)
149.	भानसोज	मां गायत्री राईस इन्डस्ट्रीज
150.	भानसोज	महामाया राईस मिल
151.	भानसोज	श्री विश्व भारती पैडी प्रोसेसिंग युनिट
152.	भानसोज	मे. मां अम्बे कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
153.	गोविदा	महावीर राईस मिल
154.	गोविदा	मंजू एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
155.	गोविदा	मंजू एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
156.	गोविदा	शंकर राईस मिल
157.	भिलाई	अनंत राईस इन्डस्ट्रीज
158.	भिलाई	लक्ष्मी चांवल उद्योग
159.	भिलाई	शंकर राईस मिल
160.	मोखला	अनंत राईस इन्डस्ट्रीज
161.	मोखला	शंकर राईस मिल
162.	मोखला	श्री किशन इन्डस्ट्रीज
163.	मोखला	सोहनलाल मुंशीलाल
164.	मोखला	सोहनलाल मुंशीलाल
165.	लखौली	अनंत राईस इन्डस्ट्रीज
166.	लखौली	गुरूनानक राईस मिल
167.	लखौली	मे. सचदेव फुड प्रोडक्ट्स
168.	लखौली	मे. सचदेव फुड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
169.	लखौली	शंकर राईस मिल
170.	लखौली	श्री किशन इन्डस्ट्रीज
171.	रीवां	अनंत राईस इन्डस्ट्रीज
172.	रीवां	अनुज राईस मिल्स प्रा. लि.
173.	रीवां	दिलीप इम्पैक्स प्रा. लि.
174.	रीवां	दिलीप इम्पैक्स प्रा. लि.
175.	रीवां	मे. मावली राईस इन्डस्ट्रीज
176.	रीवां	मे. सचदेव फुड प्रोडक्ट्स
177.	रीवां	मे. सचदेव फुड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
178.	रीवां	पाम इन्टरप्राईजेस
179.	रीवां	राधा किशन एग्रोटेक प्रा. लि.
180.	रीवां	एस. एन. इन्डस्ट्रीज
181.	रीवां	शंकर राईस मिल
182.	रीवां	श्री खाटू श्याम राईस मिल कुंरा (धरसीवा)
183.	रीवां	श्री किशन इन्डस्ट्रीज
184.	रीवां	श्री विश्व भारती पैडी प्रोसेसिंग युनिट
185.	रीवां	सोहनलाल मुंशीलाल
186.	रीवां	सोहनलाल मुंशीलाल

(1)	(2)	(3)
187.	अमसेना	अन्नपूर्णा राईस इन्डस्ट्रीज
188.	अमसेना	हनुमान राईस इन्डस्ट्रीज
189.	अमसेना	जगदम्बा राईस इन्डस्ट्रीज
190.	अमसेना	शादा राईस इन्डस्ट्रीज
191.	अमसेना	शारदा ट्रेडर्स
192.	अमसेना	श्री ओम राईसटेक प्राईवेट लिमिटेड
193.	कोरासी	जगदम्बा राईस इन्डस्ट्रीज
194.	कोरासी	एस. एस. डी. एग्रोटेक
195.	कोरासी	श्री जगदम्बा राईस मिल
196.	कोरासी	श्री ओम राईसटेक प्रा. लि.
197.	कोरासी	श्री विश्वभारती फुड प्रोडक्ट्स
198.	कोरासी	सोहनलाल मुंशीलाल
199.	संकरी	एच. एल. इन्डस्ट्रीज, खालबाड़ा रायपुर
200.	संकरी	ओम राईस मिल
201.	संकरी	रतिराम ताराचंद
202.	संकरी	सजल फुड्स
203.	संकरी	शारदा राईस इन्डस्ट्रीज
204.	संकरी	श्री विश्व भारती फुड प्रोडक्ट्स
205.	संकरी	विजय ट्रेडिंग कंपनी
206.	संकरी	विश्व भारती राईस इन्डस्ट्रीज

परिशिष्ट “छः”

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 66) के भाग (क) की जानकारी]

राजनांदगांव जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव द्वारा विपणन वर्ष 2010-11 में संचालित धान खरीदी केन्द्रों की सूची

क्रमांक (1)	धान खरीदी केन्द्र का नाम (2)	धान खरीदी केन्द्र से संबंधित सोसायटी का नाम (3)
1.	ढाबा	वृहताकार सेवा सहकारी समिति मर्यादित, ढाबा
2.	सोमनी	वृहताकार सेवा सहकारी समिति मर्यादित, सोमनी
3.	सुरगी	वृहताकार सेवा सहकारी समिति मर्यादित, सुरगी
4.	तुमडीबोड	वृहताकार सेवा सहकारी समिति मर्यादित, तुमड़ीबोड़
5.	भानपुरी	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, भानुपुरी
6.	रामपुर	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, रामपुर
7.	सिंघोला	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, सिंघोला
8.	गटुला	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, गटुला
9.	रेंगाकठेरा	
10.	सांकरा	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, सांकरा
11.	डोंगरगांव	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरगांव
12.	अर्जुनी	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, अर्जुनी
13.	तिलईरवार	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, तिलईरवार
14.	कोकपुर	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कोकपुर
15.	खुसींटिकुल	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, खुसींटिकुल
16.	कुमरदा	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कुमरदा
17.	खुज्जी	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, खुज्जी
18.	खुसीपार	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, खुसीपार
19.	रतनभाट	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, रतनभाट
20.	गिदरी	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, गिदरी
21.	पांगरीखुर्द	
22.	मटिया	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, मटिया
23.	उमरवाही	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, उमरवाही
24.	चौकी	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, चौकी
25.	आतरगांव	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, आतरगांव
26.	छछानपाहरी	
27.	कौडीकसा	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कौडीकसा
28.	ढाढुटोला	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, ढाढुटोला
29.	आमाटोला	
30.	चिल्हाटी	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, चिल्हाटी
31.	मोहला	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, मोहला
32.	रेंगाकठेरा	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, रेंगाकठेरा
33.	गोटाटोला	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, गोटाटोला
34.	मानपुर	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, मानपुर
35.	औंधी	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, औंधी
36.	भरीटोला	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, भरीटोला
37.	खरदी	

(1)	(2)	(3)
38.	गैंदाटोला	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, गैंदाटोला
39.	जोशीलमती	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, जोशीलमती
40.	कुहीकला	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कुहीकला
41.	क. बंजारी	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, क. बंजारी
42.	साल्हेटोला	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, साल्हेटोला
43.	गहिराभेड़ी	
44.	छुरिया	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, छुरिया
45.	शि. महका	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, शि. महका
46.	ब. चारभाटा	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, ब. चारभाटा
47.	स. चिरचारी	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, स. चिरचारी
48.	ला. ब. नगर	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, ला. ब. नगर
49.	महाराजपुर	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, महाराजपुर
50.	कोलिहापुरी	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कोलिहापुरी
51.	सीतागोटा	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, सीतागोटा
52.	मडियान	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, मडियान
53.	घुमका	कृषक सेवा सहकारी समिति मर्यादित, घुमका
54.	पदुमतरा	वृहताकार सेवा सहकारी समिति मर्यादित, पदुमतरा
55.	उपरवाह	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, उपरवाह
56.	बघेरा	
57.	पनियाजोब	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, पनियाजोब
58.	ठाकुरटोला	
59.	मेढा	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, मेढा
60.	ढारा	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, ढारा
61.	अछोली	
62.	मोहारा	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, मोहारा
63.	रूवातला	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, रूवातला
64.	मुसराकला	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, मुसराकला
65.	बेलगांव	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बेलगांव
66.	बोरतलाव	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बोरतलाव
67.	अमलीपारा	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, अमलीपारा
68.	आमदनी	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, आमदनी
69.	बढईटोला	वृहताकार सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बढईटोला
70.	डोकराभाटा	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, डोकराभाटा
71.	अतरिया	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, अतरिया
72.	सलोनी	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, सलोनी
73.	जालबांधा	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, जालबांधा
74.	मुढीपार	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, मुढीपार
75.	विचारपुर	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, विचारपुर
76.	भंडारपुर	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, भंडारपुर
77.	खुसीपार	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, खुसीपार
78.	ईटार	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, ईटार
79.	कुकुरमुडा	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कुकुरमुडा

(1)	(2)	(3)
80.	सिलपट्टी	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, सिलपट्टी
81.	झुरानदी	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, झुरानदी
82.	गोपालपुर	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, गोपालपुर
83.	उदयपुर	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, उदयपुर
84.	अमलीडीह	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, अमलीडीह
85.	रगरा	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, रगरा
86.	भोथली	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, भोथली
87.	गंडई	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, गंडई
88.	लिमों	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, लिमों
89.	बरबसपुर	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बरबसपुर
90.	हनईबन	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, हनईबन
91.	धोधा	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, धोधा
92.	मानिकचौरी	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, मानिकचौरी
93.	सण्डी	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, सण्डी
94.	विचारपुर	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, विचारपुर
95.	बुंदेली	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बुंदेली
96.	नचनिया	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, नचनिया
97.	पैलीमेटा	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, पैलीमेटा
98.	बरकरट्टा	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बरकरट्टा

नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “सात”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 197) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

गरीब परिवारों को जिलेवार जारी राशनकार्डों की जानकारी

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	जारी राशनकार्ड (3)
1.	कवर्धा	114597
2.	कांकेर	99969
3.	कोरबा	151876
4.	कोरिया	82726
5.	जशपुर	101523
6.	जांजगीर	216683
7.	दन्तेवाड़ा	91505
8.	दुर्ग	399759
9.	धमतरी	97048
10.	नारायणपुर	19717
11.	बस्तर	216317
12.	बिलासपुर	372410
13.	बीजापुर	45441
14.	महासमुंद	163466
15.	राजनांदगांव	174639
16.	रायगढ़	200322
17.	रायपुर	475680
18.	सरगुजा	356222
कुल योग		3379900

प्रपत्र "ब"

क्रमांक	जिले का नाम	10 हजार से अधिक आबादी वाले नगरों के गरीबी रेखा के राशनकार्डों के सत्यापन उपरांत निरस्त किये गये राशनकार्डों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	कवर्धा	2788
2.	कांकेर	1218
3.	कोरबा	5341
4.	कोरिया	3929
5.	जशपुर	1917
6.	जांजगीर	1212
7.	दन्तेवाड़ा	1913
8.	दुर्ग	31957
9.	धमतरी	1486
10.	नारायणपुर	1113
11.	बस्तर	7021
12.	बिलासपुर	14513
13.	बीजापुर	0
14.	महासमुंद	4307
15.	राजनांदगांव	12677
16.	रायगढ़	1359
17.	रायपुर	46758
18.	सरगुजा	4873
कुल योग		144382

परिशिष्ट "आठ"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 448) की जानकारी]

वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में माह दिसम्बर 2010 तक पी.डी.एस. चावल तस्करी/हेराफेरी के प्रकरणों एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

वित्तीय वर्ष	क्र.	फर्म/व्यक्ति का नाम जिसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया	प्रकरण में पाई गई अनियमितता एवं की गई कार्यवाही की जानकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
2008-09	1.	स्टेट सिविल सप्लायज कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकृत परिवहनकर्ता अतुल बग्गा.	परिवहनकर्ता द्वारा महासमुन्द जिला के बसना प्रदाय केन्द्र से बीजापुर परिवहन के दौरान जगदलपुर से 15 किलोमीटर दूर केशलूर में 24 क्विं. चावल 04 ट्रकों से उतार कर विक्रय करने के कारण प्रकरण निर्मित किया गया. परिवहनकर्ता के विरुद्ध परपा थाना जगदलपुर में एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है. प्रकरण सी.जे.एम. जगदलपुर के न्यायालय में प्रक्रियाधीन है.
	2.	अध्यक्ष/सचिव महिला स्व सहायता समूह बांसगांव विकासखंड कोण्डा-गांव.	जांच में 05 क्विं. चावल, 01 क्विं. शक्कर, 0.98 क्विं. नमक एवं 363 लीटर केरोसीन जांच दिनांक को प्रदर्शित स्टॉक से कम पाये जाने तथा छ. ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2004 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने के कारण पुलिस थाना कोण्डागांव में एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है.
2009-10	3.	1. बी.पी. नायक जिला प्रबंधक, नगरिक आपूर्ति निगम, जगदलपुर. 2. बी.बी. शुक्ला, शाखा प्रबंधक, राज्य भंडारगृह निगम जगदलपुर. 3. नरेन्द्र भोसले, गोदाम प्रभारी, नागरिक आपूर्ति निगम, जगदलपुर.	वेयर हाऊस गोदाम की जांच एवं भौतिक सत्यापन करने पर 1352 बोरी चावल कम, 13 बोरी गेहूं अधिक, 17 बोरा शक्कर अधिक एवं 191 बोरी मक्का अधिक पाया गया. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया. प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है.
	4.	अध्यक्ष/सचिव विद्या महिला स्व सहायता समूह पलना.	उचित मूल्य दुकान की जांच में चावल, मिट्टीतेल एवं नमक वितरण में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया तथा पुलिस थाना विश्रामपुरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है.
	5.	सचिव/सरपंच, शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचा. बंजोड़ा वि.खं. फरसगांव.	जांच के दौरान खाद्यान्न/केरोसिन वितरण में अनियमितता पाये जाने के कारण पुलिस थाना धनोरा में एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है.
	6.	अध्यक्ष/सचिव मां शीतला महिला स्व सहा. समूह कमला विकासखंड कोण्डागांव.	जांच में 1092 लीटर मिट्टीतेल, 74.20 क्विं. चावल की वितरण पंजी में कम दर्ज कर अफरा-तफरी किया जाना पाये जाने के कारण प्रकरण निर्मित किया गया. प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना कोण्डागांव में एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है.
	7.	चैतीबाई, अध्यक्ष महिला स्व सहायता समूह, सुदनी बाई सचिव, मानकूराम विक्रेता कावड़गांव विकासखंड बस्तर.	उचित मूल्य दुकान की जांच में चावल 08 क्विंटल अधिक पाये जाने के कारण प्रकरण निर्मित किया गया तथा आरोपियों के विरुद्ध थाना भानपुरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया है.
	8.	सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत छिन्दगुर शासकीय उचित मूल्य दुकान छिन्दगुर वि. खं. दरभा.	उचित मूल्य दुकान छिन्दगुर से 7.50 क्विं. चावल, एवं 01.90 क्विं. गेहूं कालाबाजारी करने हेतु अवैध परिवहन करने के कारण आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना दरभा में एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है.

(1)	(2)	(3)	(4)
2010-11	9.	छ. ग. राज्य स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत परिवहनकर्ता ज्योतिश्वर कुरूप, जगदलपुर.	वाहन क्रमांक सी.जी. 04 जे. 4546 चावल 271.40 क्विं. राज्य भंडरगृह निगम जगदलपुर से प्रदाय केन्द्र बीजापुर के लिए लोड की गई थी. उक्त वाहन निर्धारित केन्द्र बीजापुर में नहीं पहुंचने के कारण परिवहन कर्ता ज्योतिश्वर कुरूप के विरुद्ध बोधघाट थाना जगदलपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया. नुकसान की पूर्ति हेतु 830700 रु. परिवहनकर्ता द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम के खाते में जमा किया गया है. प्रकरण में फर्जी वाहन चालक एवं अघाड़ी राईस मिलर के मालिक को हिरासत में लिया गया है.
	10.	मो. इरफान आ. अब्दुल हबीब अघाड़ी राईस मिल सरगीपाल विकासखण्ड बकावंड.	राईस मिल की जांच के दौरान भौतिक सत्यापन में धान मोटा 425 बोरी, वजन 185 क्विंटल अधिक, गेहूं 108 बोरी वजन 54 क्विं. स्टॉक में अधिक पाये जाने पर प्राप्त गेहूं पी.डी.एस. का होने की आशंका के आधार पर प्रकरण निर्मित किया गया है. प्रकरण कलेक्टर के न्यायालय में विचाराधीन है.

परिशिष्ट “नौ”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 642) के भाग (ग) की जानकारी]

समितिवार किस्मवार खरीदे गये धान की जानकारी

(मात्रा मेट्रिक टन में)

क्रमांक (1)	सोसायटी (2)	उपार्जन केन्द्र (3)	मोटा (4)	पतला (5)	सरना (6)
1.	अकोरी	अकोरी	871.12	2521.92	476.88
2.	अछोला	अछोला	941.2	1363.84	2764.4
3.	आरंगी	जाडामुडा	1399.04	1756.56	123.32
4.	उडेला	उडेला	1191.06	2588.48	946.32
5.	केजुवा	जोगनीपाली	3532.08	4815.04	1443.12
6.	कनेकेरा	शेर	2140.2	2375.96	778.04
7.	केना	केना	3935.5	2473.64	611.2
8.	कसेकेरा	कसेकेरा	3441.18	1907.8	121.52
9.	कुसमीसरार	सेमलिया	2208.68	3150.24	758.6
10.	कोटद्वारी	बलौदा	3388.48	1597.48	379.12
11.	कोमाखान	कोमाखान	2654.28	1813.4	699.32
12.	कोमाखान	बकमा	1505.64	977.07	580.08
13.	खट्टी	खट्टी	2214.84	1432.76	1576.2
14.	खेमडा	खेमडा	2046.84	2247.66	795.28
15.	खम्हरिया	आमाकोनी	4145.96	3072.2	510.6
16.	खरोरा	सिंघनपुर	1729.56	3604.84	4150.92
17.	खल्लारी	खल्लारी	2899.64	2076.12	1983.12
18.	खोपली	खोपली	3012.04	1439.36	356.64
19.	गढफुलझर	गुढफुलझर	1467.72	2151.22	1119.12
20.	गबौद	गबौद	1759.72	1739.84	485.36
21.	गांजर	गांजर	2027.28	1283.84	658.08
22.	घोंच	घोंच	791.2	2340.04	777.56
23.	चरौदा	चरौदा	3007.24	1541.4	434.24
24.	चिवराकुंटा	चिवराकुंटा	2862.3	1495.3	195.2
25.	जलकी	जलकी	1124.96	1865.04	881.16
26.	जलकी	लहगर	1198.24	1311.32	1088.76
27.	झलप	झलप	2279.6	4695.02	2718.26
28.	झालखम्हरिया	झालखम्हरिया	3732.88	2285.52	507.76
29.	तेंदूकोना	तेंदूकोना	1876.48	3305.12	1010.2
30.	तुमगांव	तुमगांव	1817.84	1584.52	1848.28
31.	तुमगांव	भोरिंग	315.84	1190.12	4992.84
32.	तोरेसिंहा	तोरेसिंहा	3336.56	4152.12	794.96
33.	तोषगांव	तोषगांव	1251.36	876.8	871.44
34.	देवरी	देवरी	2428.32	648.4	635.76
35.	नूनपानी	जम्हरी	1902.2	2630.92	1846.24
36.	नरतौरा	नरतौरा	2780.44	2948.72	2004.08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37.	नर्रा	नर्रा	2953.72	1668.12	380.04
38.	नवरंगपुर	नवरंगपुर	5781.84	3382.04	2266
39.	नायकबांधा	नवागांव	257.92	675.16	545.4
40.	नायकबांधा	सिंची	621.92	644.08	593.4
41.	पचरी	पचरी	1089.76	2296.84	1276.3
42.	पटेवा	पटेवा	1129.36	1755.02	1846.22
43.	पेंड्रावन	भगतदेवरी	3255.32	5445.84	2442.16
44.	पथरला	पथरला	497.64	936.12	234.24
45.	पथरला	भास्करपाली	1021.96	2092.32	422.36
46.	पिटियाझर	पिटियाझर	4487.64	2489.68	3650.72
47.	पिथौरा	कौहाकुड़ा	825.04	772	477.4
48.	पिथौरा	पिथौरा	1807.76	2567.2	1067.48
49.	पिथौरा	मुढीपार	2967.96	3195.12	1066.44
50.	पिरदा	पिरदा	2728.48	2687.12	277.08
51.	बड़ेडाभा	बड़ेडाभा	616.72	1237.28	892.12
52.	बड़ेसाजापाली	बड़ेसाजापाली	1299.56	3028.48	916.64
53.	बढ़ईपाली	बढ़ईपाली	574	1066.48	536.76
54.	बुन्देली	बुन्देली	910.16	961.68	266.84
55.	बरेकेल	टेका	353.12	496.88	290
56.	बरेकेल	बरेकेल	836.16	1738.68	639.52
57.	बरौडाबाजार	बम्हनी	1442.48	515.88	548.56
58.	बरौडाबाजार	बरौडाबाजार	2784	1109.96	1600.28
59.	बेल्डीह	बेल्डीह	662.88	2550.88	574.26
60.	बेलसोणडा	बेलसोणडा	832.72	915.88	4523.92
61.	बसना	बसना	1504.64	1280.48	1738.76
62.	बसुलाडबरी	बसुलाडबरी	1856.44	1188.04	386.92
63.	बाघामुडा	बाघामुडा	2074.08	1221.84	115.8
64.	बाराडोली	बाराडोली	952.8	939.2	466.4
65.	बावनकेरा	बावनकेरा	3774.529	4197.32	3585.28
66.	बिछिया (बसना)	बिछिया	476.76	858.96	603.72
67.	बिछिया (भवरपुर)	बिछिया	2135.96	3106.56	248.04
68.	बिरकोनी	बिरकोनी	1102.18	1901.98	5492.02
69.	भूकेल	भूकेल	1045.88	3067.46	2565.7
70.	भुरकोनी	भुरकोनी	1061.92	2150.04	1104.76
71.	भवरपुर	भवरपुर	2237.8	2306.4	1590.68
72.	भोथलडीह	भोथलडीह	4643.08	2082.08	1000.56
73.	मुनगासेर	मुनगासेर	998.2	1484.56	501.52
74.	मामाभांचा	मामाभांचा	2295.76	832.72	578
75.	रूढा	सागरपाली	5244.04	2442.88	1360.76
76.	रसोडा	रसोडा	2150.52	2615.36	730.58
77.	रायतुम	रायतुम	1411.68	1658.8	544.2
78.	रिसिकेला	केदुवा	1303.48	2168.6	1618.68
79.	रिसिकेला	नवागांव	2515.44	2295.12	1221.72
80.	लम्बर	लम्बर	2612.6	3183.92	760.6
81.	सुखरीडबरी	सुखरीडबरी	1346.96	2110.98	488.62
82.	सपोस	बैल्डीडीह	359.2	1691.36	262.6
83.	सरकडा (पिथौरा)	सरकडा	1609.04	1168.76	380.8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
84.	सरकडा (पिरदा)	चनाट	2577.76	3011.28	652.16
85.	सरायपाली	सरायपाली	3218.8	3717	1125.8
86.	सल्डीह	सल्डीह	1206.56	3243.18	586.8
87.	सांकरा	सुखीपाली	1101.28	1186.76	286.56
88.	सांकरा	सांकरा	1033.76	1970.52	480.88
89.	सागुनदाप	परसवानी	1224.68	4228.2	375.52
90.	सागुनढाप	सागुनढाप	511.72	1582.28	132.68
91.	सिरपुर	सिरपुर	474.48	953.16	729.12
92.	सिरीपठारीमुडा	सिरीपठारीमुडा	1790.28	2122.96	575.16
93.	सोनासिल्ली	सोनासिल्ली	1828.56	3270.92	632.32

परिशिष्ट “दस”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 815) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	जिला	उपार्जित धान की मात्रा (टन में)	राशि (लाख रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर	1004935	101635.00
2.	महासमुंद	505584	51175.00
3.	धमतरी	368217	37427.00
4.	दुर्ग	712973	72202.45
5.	राजनांदगांव	304339	31043.61
6.	कवर्धा	91904.82	9334.08
7.	जगदलपुर	87668.66	8936.4
8.	नारायणपुर	2651.89	271.66
9.	कांकेर	118137	12117.66
10.	दंतेवाड़ा	10590.11	1060.06
11.	बीजापुर	6772.79	678.45
12.	बिलासपुर	323497.91	32706.99
13.	जांजगीर	571616.96	57162.46
14.	कोरबा	55120.19	5528.97
15.	अंबिकापुर	126580	13031.03
16.	कोरिया	20735	1775
17.	रायगढ़	374035	37454
18.	जशपुर	27284	2760
योग		4712642.33	476299.82

परिशिष्ट "ग्यारह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 1016) के भाग (क), (ख), (ग) एवं (घ) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 31-1-11 तक धान खरीदी की जानकारी

क्रमांक (1)	समिति का नाम (2)	धान की मात्रा मे. टन (3)
1.	खल्लारी	7137
2.	सिरीपठारीमुड़ा	4626
3.	सुखरीडबरी	4038
4.	गबौद	4228
5.	चरौदा	5114
6.	मामाभांचा	3791
7.	खोपली	4919
8.	तेंदूकोना	6485
9.	खम्हरिया	8193
10.	नर्रा	5123
11.	बाघामुड़ा	3529
12.	देवरी	3987
13.	कसेकेरा	5785
14.	बसुलाडबरी	3548
15.	मुंनगासेर	3278
16.	खेमड़ा	5374
17.	गांजर	4131
18.	कोमाखान	5336
19.	बकमा	3117
20.	घोच	4179
21.	सोनासिल्ली	5868
22.	बढ़ईपाली	2248
23.	सरकड़ा	3419
24.	बुंदेली	2244
25.	बेल्डीह	3788
26.	भुरकोनी	4531
27.	कौहाकुड़ा	2076

प्रपत्र "ब"

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 15-12-10 से 15-1-11 तक प्रतिदिन खरीदी की जानकारी (मात्रा टन में)

दिनांक	खल्लारी (1)	सिरीपठारीमुडा (2)	सुखरीडबरी (3)	गबौद (4)	चरौदा (5)	मामाभांचा (6)	खोपली (7)	तेंडुकोना (8)	खम्हरिया (9)	नरी (10)	बाघामुडा (11)	देवरी (12)	कसेकेरा (13)	बसुलाडबरी (14)
15 दिसंबर, 2010	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0
16 दिसंबर, 2010	378	317	131	143	163	240	221	0	0	346	0	247	0	0
17 दिसंबर, 2010	282	0	0	0	103	95	0	0	102	102	186	0	0	0
18 दिसंबर, 2010	205	0	0	6	213	0	14	0	240	71	0	0	0	0
19 दिसंबर, 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 दिसंबर, 2010	148	247	70	118	106	75	221	167	286	14	96	0	9	113
21 दिसंबर, 2010	345	76	85	83	104	146	153	96	185	147	69	0	0	45
22 दिसंबर, 2010	225	77	242	77	0	137	59	153	190	76	135	241	0	181
23 दिसंबर, 2010	197	121	134	60	113	126	45	107	22	267	59	255	208	94
24 दिसंबर, 2010	232	53	35	112	5	37	137	73	132	163	0	130	10	63
25 दिसंबर, 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	194	127	19	0	0	0
26 दिसंबर, 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 दिसंबर, 2010	87	289	205	0	225	92	0	79	340	124	3	156	161	295
28 दिसंबर, 2010	130	124	111	40	145	112	205	182	87	62	242	70	112	108
29 दिसंबर, 2010	194	100	106	77	140	84	100	191	231	0	94	0	350	87
30 दिसंबर, 2010	301	160	0	48	128	3	91	126	97	280	112	0	239	72
31 दिसंबर, 2010	225	117	129	61	143	190	115	131	387	0	0	0	251	73
1 जनवरी, 2011	0	0	0	0	0	5	0	49	0	0	0	0	0	142
2 जनवरी, 2011	0	0	0	0	0	90	0	0	0	205	0	0	0	0
3 जनवरी, 2011	162	67	74	59	127	72	109	137	327	0	124	125	60	102
4 जनवरी, 2011	244	106	0	66	92	76	73	164	73	0	175	148	0	47
5 जनवरी, 2011	101	71	37	153	82	24	0	144	266	79	34	119	0	81
6 जनवरी, 2011	121	60	163	46	82	101	153	125	30	252	0	118	0	58
7 जनवरी, 2011	128	26	42	155	64	74	145	185	124	0	177	0	0	48
8 जनवरी, 2011	0	0	45	0	0	52	0	122	0	187	0	0	0	136
9 जनवरी, 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
10 जनवरी, 2011	131	14	26	0	151	62	155	103	53	45	75	0	0	3
11 जनवरी, 2011	154	64	0	134	31	101	110	157	4	7	135	0	0	0
12 जनवरी, 2011	147	98	165	76	68	15	58	129	238	44	74	0	27	0
13 जनवरी, 2011	85	71	8	36	82	92	177	152	275	139	86	125	181	132
14 जनवरी, 2011	71	44	14	185	215	78	83	30	211	137	52	191	178	44
15 जनवरी, 2011	0	0	0	0	0	6	0	0	124	19	0	0	0	18

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 15-12-10 से 15-1-11 तक प्रतिदिन खरीदी की जानकारी (मात्रा टन में)

दिनांक	मुंणासेर (15)	खेमडा (16)	गांजर (17)	कोमाखान (18)	बकमा (19)	घोच (20)	सोनासिल्ली (21)	बढ़ईपाली (22)	सरकडा (23)	बुंदेली (24)	बेल्डीह (25)	भुरकानी (26)	कौहकुड़ा (27)
15 दिसंबर, 2010	0	0	0	0	0	75	160	80	50	0	0	63	0
16 दिसंबर, 2010	221	0	170	206	225	66	144	68	159	69	193	149	133
17 दिसंबर, 2010	0	0	104	110	0	0	23	0	0	0	114	0	0
18 दिसंबर, 2010	0	0	0	0	162	81	0	30	0	0	0	0	0
19 दिसंबर, 2010	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 दिसंबर, 2010	88	198	0	32	54	0	162	0	0	72	0	139	87
21 दिसंबर, 2010	111	113	57	70	113	99	133	103	103	45	0	194	160
22 दिसंबर, 2010	0	126	68	85	82	104	110	52	0	26	0	7	52
23 दिसंबर, 2010	157	204	161	83	108	41	162	53	131	52	0	206	32
24 दिसंबर, 2010	55	215	0	64	100	64	36	67	81	58	0	4	65
25 दिसंबर, 2010	0	4	0	104	0	111	0	3	161	0	0	0	64
26 दिसंबर, 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 दिसंबर, 2010	211	122	110	91	109	137	162	104	0	59	82	170	108
28 दिसंबर, 2010	0	6	0	73	103	13	138	67	151	59	374	94	38
29 दिसंबर, 2010	0	266	146	86	121	84	151	56	59	68	84	103	77
30 दिसंबर, 2010	31	176	127	66	0	76	110	53	84	44	0	0	59
31 दिसंबर, 2010	0	187	125	55	234	175	164	36	127	76	0	271	39
1 जनवरी, 2011	0	0	0	0	0	54	9	19	0	29	275	45	0
2 जनवरी, 2011	0	0	0	88	0	51	0	10	0	8	0	0	0
3 जनवरी, 2011	0	128	143	74	94	125	203	41	0	0	0	140	97
4 जनवरी, 2011	0	95	130	47	149	9	178	49	148	152	0	85	0
5 जनवरी, 2011	0	217	61	36	134	81	124	49	52	80	0	146	23
6 जनवरी, 2011	0	92	75	68	112	124	135	34	230	58	0	64	0
7 जनवरी, 2011	0	157	73	0	114	104	134	48	20	90	0	5	32
8 जनवरी, 2011	0	177	0	63	106	83	0	0	80	0	0	0	0
9 जनवरी, 2011	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 जनवरी, 2011	0	162	202	44	145	112	189	93	0	64	0	166	58
11 जनवरी, 2011	175	7	106	75	112	0	151	40	136	113	22	49	35
12 जनवरी, 2011	56	14	94	61	226	0	131	17	173	18	0	222	11
13 जनवरी, 2011	64	40	71	47	91	0	93	61	23	84	0	9	0
14 जनवरी, 2011	100	134	177	43	0	11	43	3	42	44	0	39	0
15 जनवरी, 2011	92	125	0	28	0	0	0	71	53	0	0	289	0

प्रपत्र "स"

क्र. (1)	खरीदी केन्द्र का नाम (2)	खरीदी नहीं होने का दिनांक (3)
1.	खल्लारी	5 नवम्बर, 2010, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 दिसंबर, 2010 एवं 27, 28 जनवरी, 2011
2.	सिरीपठारीमुड़ा	5, 8 नवंबर, 2010, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 दिसंबर, 2010, 19, 20, 21 जनवरी, 2011
3.	सुखरीडबरी	5, 23 नवंबर, 2010, 3, 9, 10 दिसंबर, 2010, 4, 5, 11, 19, 24, 28 जनवरी, 2011
4.	गबौद	5 नवंबर, 2010, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 27 दिसंबर, 2010 एवं 10, 18 जनवरी, 2011
5.	चरौदा	5 नवंबर, 2010, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 22, 24 दिसंबर, 2010
6.	मामाभांचा	5, 12, 25 नवंबर, 2010, 6, 8, 9, 10, 14, 15 दिसंबर, 2010 एवं 19 जनवरी, 2011
7.	खोपली	2, 5 नवंबर, 2010, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16 दिसंबर, 2010 एवं 5, 19, 28 जनवरी, 2011
8.	तेंदुकोना	5, 12 नवंबर, 2010, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 दिसंबर, 2010 एवं 27 जनवरी, 2011
9.	खम्हरिया	7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 दिसंबर, 2010 एवं 19 जनवरी, 2011
10.	नर्रा	2, 3, 4, 5, 8, 11 नवंबर, 2010, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 29, 30, 31 दिसंबर, 2010 एवं 3, 7, 18, 24, 27 जनवरी, 2011.
11.	बाधामुड़ा	2, 3, 4, 5 नवंबर, 2010, 6, 13, 14, 15, 16 दिसंबर, 2010 एवं 6, 24 जनवरी, 2011
12.	देवरी	2, 3, 4, 5 नवंबर, 2010, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 29, 30, 31 दिसंबर, 2010 एवं 7, 10, 11, 12, 19 जनवरी, 2011.
13.	कसेकेरा	2, 3, 4, 5 नवंबर, 2010, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22 दिसंबर, 2010 एवं 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 18, 19 जनवरी, 2011.
14.	बसुलाडबरी	2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 नवंबर, 2010, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 दिसंबर, 2010 एवं 11, 12, 19 जनवरी, 2011.
15.	मुनगासेर	2, 3, 4, 5, 9, 12, 15 नवंबर, 2010, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 22, 23, 28, 29, 31 दिसंबर, 2010 एवं 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17, 19, 21 जनवरी, 2011.
16.	खेमड़ा	2, 3, 4, 5, 8 नवंबर, 2010, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 दिसंबर, 2010 एवं 21 जनवरी, 2011
17.	गांजर	2, 3, 4, 5, 12 नवंबर 2010, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 27 दिसंबर, 2010 एवं 17, 19 जनवरी, 2011.
18.	कोमाखान	2, 3, 5 नवंबर, 2010, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 30 दिसंबर, 2010 एवं 12, 19, 24, 28 जनवरी, 2011.
19.	बकमा	2, 3, 4, 5, 8 नवंबर, 2010, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 दिसंबर, 2010
20.	घोच	5, 9, 11, 15 नवंबर, 2010, 7, 8, 9, 10, 13, 20 दिसंबर, 2010 एवं 11, 12, 13, 18, 21 जनवरी, 2011.
21.	सोनासिल्ली	5, 12 नवंबर, 2010, 7, 8, 9, 10, 13 दिसंबर, 2010
22.	बढ़ईपाली	5, 11, 12, 15, 16, 18, 24 नवंबर, 2010, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 20 दिसंबर, 2010 एवं 10, 19 जनवरी, 2011.
23.	सरकड़ा	2, 3, 5, 8, 10, 12, 16, 19, 29 नवंबर, 2010, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 22, 31 दिसंबर, 2010 एवं 10, 17, 20, 21, 24, 27, जनवरी, 2011.
24.	बुंदेली	2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, नवंबर, 2010, 7, 8, 9, 13, 15 दिसंबर, 2010.
25.	बेल्डीह	2, 12, 29 नवंबर, 2010, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24 दिसंबर, 2010 एवं 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 24 जनवरी, 2011.
26.	भुरकोनी	5, 12, नवंबर, 2010, 6, 7, 8, 9, 13 दिसंबर 2010 एवं 19, 20, 21 जनवरी, 2011.
27.	कौहाकुड़ा	4, 5, 11, 18, 23, 25 नवंबर, 2010, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 दिसंबर, 2010 एवं 4, 6, 11, 13, 18, 19, 20, 25 जनवरी, 2011.

प्रपत्र "द"

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 15-12-10 से 15-1-11 तक प्रतिदिन उठाव की जानकारी (मात्रा टन में)

दिनांक	खल्लारी (1)	सिरीपठारीमुडा (2)	सुखरीडबरी (3)	गबौद (4)	चरौदा (5)	मामाभांचा (6)	खोपली (7)	तेंदुकोना (8)	खह्ररिया (9)	नरी (10)	बाघामुडा (11)	देवरी (12)	कसेकेरा (13)	बसुलाडबरी (14)
15 दिसंबर, 2010	198	40	0	0	251	0	127	0	0	0	0	0	0	0
16 दिसंबर, 2010	254	0	28	32	109	97	128	65	369	148	0	164	53	192
17 दिसंबर, 2010	110	59	78	38	96	0	0	272	158	113	12	5	27	0
18 दिसंबर, 2010	68	12	98	0	0	0	0	78	66	26	76	0	0	0
19 दिसंबर, 2010	74	0	16	0	0	0	0	100	0	0	0	124	0	0
20 दिसंबर, 2010	130	42	28	0	127	0	0	64	34	0	0	0	0	0
21 दिसंबर, 2010	275	41	0	10	52	95	103	74	64	297	0	0	0	0
22 दिसंबर, 2010	323	75	0	0	121	69	218	126	169	0	0	18	0	0
23 दिसंबर, 2010	226	42	141	0	18	73	97	151	70	82	0	49	0	0
24 दिसंबर, 2010	223	47	0	0	101	0	141	239	156	122	0	0	0	0
25 दिसंबर, 2010	161	41	0	0	80	190	148	244	217	0	0	81	39	0
26 दिसंबर, 2010	72	83	181	0	16	0	50	0	83	0	0	0	0	27
27 दिसंबर, 2010	74	70	241	0	24	0	8	0	117	0	0	0	0	0
28 दिसंबर, 2010	17	150	0	40	110	27	177	0	218	0	60	0	0	0
29 दिसंबर, 2010	226	209	0	0	0	0	60	40	116	0	120	0	110	88
30 दिसंबर, 2010	175	101	52	63	215	18	154	144	172	0	0	0	0	121
31 दिसंबर, 2010	283	62	276	13	9	13	0	49	233	0	87	0	100	94
1 जनवरी, 2011	0	23	0	0	0	0	0	219	44	0	0	0	0	0
2 जनवरी, 2011	0	34	0	0	0	0	0	150	44	0	0	0	0	0
3 जनवरी, 2011	98	90	0	61	0	93	172	168	164	0	0	30	40	146
4 जनवरी, 2011	182	170	0	44	166	11	170	0	157	0	0	0	68	18
5 जनवरी, 2011	59	46	53	44	10	15	174	0	122	625	0	0	0	0

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6 जनवरी, 2011	137	69	26	52	40	12	52	0	95	0	0	0	0	40
7 जनवरी, 2011	57	14	252	37	53	123	193	79	187	0	0	106	205	0
8 जनवरी, 2011	74	13	0	98	70	227	8	128	144	130	170	120	44	26
9 जनवरी, 2011	0	0	0	10	0	0	0	52	174	0	48	0	187	0
10 जनवरी, 2011	61	0	4	0	152	239	104	182	149	0	6	64	67	52
11 जनवरी, 2011	163	9	0	102	148	227	38	52	191	0	31	7	24	52
12 जनवरी, 2011	55	56	78	242	155	22	150	170	88	212	59	167	72	0
13 जनवरी, 2011	172	136	147	104	17	192	52	135	224	185	76	50	72	34
14 जनवरी, 2011	39	18	0	39	54	235	90	60	278	0	96	34	88	101
15 जनवरी, 2011	104	10	0	67	11	108	0	10	165	42	78	50	24	30

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “बारह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 02 (क. 133) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2008-2009, 2009-2010 एवं 2010-11 में दिनांक 31-01-2011 तक थर्मल पावर प्लांट को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत जानकारी

क्र.	थर्मल पावर प्लांट का नाम	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	उद्योग स्थल	क्षमता मेगावाट	पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित प्रमुख शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मे. जिंदलस्टील एण्ड पावर लिमिटेड (फेस-1)	56.00	ग्राम-डोंगामहुआ, तहसील तमनार, जिला रायगढ़	300.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. सघन वृक्षारोपण किया जाना 4. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना. 5. जल का पुर्नचक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 6. आस-पास के क्षेत्र का सामुदायिक विकास किया जाना.
2.	मे. महावीर इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिके टान लिमिटेड.	13.59	ग्राम-भेंगारी तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़	12.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. सघन वृक्षारोपण किया जाना 4. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना. 5. जल का पुर्नचक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 6. आस-पास के क्षेत्र का सामुदायिक विकास किया जाना.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	मे. कोरबा वेस्ट पॉवर कंपनी लिमिटेड	487.00	ग्राम-बड़ेभंडार, छोटेभंडार, सरवानी एवं अमलीभौना तहसील पुसौर जिला रायगढ़	600.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. सघन वृक्षारोपण किया जाना 4. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना. 5. जल का पुर्नचक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 6. आस-पास के क्षेत्र का सामुदायिक विकास किया जाना.
4.	मे. जिंदलस्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड (फेस-2)	40.00	ग्राम-डोंगामहुआ, तहसील तमनार, जिला रायगढ़	300.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. सघन वृक्षारोपण किया जाना 4. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना. 5. जल का पुर्नचक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 6. आस-पास के क्षेत्र का सामुदायिक विकास किया जाना.
5.	मे. एस. के. एस. पॉवर जनरे इन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड	874.00	ग्राम-दर्भमुड़ा, बिंजकोट, तहसील खरसिया, जिला रायगढ़	1200.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. सघन वृक्षारोपण किया जाना 4. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना. 5. जल का पुर्नचक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 6. आस-पास के क्षेत्र का सामुदायिक विकास किया जाना.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	मेसर्स आर. के. एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड.	900.00	ग्राम—उच्चपिंडा, डभरा, जिला—जांजगीर—चांपा	1400.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. सघन वृक्षारोपण किया जाना 4. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना. 5. जल का पुर्नचक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 6. आस—पास के क्षेत्र का सामुदायिक विकास किया जाना.
7.	मेसर्स भयाम वेयर हाऊसिंग एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड.	09.96	ग्राम—बनारी, जांजगीर, जिला— जांजगीर—चांपा	10.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. सघन वृक्षारोपण किया जाना 4. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना. 5. जल का पुर्नचक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 6. आस—पास के क्षेत्र का सामुदायिक विकास किया जाना.
8.	मेसर्स सैशा ाला पॉवर एण्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड.	18.24	ग्राम—सोठी, चांपा, जिला— जांजगीर—चांपा	7.5	<ol style="list-style-type: none"> 1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. सघन वृक्षारोपण किया जाना 4. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना. 5. जल का पुर्नचक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 6. आस—पास के क्षेत्र का सामुदायिक विकास किया जाना.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	मे. अरसमेटा कैपटी पॉवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	44.48	ग्राम-गोपालनगर अकलतरा, जिला- जांजगीर-चांपा	43.0	1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. सघन वृक्षारोपण किया जाना 4. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना. 5. जल का पुर्नचक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 6. आस-पास के क्षेत्र का सामुदायिक विकास किया जाना.
10.	मे. अथेना छत्तीसगढ़ पॉवर प्राइवेट लिमिटेड	930.00	ग्राम-सिंघीतरा ई, बेनीपाली, ओडेकेरा, निमोही, तह.-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा	1200.0	1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. सघन वृक्षारोपण किया जाना 4. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना. 5. जल का पुर्नचक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 6. आस-पास के क्षेत्र का सामुदायिक विकास किया जाना.
11.	मेसर्स वर्धा पॉवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	2051.00	ग्राम-नरियरा, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	3600.0	1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. सघन वृक्षारोपण किया जाना 4. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना. 5. जल का पुर्नचक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 6. आस-पास के क्षेत्र का सामुदायिक विकास किया जाना.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	मे. डी. बी. पॉवर लिमिटेड	630.00	ग्राम-बड़ादरहा, डभरा, जिला- जांजगीर-चांपा	1200.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. सघन वृक्षारोपण किया जाना 4. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना. 5. जल का पुर्नचक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 6. आस-पास के क्षेत्र का सामुदायिक विकास किया जाना.
13.	मे. छ. ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित	1255.21	ग्राम-मड़वा, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	1000.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना. 2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना. 3. सघन वृक्षारोपण किया जाना 4. राखड़ का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना. 5. जल का पुर्नचक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना. 6. आस-पास के क्षेत्र का सामुदायिक विकास किया जाना.

प्रपत्र “ब”

रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिले में संवर्ग ‘क’ (केटेगरी ‘ए’) के अंतर्गत आने वाले थर्मल पॉवर प्लांट
के लोक सुनवाई पूर्ण होने वाले प्रकरणों बाबत जानकारी

क्र.	थर्मल पॉवर प्लांट का नाम	भूमि का प्रस्तावित क्षेत्रफल (एकड़ में)	उद्योग स्थल	क्षमता मेगावॉट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मे. जिंदल पॉवर लिमिटेड, तमनार.	2572.36	ग्राम-तमनार, सलिहाभाठा, तहसील तमनार, जिला रायगढ़.	2400.0
2.	मे. टी. आर. एन. इनर्जी प्रा. लिमिटेड.	500.00	ग्राम-भेंगारी, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़.	600.0
3.	मे. जे. एस. डब्लू. इनर्जी लिमिटेड.	792.00	ग्राम-कुकुर्दा, नवापारा, डूमरपाली, छूहीपाली, साह्नेओना, तहसील व जिला-रायगढ़.	1320.0
4.	मे. वीसा पॉवर लिमिटेड	780.00	ग्राम-देवरी, डूमरपाली, तहसील व जिला-रायगढ़.	1200.0
5.	मे. गोदावरी एनर्जी लिमिटेड	893.34	ग्राम-बोजिया, चितापाली, नवापारा, कटाईपाली, तहसील, धर्मजयगढ़, जिला-रायगढ़.	1320.0
6.	मे. टापवर्थ एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड.	950.00	ग्राम-सपनई, सरबहाल, सिकोसिमाल एवं नवबहाल, तहसील व जिला रायगढ़	1260.0
7.	मे. भूशण पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड.	1100.00	ग्राम-धूरकोट, डूमरपाली, कवली एवं कोमो, तह.-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	1000.0
8.	मेसर्स जैन एनर्जी लिमिटेड	1072.00	उद्योग ग्राम-बालपुर जिला-कोरबा में प्रस्तावित है तथा राखड़ बांध ग्राम-सिवनी, बहेराडीह, कसमंदा, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा में प्रस्तावित है.	1200.0
9.	मे. कर्नाटका पॉवर कार्पोरे लिमिटेड.	1260.00	ग्राम-गोधना, सरखन, कुकदा तह.-नवागढ़, जिला-जांजगीर-चांपा.	1600.0
10.	मे. भयाम इम्को इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, (पूर्व नाम भयाम सेन्चुरी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड)	453.00	ग्राम-रिस्ता, नवागांव, सरहर, मुक्ताराजा, भागोडीह, तहसील-सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा	660.0

प्रपत्र "स"

रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिले में संवर्ग 'ख' (केटेगरी 'बी') के अंतर्गत आने वाले थर्मल पॉवर प्लांट के राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई. आई. ए. ए.) छत्तीसगढ़ में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन प्रकरणों बाबत जानकारी

क्र. (1)	थर्मल पॉवर प्लांट का नाम (2)	भूमि का प्रस्तावित क्षेत्रफल (एकड़ में) (3)	उद्योग स्थल (4)	क्षमता मेगावॉट (5)
1.	मे. लॉर्ड्स पॉवर प्राइवेट लिमिटेड.	100.00	ग्राम-मुदपर, तहसील-जांजगीर जिला-जांजगीर-चांपा	70.0

परिशिष्ट "तेरह"

[अतारांकित प्र न संख्या 03 (क. 134) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

रायगढ़ जिले में संचालित दाल भात केन्द्रों आवंटित चावल एवं प्रतिदिन भोजन करने वाले हितग्राहियों की जानकारी

क्र.	वर्तमान में कार्यरत दाल भात केंद्रों का नाम एवं संचालन एजेंसी	कब से संचालित है	वर्ष 2010-11 में प्रतिमाह आवंटित चावल की मात्रा क्विंटल में	प्रतिदिन भोजन करने वाले हितग्राहियों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रेडक्रास सोसाईटी, जिला चिकित्सालय, रायगढ़.	फरवरी 2004 से	3.00 क्विं	50 से 60
2.	सर्वभोग दाल-भात केंद्र, कलेक्टोरेट रायगढ़.	फरवरी 2004 से	3.00 क्विं	40 से 50
3.	पंचमुखी हनुमान सेवा समिति, बुजी भवन, रायगढ़.	दिसंबर 2009 से	4.00 क्विं	75 से 100
4.	हीरालाल गुप्ता, पुसौर	फरवरी 2004 से	2.00 क्विं	30 से 40
5.	रोगी कल्याण समिति, पुसौर	फरवरी 2004 से	4.00 क्विं	70 से 80
6.	दुर्गा महिला स्व सहायता समूह, सारंगढ़	फरवरी 2004 से	4.00 क्विं	70 से 80
7.	मानव संस्था सेवा, सारंगढ़	फरवरी 2004 से	3.00 क्विं	45 से 55
8.	दिव्या महिला स्व सहायता समूह, मदनपुर	फरवरी 2004 से	4.00 क्विं	70 से 80
9.	महिला स्व सहायता समूह, घरघोड़ा	फरवरी 2004 से	4.00 क्विं	80 से 90
10.	रोगी कल्याण समिति, बरमकेला	फरवरी 2004 से (जुलाई 2010 से बंद)	3.00 क्विं (अप्रैल 2010 से जून 2010 तक प्रतिमाह)	50 से 60

टीप — दाल भात केन्द्रों को प्रतिमाह बीपीएल दर 6.25 प्रतिकिलो की दर से चावल प्रदाय किया जाता है.

परिशिष्ट “चौदह”
[अतारंकित प्र न संख्या 04 (क. 204) के भाग (क) की जानकारी]

विकासखण्डवार संचालित उचित मूल्य दुकानों की जानकारी

क्रमांक (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	दुकानों की संख्या (3)
1.	नवागढ़	101
2.	अकलतरा	56
3.	बलौदा	61
4.	पामगढ़	58
5.	बम्हनीडीह	56
6.	सक्ती	74
7.	जैजैपुर	66
8.	मालखरौदा	69
9.	डभरा	78

परिशिष्ट “पंद्रह”
[अतारांकित प्र न संख्या 06 (क. 226) की जानकारी]

नगर पालिका भाटापारा

वर्ष 2008-09			(राशि लाख में)
क्र.	कार्य	जारी की गई राशि	आदेश दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सी. सी. रोड, नाली निर्माण (समग्र विकास कार्य)	125.00	01-04-08
2.	जल वितरण प्रणाली को रिमोट कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम से संचालित हेतु.	24.25	30-06-08
3.	समग्र विकास कार्य	12.50	22-07-08
4.	समग्र विकास कार्य	112.50	29-07-08
5.	पार्श्व निधि	31.00	14-08-08
6.	12वां वित्त आयोग (द्वितीय कि त)	67.39	14-08-08
7.	समग्र विकास कार्य	125.00	19-09-08
8.	प्रतीक्षा बस स्टैण्ड प्रथम चरण	12.00	16-10-08
9.	जल वितरण प्रणाली को रिमोट कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम से संचालित हेतु अंतिम कि त.	24.25	12-02-09
10.	पेयजल संकट निवारण हेतु	10.00	28-02-09
11.	समग्र विकास कार्य	125.00	07-03-09
12.	सरोवर धरोवर योजना	13.50	16-03-09
वर्ष 2009-10			
1.	पार्श्व निधि	31.00	17-06-09
2.	सरोवर-धरोवर योजना	7.28	24-07-09
3.	12वें वित्त आयोग	30.00	06-08-09
4.	मुक्तिधाम	5.00	20-08-09
5.	सार्वजनिक प्रसाधन	18.00	25-08-09
6.	पुष्पवाटिका उद्यान योजना	10.96	08-09-09

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	आई. एच. एस. डी. पी. योजना	195.696	05-10-09
8.	मूलभूत सुविधा	25.00	09-10-09
9.	आपदा प्रबंधन अन्तर्गत 1 नग 3 डी लोडर म िन 1 नग बेक हो लोडर.	17.30	06-11-09
10.	हाट बाजार समृद्धि का आधार	35.00	17-11-09
11.	पेयजल व्यवस्था	10.00	15-03-10
12.	आपदा प्रबंधन	1.90	31-03-10

वर्ष 2010-11 में 25-01-11 तक की स्थिति में

1.	पार्शद निधि	27.00	01-05-10
2.	सार्वजनिक प्रसाधन योजना	18.00	10-06-10
3.	अधोसंरचना विकास कार्य	50.00	07-01-11
4.	नगरीय सेवाओं/सुविधाओं मरम्मत संधारण के लिये	15.03	17-01-11

नगर पंचायत सिमगा

वर्ष 2008-09

1.	समग्र विकास कार्य	3.75	22-07-08
2.	समग्र विकास कार्य	33.75	29-07-08
3.	पार्शद निधि	9.50	14-08-08
4.	विकास यात्रा के समय मान. मुख्यमंत्री जी की घोशणा.	40.00	08-09-08
5.	दि. 29-09-08 बस स्टैण्ड लोकार्पण अवसर पर विकास कार्य हेतु घोशणा.	50.00	01-10-08
6.	समग्र विकास कार्य	37.50	22-10-08
7.	वि ोश घटक पेयजल संकट निवारण हेतु	5.00	26-02-09
8.	समग्र विकास कार्य	37.50	02-03-09

वर्ष 2009-10

1.	12वें वित्त आयोग की अनु ंसानुसार नगरीय निकायों को अनुदान.	10.00	11-06-09
----	--------------------------------------------------------------	-------	----------

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	पार्शद निधि	9.50	17-06-09
3.	वार्डवार मूलभूत विकास कार्य हेतु	25.00	17-06-09
4.	हाट बाजार समृद्धि का आधार	17.40	31-08-09
5.	झु. झो. पेयजल व्यवस्था	9.00	15-02-10
वर्ष 2010-11 में 25-01-11 तक की स्थिति में			
1.	पार्शद निधि	7.50	01-05-10
2.	अधोसंरचनान्तर्गत विकास कार्य	12.50	13-12-10
3.	मरम्मत एवं संधारण हेतु	3.94	17-01-11

परिषद् "सोलह"

[अतारांकित प्र न संख्या 08 (क. 317) के भाग (क) की जानकारी]

अनुबंध किये गये राईस मिलों की जानकारी

क्र. (1)	मिल का नाम (2)	क्र. (1)	मिल का नाम (2)
1.	बंजारी मां राईस मिल	38.	रायगढ़ फूड एंड होटल बिजनेस
2.	साई बाबा राईस मिल	39.	गायत्री राईस मिल
3.	गोपी राईस मिल	40.	पुरुशोत्तम राईस मिल
4.	हनुमान राईस मिल	41.	आर. के. राईस मिल
5.	गौरी भांकर राईस मिल	42.	एल. एन. राईस मिल
6.	मां चंद्रहासिनी राईस मिल, रायगढ़	43.	गोपी ट्रेडर्स
7.	श्रीराम राईस मिल	44.	गणपति राईस मिल
8.	सूर्या राईस प्रोडक्ट	45.	श्री लक्ष्मी राईस मिल
9.	सूर्या राईस मिल प्रा. लिमि.	46.	हरिओम राईस इंडस्ट्रीज
10.	मां दुर्गा राईस मिल	47.	श्री बैद्यनाथ पैडी प्रो.
11.	राघव राईस मिल	48.	मां समले वरी राईस मिल
12.	पार्वती ट्रेडिंग कंपनी	49.	मां लक्ष्मी राईस मिल
13.	श्री तिरुपति राईस मिल	50.	श्री अग्रसेन राईस मिल
14.	गणपति राईस मिल	51.	दुर्गा राईस मिल, सारंगढ़
15.	बसंती राईस मिल	52.	विनायक राईस मिल
16.	गायत्री परबायलिंग यूनिट	53.	जी. आर. परबायलिंग यूनिट
17.	विमल राईस मिल	54.	श्री बालाजी राईस मिल
18.	मां चंद्रहासिनी राईस मिल, सारंगढ़	55.	सावित्री राईस मिल
19.	सीता राईस मिल	56.	सावित्री राईस मिल
20.	हरिओम फुड्स	57.	सूर्या राईस प्रोडक्ट
21.	श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी	58.	जय भवानी राईस मिल
22.	धनलक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी	59.	हरिलक्ष्मी राईस मिल
23.	भारदा राईस मिल	60.	एम. एम. राईस मिल
24.	मीरादातार राईस मिल	61.	एम. एम. राईस मिल
25.	मे. संजय कुमार अग्रवाल	62.	अनुराग ट्रेडर्स
26.	जगदीश राईस मिल	63.	श्री गणेश राईस मिल
27.	मां संतोशी राईस मिल	64.	जयभारत राईस मिल
28.	गजानंद राईस मिल	65.	जय बालाजी ट्रेडर्स
29.	गजानंद राईस मिल	66.	भोभा राईस मिल
30.	बिरमी राईस मिल	67.	दुर्गा राईस मिल
31.	सुमित्रा राईस मिल	68.	भार्मा राईस मिल
32.	भगवती राईस मिल	69.	आकांक्षा राईस मिल
33.	कबीर राईस मिल	70.	अग्रोहा राईस मिल
34.	बसंती राईस मिल	71.	हनुमान राईस मिल
35.	एम. आर. राईस मिल	72.	गोपाल राईस मिल
36.	श्री गौरी भांकर राईस मिल	73.	प्रमोद मिनी राईस मिल
37.	जय भारत राईस मिल		

परिशिष्ट “सत्रह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क. 548) की जानकारी]

जिला जांजगीर-चांपा में स्थित उद्योगों के विरुद्ध वर्ष 2009 एवं 2010 में की गई प्रिकायत के संबंध में जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम	प्रिकायतकर्ता	प्रिकायत प्राप्त	प्रिकायत पर की गई दिनांक कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मे. आर. एस. मिनरल्स, ग्राम-किरारी, तह.-जांजगीर जिला-जांजगीर-चांपा.	श्री राजकुमार श्री जगमोहन एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम-तरौद, बनाहिल किरारी, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	17-02-2009	यह स्टोन क्रॉर उद्योग है. उद्योग से प्रदूशन की प्रिकायत के संबंध में निरीक्षण उपरांत वायु (प्रदूशन निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा ‘31 क’ के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसके तारतम्य में प्रदूशन नियंत्रण संबंधी कार्यवाही गई है.
की				
2.	मे. सिंह मिनरल्स एण्ड एलाइड सर्विसेस, ग्राम बनाहिल, अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा.	श्री राजकुमार श्री जगमोहन एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम-तरौद, बनाहिल किरारी, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	17-02-2009	यह स्टोन क्रॉर उद्योग है. उद्योग से प्रदूशन की प्रिकायत के संबंध में निरीक्षण उपरांत वायु (प्रदूशन निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा ‘31 क’ के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसके तारतम्य में प्रदूशन नियंत्रण संबंधी कार्यवाही गई है.
की				
3.	मे. पुष्पा देवी अग्रवाल क्रॉर उद्योग, ग्राम-तरौद, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	श्री राजकुमार श्री जगमोहन एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम-तरौद, बनाहिल किरारी, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	17-02-2009	यह स्टोन क्रॉर उद्योग है. उद्योग से प्रदूशन की प्रिकायत के संबंध में निरीक्षण उपरांत वायु (प्रदूशन निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा ‘31 क’ के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसके तारतम्य में प्रदूशन नियंत्रण संबंधी कार्यवाही गई है.
की				
4.	मे. जी. आर. एस. माईनिंग (क्रॉर उद्योग), ग्राम-नरियरा, तह.-जांजगीर जिला-जांजगीर-चांपा.	श्री राजकुमार श्री जगमोहन एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम-तरौद, बनाहिल किरारी, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	17-02-2009	यह स्टोन क्रॉर उद्योग है. उद्योग से प्रदूशन की प्रिकायत के संबंध में निरीक्षण उपरांत वायु (प्रदूशन निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा ‘31 क’ के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसके तारतम्य में प्रदूशन नियंत्रण संबंधी कार्यवाही गई है.
की				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	मे. राधा मोहन मिनरल्स एण्ड इण्ड., ग्राम-बनाहिल, पोस्ट-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	श्री राजकुमार श्री जगमोहन एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम-तरौद, बनाहिल किरारी, अकलतरा, जिला-जांजगीर- चांपा.	17-02-2009	यह स्टोन कर उद्योग है. उद्योग से प्रदूषण की विकायत के संबंध में निरीक्षण उपरांत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31 क' के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसके तारतम्य में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यवाही गई है.
की				
6.	मे. छापेरिया मिनरल्स ग्राम- तरौद, तह.-जांजगीर जिला-जांजगीर-चांपा.	श्री राजकुमार श्री जगमोहन एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम-तरौद, बनाहिल किरारी, अकलतरा, जिला-जांजगीर- चांपा.	17-02-2009	यह स्टोन कर उद्योग है. उद्योग से प्रदूषण की विकायत के संबंध में निरीक्षण उपरांत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31 क' के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसके तारतम्य में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यवाही गई है.
की				
7.	मे. महामाया प्रस्तर, ग्राम-बनाहिल, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	श्री राजकुमार श्री जगमोहन एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम-तरौद, बनाहिल किरारी, अकलतरा, जिला-जांजगीर- चांपा.	17-02-2009	यह स्टोन कर उद्योग है. उद्योग से प्रदूषण की विकायत के संबंध में निरीक्षण उपरांत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31 क' के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसके तारतम्य में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यवाही गई है.
की				
8.	मे. मिहिर मिनरल्स, ग्राम-बनाहिल, अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा.	श्री राजकुमार श्री जगमोहन एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम-तरौद, बनाहिल किरारी, अकलतरा, जिला-जांजगीर- चांपा.	17-02-2009	यह स्टोन कर उद्योग है. उद्योग से प्रदूषण की विकायत के संबंध में निरीक्षण उपरांत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31 क' के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसके तारतम्य में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यवाही गई है.
की				
9.	मे. महामाया मिनरल्स ग्राम- तरौद, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	श्री राजकुमार श्री जगमोहन एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम-तरौद, बनाहिल किरारी, अकलतरा, जिला-जांजगीर- चांपा.	17-02-2009	यह स्टोन कर उद्योग है. उद्योग से प्रदूषण की विकायत के संबंध में निरीक्षण उपरांत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31 क' के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसके तारतम्य में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यवाही गई है.
की				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	मे. किरण देवी मिततल क ार उद्योग ग्राम-तरौद, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	श्री राजकुमार श्री जगमोहन एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम-तरौद, बनाहिल किरारी, अकलतरा, जिला-जांजगीर- चांपा.	17-02-2009	यह स्टोन क ार उद्योग है. उद्योग से प्रदूषण की िकायत के संबंध में निरीक्षण उपरांत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31 क' के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसके तारतम्य में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यवाही गई है.
की				
11.	मे. गुरुवाईन स्टोन क ार मु. पो.-देवकिरारी, नरियरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	श्री राजकुमार श्री जगमोहन एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम-तरौद, बनाहिल किरारी, अकलतरा, जिला-जांजगीर- चांपा.	17-02-2009	यह स्टोन क ार उद्योग है. उद्योग से प्रदूषण की िकायत के संबंध में निरीक्षण उपरांत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31 क' के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसके तारतम्य में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यवाही गई है.
की				
12.	मे. बाग्ला एण्ड जाजोदिया कंपनी ग्राम-तरौद, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	श्री राजकुमार श्री जगमोहन एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम-तरौद, बनाहिल किरारी, अकलतरा, जिला-जांजगीर- चांपा.	17-02-2009	यह स्टोन क ार उद्योग है. उद्योग से प्रदूषण की िकायत के संबंध में निरीक्षण उपरांत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31 क' के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसके तारतम्य में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यवाही गई है.
की				
13.	मे. बालाजी एण्ड संस (क ार उद्योग) ग्राम-बनाहिल, अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा.	श्री राजकुमार श्री जगमोहन एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम-तरौद, बनाहिल किरारी, अकलतरा, जिला-जांजगीर- चांपा.	17-02-2009	यह स्टोन क ार उद्योग है. उद्योग से प्रदूषण की िकायत के संबंध में निरीक्षण उपरांत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31 क' के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसके तारतम्य में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यवाही गई है.
की				
14.	मे. गुरुश्री मिनरल्स प्रा. लि. बराद्वार, जिला-जांजगीर-चांपा.	जिला रे ाम अधिकारी, जांजगीर-चांपा	12-02-2009	यह स्टोन क ार उद्योग है. उद्योग से प्रदूषण की िकायत के संबंध में निरीक्षण उपरांत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31 क' के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसके तारतम्य में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यवाही गई है.
की				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	श्री आलोक सराफ स्टोन क्रार, ग्राम-बसंतपुर थाना-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा.	श्रीमती उशा कयप, जनपद सदस्य बिरा, क्षेत्र क्रमांक-14, जनपद पंचायत बम्हनीडीह जिला-जांजगीर-चांपा.	17-02-2009	उपरोक्त के संबंध में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान प्रदूषण की स्थिति पाई गई। उद्योग द्वारा बिना जल वायु सम्मति प्राप्त किये संचालित होने के कारण नोटिस जारी किया गया। उद्योग द्वारा उत्पादन बंद कर, हटा दिया गया है।
16.	मे. प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमि., चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा.	श्री गोविंद राम कुथरिया अध्यक्ष, अग्रवाल सभा सक्ती, जिला-जांजगीर- चांपा.	31-07-2009	उद्योग द्वारा ने इनल हाईवे 200 के किनारे स्थित मुक्तिधाम, सक्ती के पास राखड़ डाले जाने के संबंध में प्राप्ति कायत के परिपेक्ष्य में निरीक्षण कर गड्डे पाटने हेतु डाली गई राखड़ के उपरी सतह पर मिट्टी की परत बिछाने हेतु निर्देशित किया गया। फलस्वरूप उद्योग द्वारा डाली गई राखड़ के ऊपर मिट्टी की परत बिछा दी गई।
17.	मे. प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमि., चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा.	श्री विनोद चावड़ा अधिवक्ता, पदमनाभपुर, दुर्ग से प्राप्त पत्र दिनांक 18-11-2009	09-12-2009	मे. प्रकाश इण्ड. लिमि., चांपा द्वारा पर्यावरण अधिनियम के प्रावधानों उल्लंघन करते हुए अधिक क्षमता की इकाईयां स्थापित कर, कोयले एवं स्पंज आयरन का अवैध उत्पादन एवं विक्रय आदि के संबंध में नििकायत प्राप्त हुई। उपरोक्त नििकायत के परिपेक्ष्य में जांच की गई। उद्योग द्वारा अधिक क्षमता इकाई की स्थापना नहीं की गई है अवैध उत्पादन एवं विक्रय आदि के संबंध में उद्योग को नियमानुसार करने हेतु निर्देशित किया गया।
18.	मे. छापारिया मिनरल्स, तरौद, तह.-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	श्री सौरभ सिंह, मान. विधायक, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	30-04-2010 एवं 22-05-2010	यह स्टोन क्रार उद्योग है। उद्योग से प्रदूषण की नििकायत के संबंध में निरीक्षण किया गया तथा उद्योग को वायु प्रदूषण (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31 क' के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसके पालनार्थ उद्योग द्वारा वाईब्रेट्री स्क्रीन को कवर्ड किया गया तथा कन्वेयर बेल्ट्स एवं क्रसिंग एवं स्क्रीनिंग सेक्शन में जल छिड़काव व्यवस्था स्थापित की गई तथा ने इनल हाईवे 200 की दिशा में बाउंड्री वॉल भी बनाया गया।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	मे. भूशण पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड, ग्राम-कोमो, कवली, तह.-डभरा,, जिला-जांजगीर-चांपा.	श्री तुलसी मनहर, जनपद सदस्य डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	28-05-2010	उद्योग के प्रस्तावित पॉवर प्लांट के विरोध में ग्राम सुराज अभियान 2010 के दौरान िकायत प्राप्त हुई थी. िकायत का निराकरण कर संबंधित को सूचित किया गया.
20.	मे. सैशासैला पावर एण्ड इंजीनियरिंग आसपास लि., ग्राम-सोंठी, जिला-जांजगीर-चांपा.	श्री धनंजय कुमार तिवारी, ग्राम-सोंठी, विकासखण्ड-बम्हनीडीह जिला-जांजगीर-चांपा.	28-06-2010	ग्राम सुराज अभियान 2010 के दौरान प्राप्त िकायत उद्योग के द्वारा खेतों में राखड़ फैलाये जाने तथा भूमि बंजर होने के संबंध में थी. जिसका निराकरण इस कार्यालय द्वारा किया गया तथा निराकरण के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी संबंधित सूचित किया गया.
21.	मे. प्रकाश इण्ड. लि. चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा.	श्री कृष्ण लाल मांझी, ग्राम-बसंतपुर, विकासखण्ड-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा.	28-06-2010	प्राप्त िकायत ग्राम सुराज अभियान 2010 के तहत उद्योग से निकले पदार्थों को हसदेव नदी के जल में प्रवाहित किये जाने के संबंध में थी. उपरोक्त के संबंध में उद्योग को तत्काल अपिाष्ट पदार्थों का हसदेव नदी में निस्सारण बंद करने हेतु एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया. उद्योग
	फलस्वरूप द्वारा िकायत के निराकरण			हेतु आवश्यक कार्यवाही की गई. निराकरण के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी संबंधित को दी गई.
22.	मे. मध्य भारत पेपर लिमि. बिरगहनी चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा.	श्री कृष्ण लाल मांझी, ग्राम-बसंतपुर, विकासखण्ड-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा.	28-06-2010	ग्राम सुराज अभियान के दौरान प्राप्त िकायत में उद्योग द्वारा हसदेव नदी में अपिाष्ट पदार्थों का निस्सारण के संबंध में थी. उपरोक्त के परिपेक्ष्य में उद्योग को पत्र जारी कर किसी भी
	स्थिति			में दूषित जल का निस्सारण हसदेव नदी में नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया. फलस्वरूप उद्योग द्वारा िकायत का निराकरण किया गया. जिसके निराकरण की जानकारी संबंधित को दी गई.
23.	मे. छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पॉवर लि., ग्राम-अमझर, जिला-जांजगीर-चांपा.	श्री जितेन्द्र जायसवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष एन. एस. यू. आई., जिला-जांजगीर-चांपा.	26-07-2010	प्राप्त िकायत उद्योग से उत्पन्न राखड़ का यत्र-तत्र अपवहन किये जाने, भूमिगत जल का उपयोग, भासन को राजस्व की हानि पहुंचाने आदि के संबंध में थी. उद्योग का िकायत के निराकरण के संबंध में निर्देशित किया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नदी	श्री दीपक दुबे, प्रदेश प्रवक्ता— सचिव, रा. यु. का. छ. ग.	23-12-2010 एवं 28-12-2010	प्राप्त शिकायत उद्योग द्वारा हसदेव के किनारे बने कटाव पर राखड़ डाले जाने एवं उस पर मिट्टी नहीं डाले जाने, ई. एस. पी. नहीं चलाये जाने, आसपास गांव के स्कूल, खेल के मैदान गौचर भूमि पर बिना अनुमति राखड़ डालने के संबंध में थी. शिकायत के संबंध में निराकरण किया गया.	

परिशिष्ट “अट्ठारह”
[अतारांकित प्र न संख्या 12 (क. 676) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	जिला	उपार्जित धान की मात्रा टन में
(1)	(2)	(3)
1.	कवर्धा	88213.38
2.	कांकेर	114588.99
3.	कोरबा	51552.19
4.	कोरिया	16190.76
5.	ज पुर	22239.98
6.	जांजगीर	540372.26
7.	दंतेवाड़ा	8700.85
8.	बीजापुर	5685.50
9.	दुर्ग	688091.66
10.	धमतरी	361647.78
11.	बस्तर	82834.12
12.	नारायणपुर	2537.47
13.	बिलासपुर	303204.70
14.	महासमुंद	490942.96
15.	राजनांदगांव	290618.31
16.	रायगढ़	338802.27
17.	रायपुर	968523.28
18.	सरगुजा	98510.33
कुल योग		4473256.78

परिशिष्ट “बीस”

[अतारांकित प्र न संख्या 16 (क. 820) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

जिले का नाम	योजना का नाम	वर्ष 2009-10 में निर्मित आवासों की संख्या	वर्ष 2010-11 में निर्मित आवासों की संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	आवंटित आवास
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अटल आवास	0	0	0	0
	दीनदयाल आवास	439	348	809	737
	ई. डब्ल्यू. एस.	0	595	697	590
बिलासपुर	अटल आवास	0	0	0	0
	दीनदयाल आवास	0	274	290	239
	ई. डब्ल्यू. एस.	0	0	0	0
रायगढ़	अटल आवास	0	0	0	0
	दीनदयाल आवास	0	0	0	0
	ई. डब्ल्यू. एस.	0	143	155	140

परिशिष्ट “इक्कीस”
[अतारांकित प्र न संख्या 18 (क. 890) के भाग (क) की जानकारी]

उपार्जन केन्द्रवार धान खरीदी की जानकारी

क्रमांक	सोसायटी	उपार्जन केन्द्र	मात्रा मे. टन में
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अछोटा	अछोटा	5334.0
2.	अंवरी	अंवरी	6876.0
3.	आमदी	आमदी	8826.1
4.	कुकरेल	माकरदोना	2823.4
5.	कुकरेल	सलौनी	3786.5
6.	कपालफोड़ी	अमलीडीह	1578.6
7.	कपालफोड़ी	कपालफोड़ी	2081.9
8.	करगा	करगा	4066.8
9.	कुरुद	कुरुद	7360.8
10.	करेली	कुंडेल	5877.2
11.	करेली	करेली	5179.1
12.	कोकडी	कोकडी	4459.0
13.	कोडेबोड	कोडेबोड	10768.9
14.	कोसमर्गा	कोसमर्गा	8299.8
15.	खरेंगा	खरेंगा	6141.5
16.	खिसोरा	खिसोरा	8816.6
17.	गट्टासिल्ली	केरेगांव	598.3
18.	गट्टासिल्ली	गट्टासिल्ली	2274.5
19.	गट्टासिल्ली	डोंगरडुला	2362.7
20.	गुदगुदा	सिरसिदा	3579.7
21.	गाडाडीह	गाडाडीह	5613.7
22.	गाडाडीह	मंदरौद	5423.2
23.	गातापार	गातापार	8824.5
24.	घुटकेल	कसपुर	1461.9
25.	घुटकेल	घुटकेल	753.3
26.	चर्गा	चर्गा	9542.4
27.	चिंवरी	चिंवरी	6289.4
28.	छाती	छाती	6068.6
29.	जुगदेही	जुगदेही	10671.0
30.	जामगांव	जामगांव	5575.2
31.	डाही	डाही	4769.5
32.	डोमा	डोमा	11712.2
33.	तरसीवा	कुरा	12632.7
34.	देमार	देमार	6112.9
35.	दरबा	दरबा	6267.5
36.	दर्गा	दर्गा	2118.5
37.	दर्गा	मौरीकला	3714.0
38.	दोनर	दोनर	7907.3

(1)	(2)	(3)	(4)
39.	नगरी	नगरी	5475.4
40.	नगरी	फरसिया	3631.5
41.	बेलरगांव	बेलरगांव	3840.1
42.	बेलरगांव	सेम्हरा	1924.6
43.	बेलरदोना	बेलरदोना	4523.2
44.	बारगरी	अकलाडोंगरी	1117.5
45.	बारगरी	मोंगरागहन	1075.7
46.	बोडरा	बोडरा	4864.1
47.	बोरसी	बोरसी	3525.4
48.	भखारा	भखारा	7418.7
49.	भेंडरी	भेंडरी	9209.8
50.	भांठागांव	भांठागांव	11171.1
51.	भोथली	कंडेल	5481.5
52.	भोथली	भोथली	5344.3
53.	मगरलोड	मगरलोड	7416.0
54.	मडेली	मडेली	6246.3
55.	मेधा	भोथीडीह	6669.9
56.	मेधा	मेधा	5296.3
57.	मोंहदी	मोंहदी	5870.8
58.	रामपुर	रामपुर	7140.0
59.	भांकरदाह	बठैना	2877.1
60.	भांकरदाह	लोहरसी	3623.6
61.	संबलपुर	संबलपुर	6065.3
62.	सेम्हरा	सेम्हरा	6166.4
63.	सांकरा	उमरगांव	2221.6
64.	सांकरा	सांकरा	5201.3
65.	सिंगपुर	मोहेरा	1173.8
66.	सिंगपुर	सिंगपुर	3302.1
67.	सिवनीकला	सिवनीकला	6085.5
68.	सिहावा	घटुला	3680.2
69.	सिहावा	सिहावा	2655.4
70.	सोरम	सोरम	5286.1

परिशिष्ट “बाईस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क. 920) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र में प्रचलित राशनकार्डों की जानकारी

क्र.	विकासखंड का नाम	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना				बीपीएल पीला	अन्त्योदय लाल	अन्नपूर्णा बैगनी	एपीएल सफेद
		केसरिया 35 किलो	स्लेटी कार्ड	केसरिया 10 किलो	निः शर्करा हरा				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	लैलूंगा (हरी)	150	287	33	30	185	64	04	1968
2.	लैलूंगा (ग्रामीण)	1116	8754	278	376	1815	4118	62	12950
3.	तमनार	985	5620	101	84	1587	2990	36	6646
4.	रायगढ़	510	2400	201	71	945	1146	42	3076
योग		2761	17061	613	561	4532	8318	144	24640

प्रपत्र “ब”

ग्रामीण क्षेत्रों तथा 10000 से कम आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु मानदण्ड

1. भासकीय सेवा से संबंधित परिवारों के लिए रुपये 4212/- प्रतिमाह को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्ड हेतु गरीब परिवार की आय का कटआफ आधार माना जावे। यह आधार भासन द्वारा कुल श्रमिक के लिए निर्धारित मानदेय के आधार पर रखा गया है। इससे अधिक मानदेय/वेतन प्राप्त करने वाले अस्थायी भासकीय कर्मचारियों को बी. पी. एल. राशनकार्ड के लिए अपात्र घोषित किया जावे। यह मानदण्ड उन सभी राशनकार्डधारी जो कि भासकीय कर्मचारी नहीं हैं, के लिए लागू नहीं होगा तथा इनकी पात्रता का निर्धारण नीचे दिये गये बिन्दु क्रमांक (2) से लेकर (6) में उल्लेखित मानदण्डों के आधार पर किया जावे।
2. 10,000 की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाली नगर पंचायत क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में 2500 वर्गफीट से अधिक के क्षेत्रफल में निर्मित स्वयं के पक्के मकान के मानदण्ड को अपात्रता का आधार बनाया जाये।
3. 10,000 की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाली नगर पंचायत क्षेत्र में 2500 वर्गफीट से अधिक आवासीय भूमि को अपात्रता का आधार बनाया जावे। ग्रामीण क्षेत्रों (अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर) में 5 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल की कृषि भूमि को अपात्रता का आधार बनाया जावे। अनुसूचित क्षेत्रों में कृषि भूमि के स्वामित्व का मानदण्ड अपात्रता का आधार नहीं होगा।
4. निर्धारित सीमा से अधिक आवासीय भूमि अथवा पक्के मकान हितग्राही के स्वयं अथवा परिवार (पत्नि एवं बच्चों) के नाम पर होने पर उसे अपात्र माना जाये।
5. हितग्राही के स्वयं के खाते में बैंक/डाकघर में एक लाख रुपये से अधिक राशि जमा पाये जाने पर उसे अपात्र माना जावे।
6. मोटर चलित चार पहिया एवं तिपहिया वाहन, जैसे-ट्रेक्टर, ट्रक, बस, कार, आटो स्वयं अथवा परिवार के अन्य सदस्यों (पत्नि एवं बच्चों) के नाम पर होने पर हितग्राही को अपात्र माना जावे। हितग्राही के परिवार में एक से अधिक मोटर चलित दुपहिया वाहन जैसे-मोटर साईकिल, स्कूटर आदि होने पर हितग्राही को अपात्र माना जावे।
7. वर्तमान में कूलर, पंखे, मोबाईल, टी. वी., फ्रिज आदि दैनिक आवश्यक वस्तुएं हो गई है। अतः हितग्राही के मकान में इन वस्तुओं की उपलब्धता मात्र से उन्हें अपात्र घोषित नहीं किया जावे।

10 हजार से अधिक आबादी के नगरीय निकायों के मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु मानदण्ड

1. भासकीय सेवा से संबंधित परिवारों के लिए रुपये 3367/- प्रतिमाह को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्ड हेतु गरीब परिवार की आय का कटआफ आधार माना जावे। इससे अधिक मानदेय/वेतन प्राप्त करने वाले अस्थायी भासकीय कर्मचारियों को बी. पी. एल. राशनकार्ड के लिए अपात्र घोषित किया जावे।
2. नगर निगम क्षेत्रों में 1000 वर्गफीट से अधिक, नगर पालिका क्षेत्र में 1250 वर्गफीट से अधिक और नगर पंचायत क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक के क्षेत्रफल में निर्मित स्वयं के पक्के मकान के मानदण्ड को अपात्रता का आधार बनाया जाये।
3. नगर निगम क्षेत्रों में 1500 वर्गफीट से अधिक, नगर पालिका क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक और नगर पंचायत क्षेत्र में 2500 वर्गफीट से अधिक आवासीय भूमि स्वयं अथवा परिवार के अन्य सदस्यों (पत्नि एवं बच्चों) के नाम पर होने पर अपात्र माना जावे।
4. हितग्राही के स्वयं के खाते में बैंक/डाकघर में एक लाख रुपये से अधिक राशि जमा पाये जाने पर उसे अपात्र माना जावे।
5. मोटर चलित चार पहिया वाहन, जैसे-ट्रेक्टर, ट्रक, बस, कार, स्वयं के नाम पर होने पर हितग्राही को अपात्र माना जावे। हितग्राही के परिवार में एक से अधिक मोटर चलित चारपहिया, तिपहिया एवं दुपहिया वाहन जैसे-मोटर साईकिल, स्कूटर आदि

परिशिष्ट “तेईस”
[अतारंकित प्र न संख्या 21 (क. 939) की जानकारी]

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित भासकीय उचित मूल्य दुकानों की
जानकारी

क्रमांक (1)	विकासखंड का नाम (2)	उचित मूल्य दुकान की आई डी (3)	ग्राम पंचायत का नाम (4)	संचालनकर्ता महिला स्व सहायता समूह का नाम (5)
1.	छुरिया	422003021	तेलीनबांधा	रामायण मां बम्ले वरी म. स्व सहा. समूह, तेलीनबांधा.
2.	छुरिया	422003022	चौदो	भारदा मां स्व सहायता समूह, चौदो.
3.	छुरिया	422003023	ठिकारीटोला	मां बम्ले वरी दुर्गा स्व. सहा. समूह, ठिकारीटोला.
4.	छुरिया	422003024	पुरामटोला	गंगा स्व. सहा. समूह पुरामटोला
5.	छुरिया	422003025	बैरागीभेड़ी	मां बम्ले वरी गायत्री स्व सहायता समूह.
6.	छुरिया	422003026	पेण्डीडीह	मां बम्ले वरी महिला स्व. सहा. समूह, पेण्डीडीह.
7.	छुरिया	422003027	धरमूटोला	मां बम्ले वरी ज्ञान ज्योती स्व. सहा. समूह.
8.	छुरिया	422003028	बेलरगोदी	मां भवानी स्व सहायता समूह, बेलरगोदी.
9.	छुरिया	422003029	कोलिहालमती	मां बम्ले वरी महिला मंडल स्व. सहा. समूह, कोलिहालमती.
10.	छुरिया	422003030	चिरचारी खुर्द	नव जागृती स्व सहायता समूह, चिरचारी खुर्द.
11.	छुरिया	422003031	नांदिया-(कु.)	अन्न. मां बम्ले. स्व स. समूह, कुल्हाड़ी नांदिया कु.
12.	छुरिया	422003032	भंडारीभरदा	जय संतोशी स्व स. समूह, मुचेदण्ड भंडारीभरदा.
13.	छुरिया	422003033	साल्हे	अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह, साल्हे.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	छुरिया	422003034	जोंधरा	मां बम्ले वरी दुर्गा स्व सहा. समूह, जोंधरा
15.	छुरिया	422003035	बननवागांव	ज्योति कला स्व सहायता समूह, बननवागांव.
16.	छुरिया	422003036	सागर	अन्नपूर्णा महिला मंडल, सागर
17.	छुरिया	422003037	घोटिया	भारदा महिला मंडल, घोटिया
18.	छुरिया	422003038	भर्रीटोला (ब)	मां बम्ले वरी जागृती स्व सहा. समूह भर्रीटोला (अ)
19.	छुरिया	422003039	गोपालपुर	नव दुर्गा स्व सहायता समूह, भेजराटोला गोपालपुर.
20.	छुरिया	422003040	जैतगुंडरा	मां बम्ले वरी महिला समूह / मोरकुटुब, जैतगुंडरा.
21.	छुरिया	422003041	नादियाखुर्द (छू.)	मां बम्ले. दुर्गा स्व. स. समूह, बिजेपार नादियाखुर्द.
22.	छुरिया	422003042	के गोटोला	नव जागृति मानस कहिला स्व. स. के गोटोला.
23.	छुरिया	422003043	फाफामार	कल्याणी मां बम्ले वारी स्व. सहा. लुलीकसा फाफामार.
24.	छुरिया	422003044	भकुर्रा	जय साक्षर स्व सहायता समूह भकुर्रा.
25.	छुरिया	422003045	पठानढोड़गी	महारानी लक्ष्मी बाई स्व. सहायता समूह, पठानढोड़गी.
26.	छुरिया	422003046	अछोली	मां बम्ले वरी महिला गंगा बैंक अछोली.
27.	छुरिया	422003047	गुण्डरदेही	नव दुर्गा स्व सहायता समूह, गुण्डरदेही.
28.	छुरिया	422003048	घोरतालाब	सहिला स्व सहायता समूह, घोरतालाब.
29.	छुरिया	422003061	पांगरीखुर्द	अटल महिला स्व सहायता समूह, पांगरीखुर्द.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	छुरिया	422003075	िकाारीमहका	जय भारदा स्व सहायता समूह, िकाारीमहका.
31.	छुरिया	422003078	भर्रीटोला (अ)	भवानी महिला स्व सहायता समूह, भर्रीटोला (ब)
32..	चौकी	422007011	थुहाडबरी	दुर्गा मां बम्ले वरी समूह, थुहाडबरी
33.	चौकी	422007015	तिरपेमेटा	पंच गील स्व सहायता समूह, तिरपेमेटा.
34.	चौकी	422007016	डोंगरगांव	रमाबाई मां स्व सहायता समूह डोंगरगांव.
35.	चौकी	422007017	सेम्हरबांधा	सरस्वती मां बम्ले वरी स्व सहायता स. सेम्हरबांधा
36.	चौकी	422007019	हालमकोड़ो	सरस्वती मां बम्ले वरी स्व सहायता समूह हालमकोड़ो.
37.	चौकी	422007020	खड़खड़ी	सरस्वती मां बम्ले वरी स्व सहायता समूह खड़खड़ी.
38.	चौकी	422007024	गुण्डरदेही	नव दुर्गा मां बम्ले वरी बैंक. गुण्डरदेही.
39.	चौकी	422007027	जोरातराई	प्रिया मां बम्ले वरी समूह, थैलीटोला जोरातराई.
40.	चौकी	422007028	हितागुटा	लक्ष्मी मां बम्ले वरी समूह, हितागुटा
41.	चौकी	422007029	ब्राम्हणभेड़ी	लक्ष्मी महिला मंडल समूह, ब्राम्हणभेड़ी
42.	चौकी	422007031	केकतीटोला	न्यू महिला मंडल समूह केकतीटोला

परिष्कृत "चौबीस"

[अतारांकित प्र न संख्या 23 (क. 985) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

जांजगीर-चांपा जिले में समर्थन मूल्य के अंतर्गत धान खरीदी एवं राप्ति की जानकारी

दिनांक 01-11-10 से 31-01-11 तक (मात्रा किं. में राप्ति लाखों में)

क्र.	भाखा का नाम	खरीदी केन्द्र का नाम	कुल प्राप्त धान किं.टल में				
			मोटा	पतला	स्वर्णा	योग	राप्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	जांजगीर	सरखों	14992.40	0.00	25151.60	40144.00	401.44
2.		महंत	19066.80	0.00	16079.20	35146.00	351.46
3.		मनुंद	15064.80	0.00	9602.40	24667.20	246.67
4.		सिवनी	22870.40	0.00	15814.80	38685.20	386.85
5.		धुरकोट	22909.60	0.00	15258.40	38168.00	381.68
6.		गौध	20366.40	0.00	6740.40	27106.80	271.07
7.		खोखरा	13488.80	0.00	22332.00	35820.80	358.21
8.		जांजगीर	46697.20	0.00	19150.40	65847.60	658.48
9.		पहरिया	14133.60	0.00	20107.00	34240.60	342.41
10.		बोडसरा	4053.60	0.00	17279.60	21333.20	213.33
11.		बनारी	5653.20	0.00	11836.80	17490.00	174.90
12.		कुटरा	37034.80	0.00	23893.20	60928.00	609.28
13.		अमोदा	27527.20	0.00	17465.20	44992.40	449.92
14.		भैंसदा	5345.60	0.00	6158.40	11504.00	115.04
योग			269204.40	0.00	226869.40	496073.80	4960.74
15.	नवागढ़	सलखन	17675.20	0.00	18599.60	36274.80	362.75
16.		तुलसी	8101.40	0.00	22135.00	30236.40	302.36
17.		किरित	4854.40	0.00	16263.20	21117.60	211.18
18.		सेमरा	15576.00	0.00	33912.40	49448.40	494.88
19.		सिउड़	16478.80	0.00	16081.60	32560.40	325.60
20.		धारासीव	656.60	0.00	4693.60	5350.20	53.50
21.		नवागढ़	13058.40	0.00	21251.20	34309.60	343.10
22.		बरगांव	3658.00	0.00	10853.60	14511.60	145.12
योग			80058.80	0.00	143790.20	223849.00	2238.49
23.	विहरीनारायण	तनौद	4433.20	0.00	47158.00	51591.20	515.91
24.		केरा	1848.40	0.00	41990.60	43839.00	438.39
25.		मिसदा	10601.20	0.00	24837.00	35438.20	354.38
26.		लोहर्सी	7555.60	0.00	59138.00	66693.60	666.94
27.		विहरीनारायण	14953.60	0.00	63118.40	78072.00	780.72
28.		गोधना	1720.40	0.00	51436.90	53157.30	531.57
योग			41112.40	0.00	287678.90	328791.30	3287.91

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29.	पामगढ़	पकरिया	10464.40	0.00	16104.40	26568.80	265.69
30.		जेवरा	5316.80	0.00	26827.60	32144.40	321.44
31.		भिलौनी	3494.40	0.00	49027.60	52522.00	525.22
32.		मेउ	2818.80	0.00	40737.20	43556.00	435.56
33.		राहौद	5454.80	0.00	26666.80	32121.60	321.22
34.		मेहदी	9154.00	0.00	30197.00	39351.00	393.51
35.		कोसला	3905.20	0.00	37538.00	41443.20	414.43
36.		ससहा	1308.80	37.60	28627.20	29973.60	299.75
37.		कोसा	2102.80	0.00	9256.80	11359.60	113.60
38.		रसौटा	1350.40	0.00	49451.20	50801.60	508.02
39.		भैसो	12664.00	0.00	16512.80	29176.80	291.77
40.		लगरा	5927.60	0.00	22234.40	28162.00	281.62
41.		कोडाभाट	3445.60	0.00	27826.80	31272.40	312.72
42.		मुलमुला	4808.00	0.00	17318.00	22126.00	221.26
43.		पामगढ़	6376.60	0.00	30873.80	37250.40	372.50
योग			78592.20	37.60	429199.60	507829.40	5078.31
44.	अकलतरा	कोटमी	23556.80	0.00	2752.00	26308.80	263.09
45.		सांकर	11150.00	0.00	12770.40	23920.40	239.20
46.		अकलतरी	27873.20	0.00	5492.60	33365.80	333.66
47.		करूमहू	12327.20	0.00	16884.80	29212.00	292.12
48.		किरारी	18182.80	0.00	17014.40	35197.20	351.97
49.		कोटगढ़	19906.80	0.00	12311.60	32218.40	322.18
50.		पोड़ी	25598.40	0.00	6743.60	32342.00	323.42
51.		तरौद	9510.40	0.00	3844.80	13355.20	133.55
52.		अमोरा	3690.80	0.00	10863.60	14554.40	145.54
53.		अकलतरा	19986.00	0.00	8676.40	2866.40	286.62
54.		नरियरा	10641.20	0.00	12282.40	22923.60	229.24
55.		कापन	14001.20	0.00	8458.20	22459.40	224.59
56.		बरगवां	13128.20	0.00	3237.40	16365.60	163.66
57.		तिलई	19407.80	0.00	21668.60	41076.40	410.76
58.		चोरभट्टी	24281.00	0.00	17209.20	41490.20	414.90
योग			253241.80	0.00	160210.00	413451.80	4134.52
59.	बलौदा	खैजा	3494.00	0.00	13936.00	23370.00	233.70
60.		खिसोरा	5267.60	0.00	10491.40	15759.00	157.59
61.		बक्सरा	14182.40	0.00	13245.60	27428.00	274.28
62.		कोरबी	12941.20	0.00	8972.00	21913.20	219.13
63.		बलौदा	10540.60	0.00	4457.60	14998.20	149.98
64.		महुदा	12124.80	0.00	6524.40	18649.20	186.49
65.		जर्वे	6934.80	0.00	7137.60	14072.40	140.72
66.		जावलपुर	5440.00	0.00	6006.80	11446.80	114.47
67.		भैसतरा	20068.80	0.00	13166.80	33235.60	332.36
योग			96934.20	0.00	83938.20	180872.40	1808.72

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
68.	चाम्पा	पिसौद	18084.60	0.00	18310.40	36395.00	363.95
69.		सिवनी	868.00	0.00	20356.40	21224.40	212.24
70.		सोटी	586.40	0.00	24446.80	25033.20	250.33
71.		चोरिया	11319.80	0.00	15982.60	27302.40	273.02
72.		चाम्पा	8625.60	0.00	15619.60	24245.20	242.45
73.		कुम्हारीकला	2691.20	0.00	4010.80	6702.00	67.02
74.		अमरूवा	10473.20	0.00	3801.20	14274.40	142.74
75.		दारंग	2228.00	0.00	10944.00	13172.00	131.72
76.		सारागांव	7096.00	0.00	17810.80	24906.80	249.07
77.		कमरीद	2942.00	0.00	15397.20	18339.20	183.39
78.		कोसमंदा	6102.40	0.00	24613.20	30715.60	307.16
79.		मढ़वा	3737.20	0.00	12073.60	15810.80	158.11
80.		करनौद	973.20	0.00	37004.00	37977.20	379.77
81.		लखाली	2170.00	0.00	18264.40	20434.40	204.34
82.		पोड़ी इंकर	1254.40	0.00	22490.40	23744.80	237.45
83.		बम्हनीनडीह	3071.60	0.00	12171.60	15243.20	152.43
84.		अफरीद	481.60	0.00	17294.20	17775.80	177.76
85.		झर्गा	5120.20	0.00	12898.80	18019.00	180.19
योग			87825.40	0.00	303490.00	391315.40	3913.15
86.	बाराद्वार	सरहर	17730.40	29.20	21218.60	38978.20	389.79
87.		डुमरपारा	4534.80	0.00	15475.20	20010.00	200.10
88.		लवसरा	7032.80	0.00	19510.40	26543.20	265.43
89.		गिधौरी	15141.20	0.00	4098.80	19240.00	192.40
90.		बाराद्वार	30429.20	0.00	17208.40	47637.60	476.38
91.		कढ़ारी	19926.80	410.40	2742.40	23079.60	230.92
92.		ठठारी	8901.20	0.00	23748.00	32649.20	326.49
93.		भोथिया	17513.20	0.00	19959.60	37472.80	374.73
94.		डोंगिया	14413.00	360.40	17780.80	32554.20	325.65
95.		दर्राभाठा	22297.00	0.00	27717.40	50014.40	500.14
योग			157919.60	800.00	169459.60	328179.20	3282.03
96.	जैजैपुर	आमगांव	12401.60	0.00	37356.80	49758.40	497.58
97.		जैजैपुर	4397.60	0.00	24554.00	28951.60	289.52
98.		तालदेवरी	2885.60	0.00	30359.80	33245.40	332.45
99.		ओडेकेरा	5640.80	0.00	17940.80	23581.60	235.82
100.		तुशार	35916.80	0.00	12994.00	48910.80	489.11
101.		नंदेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102.		देवरघटा	8764.20	0.00	14434.00	23198.20	231.98
103.		घिवरा	768.80	0.00	17048.40	17817.20	178.17
104.		किकिरदा	1034.00	0.00	11086.80	12120.80	121.21
105.		मुक्ता	4151.60	0.00	25106.60	29258.20	292.58
106.		सेंदरी	398.80	0.00	15001.20	15400.00	154.00
107.		बिर्गा	4038.80	0.00	45140.80	49179.60	491.80

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
108..		हसौद	7389.20	0.00	39648.40	47037.60	470.38
109.		खजुरानी	18774.40	0.00	7318.40	26092.80	260.93
110.		भोथीडीह	17936.40	0.00	6270.40	24206.80	242.07
111.		कैथा	2017.60	0.00	25593.80	27611.40	276.11
112.		कंचदा	29929.20	0.00	4142.80	34072.00	340.72
योग			156445.40	0.00	333997.00	490442.40	4904.42
113.	मालखरौदा	पिहरीद	32129.60	0.00	20724.80	52854.40	528.54
114.		पोता	24448.00	0.00	38883.60	63331.60	635.32
115.		सुलौनी	12700.80	0.00	8638.80	21339.60	213.40
116.		चरौदा	41786.00	0.00	20942.40	62728.40	627.28
117.		सिंघरा	16992.80	0.00	29596.40	46589.20	465.89
118.		नरियरा	25653.60	0.00	33596.40	59250.00	592.50
119.		मालखरौदा	35891.20	0.00	11549.20	47440.40	474.40
120.		छपोरा	37229.20	0.00	6482.40	43711.60	437.12
121.		आमनदुला	22253.40	0.00	5533.20	27786.60	277.87
122.		भठौरा	16534.60	0.00	6288.20	22822.80	228.23
123.		घोघरी	22850.40	0.00	5408.00	28258.40	282.58
124.		बड़ेसीपत	20953.60	0.00	13755.60	34709.20	347.09
125.		पिरदा	9984.40	0.00	976.80	10961.20	109.61
योग			319407.60	0.00	202375.80	521783.40	5217.83
126.	सक्ती	सकरेली	25406.40	0.00	6603.20	32009.60	320.10
127.		डोडकी	20937.60	0.00	10887.60	31825.20	318.25
128.		सोठी	28819.60	0.00	13631.20	42450.80	424.51
129.		किरारी	37195.20	0.00	2294.40	39479.60	394.90
130.		पोरथा	17348.20	0.00	1810.40	19158.60	191.59
131.		असौदा	21741.60	0.00	3225.60	24967.20	249.67
132.		झालरौदा	31145.40	0.00	9548.40	40693.80	406.94
133.		रायपुरा	17067.80	0.00	14620.60	31688.40	316.88
134.		अड़भार	26208.00	626.00	40977.20	67811.20	678.30
135.		बरपाली	13690.80	0.00	3275.60	16966.40	169.66
136.		नगरदा	11172.00	0.00	10894.40	22066.40	220.66
137.		पतेरापाली	53806.00	0.00	8572.00	62378.00	623.78
138.		रंगजा	14568.00	0.00	36891.20	51459.20	514.59
139.		जर्वे	18916.00	705.60	9804.40	29426.00	294.47
140.		सकर्रा	32856.80	0.00	16085.60	48942.40	489.42
141.		मोहंदीकला	16568.80	0.00	14033.20	30602.00	306.02
142.		सक्ती	10309.20	0.00	8293.80	18603.00	186.03
योग			397757.40	1331.60	211448.80	610537.80	6105.78
143.	डभरा	सिरियागढ़	26661.60	0.00	8660.00	35321.60	353.22
144.		देवरघटा	38462.40	0.00	1063.60	39526.00	395.26
145.		फरसवानी	29627.60	0.00	12540.00	42167.60	421.68

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
146..	डभरा	बघौद	30292.80	0.00	17480.40	47773.20	477.73
147.		सपोस	65793.20	0.00	6720.00	72513.20	725.13
148.		अमलडीहा	21015.20	0.00	20250.80	41266.00	412.66
149.		चन्द्रपुर	20807.60	0.00	11506.40	32314.00	323.14
150.		डभरा	43785.20	0.00	3566.80	47352.00	473.52
151.		धूरकोट	35381.10	0.00	6812.20	42193.30	421.93
152.		किरारी	38460.40	0.00	13191.20	51651.60	516.52
153.		कोटमी	29723.20	0.00	10384.40	40107.60	401.08
154.		बड़ेकटेकोनी	43096.80	0.00	4595.20	47692.00	476.92
155.		कुटीडीह	38582.60	0.00	7076.40	45659.00	456.59
156.		फगुराम	42834.00	0.00	5858.00	48692.00	486.92
योग			504523.70	0.00	129705.40	634229.10	6342.29
कुल योग			2443022.90	2169.20	2682162.90	5127355.00	51274.20

परिशिष्ट “पच्चीस ”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1011) के भाग (ख) की जानकारी]

शासन के द्वारा सीधे नगरीय निकायों के खाते में भेजी गयी चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि का विवरण

वर्ष 2009-10

सरल क्रमांक (1)	विवरण (2)	राशि लाख में (3)
1.	नियमित मासिक चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान	10124.23
2.	अधोसंरचना विकास	19238.00
3.	राज्य शहरी विकास अभिकरण की विकास योजनाएं	3161.00
योग		32523.23

वर्ष 2010-11

(10 फरवरी 2011 तक)

सरल क्रमांक (1)	विवरण (2)	राशि लाख में (3)
1.	नियमित मासिक चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान	8482.26
2.	अधोसंरचना विकास	18247.24
3.	राज्य शहरी विकास अभिकरण की विकास योजनाएं	3155.16
योग		29884.66

परिशिष्ट “छब्बीस ”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 1012) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

जिलेवार बीपीएल एवं अन्त्योदय योजना राशनकार्डों की जानकारी

(1 जनवरी 2010 की स्थिति में)

क्रमांक	जिला	अन्त्योदय योजना राशनकार्ड	बी. पी. एल. राशनकार्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कवर्धा	24208	93419
2.	कांकेर	20675	82999
3.	कोरबा	26918	125512
4.	कोरिया	19330	65288
5.	जशपुर	27180	74334
6.	जांजगीर	38499	181141
7.	दंतेवाड़ा	23969	67086
8.	दुर्ग	76449	321461
9.	धमतरी	17471	79637
10.	नारायणपुर	9346	10120
11.	बस्तर	51388	165774
12.	बिलासपुर	76119	299106
13.	बीजापुर	11093	33827
14.	महासमुन्द	30362	133376
15.	राजनांदगांव	33372	145358
16.	रायगढ़	50160	149307
17.	रायपुर	71624	402144
18.	सरगुजा	81630	273778

प्रपत्र "ब"

जिलेवार निरस्त किये गये राशनकार्डों की जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	10 हजार से अधिक आबादी वाले नगरों के गरीबी रेखा के राशनकार्डों के सत्यापन उपरांत निरस्त किये गये राशनकार्डों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	कवर्धा	2788
2.	कांकेर	1218
3.	कोरबा	5341
4.	कोरिया	3929
5.	जशपुर	1917
6.	जांजगीर	1212
7.	दंतेवाड़ा	1913
8.	दुर्ग	31957
9.	धमतरी	1486
10.	नारायणपुर	1113
11.	बस्तर	7021
12.	बिलासपुर	14513
13.	बीजापुर	0
14.	महासमुन्द	4307
15.	राजनांदगांव	12677
16.	रायगढ़	1359
17.	रायपुर	46758
18.	सरसुजा	4873

परिशिष्ट “सत्ताईस ”
[अतारंकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 1025) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

परिवहन चेक पोस्ट (बेरियर) की जानकारी

(1) जांच चौकी

क्रमांक	परिवहन चेकपोस्ट (बेरियर) का नाम	जिले का नाम जहां स्थिति है	राज्य की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पाटेकोहरा	राजनांदागांव	छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र
2.	छोटा मानपुर	राजनांदागांव	छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश
3.	मानपुर	राजनांदागांव	छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र
4.	चिल्फी	कबीरधाम	छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश
5.	खम्हारपाली	महासमुंद	छत्तीसगढ़-उड़ीसा
6.	बागबाहरा	महासमुंद	छत्तीसगढ़-उड़ीसा
7.	केंवची	बिलासपुर	छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश
8.	धनवार (वाड्रफनगर)	अंबिकापुर (सरगुजा)	छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश
9.	रामानुजगंज	अंबिकापुर (सरगुजा)	छत्तीसगढ़-झारखण्ड
10.	घुटरीटोला	कोरिया	छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश
11.	चांटी	कोरिया	छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश
12.	रेंगारपाली	रायगढ़	छत्तीसगढ़-उड़ीसा
13.	शंख	जशपुर नगर	छत्तीसगढ़-झारखण्ड
14.	कोन्टा	दंन्तेवाडा	छत्तीसगढ़-आन्ध्र-प्रदेश
15.	धनपूंजी	जगदलपुर	छत्तीसगढ़-उड़ीसा

(2) उप जांच चौकी-

1. लवाकेरा उप जांच चौकी, (परिवहन चेकपोस्ट शंख के अधीन संचालित होता है).
2. कंटगपाली (बरमकेला) उप जांच चौकी, (परिवहन चेकपोस्ट रेंगारपाली के अधीन संचालित होता है).

प्रपत्र “ब”

चेक पोस्ट (बेरियर) द्वारा वर्षवार निर्धारित भार क्षमता से अधिक क्षमता की वाहनों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

क्रमांक	वर्ष	चालान किये गये वाहनों की संख्या	वसूल किया गया जुर्माना (शमन-शुल्क) रुपयों में
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2008-2009	7,842	2,62,22,600=00
2.	2009-2010	9,770	3,66,57,250=00
3.	2010-2011 (अप्रैल-2010 से जनवरी-2011 तक).	10,227	3,87,69,300=00

परिशिष्ट “अट्ठाईस ”
[अतारंकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 1026) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

रायपुर जिले के अंतर्गत विकासखण्डवार पंजीकृत बुनकर सहकारी समितियां

क्र.	विकासखण्ड	पंजीकृत बुनकर सहकारी समिति की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	धरसीवा	05
2.	सिमगा	01
3.	तिल्दा	01
4.	कसडोल	03
5.	बिलाईगढ़	02
6.	अभनपुर	02
7.	गरियाबंद	01
8.	मैनपुर	02
9.	देवभोग	08
योग		25

प्रपत्र "ब"

बुनकर सहकारी समितियों को स्वीकृत अनुदान राशि

(वर्ष 2008-09, 09-10 एवं 10-11)

क्र. (1)	वर्ष (2)	क्र. (3)	नाम समिति (4)	स्वीकृत अनुदान (5)
1.	2008-09	1.	संतोषी बुनकर स. स. म. कुवरगढ़	32435
		2.	बजरंग बुनकर समिति म. पेंडावन	9973
		3.	बुनकर समिति म. गरियाबंद	344766
		4.	छत्तीसगढ़ बुनकर समिति म. रायपुर	101589
		5.	महेश्वरी बुनकर समिति म. गिरसूल	37140
		6.	गणेश बुनकर समिति म. सीनापाली	37140
		7.	देवांगन बुनकर समिति म. केसला	12500
		8.	महोदव बुनकर समिति म. सिमगा	12500
		9.	नेहरू बुनकर समिति म. धौराकोट	24640
		10.	जय दुर्गा बुनकर समिति म. पारागांव	12500
		11.	महालक्ष्मी बुनकर समिति म. सारागांव	12500
		12.	गांधी बुनकर समिति म. खलियाभाठा	37140
		13.	चम्पेश्वर बुनकर समिति म. मंदलौर	37140
		14.	जय महालक्ष्मी बुनकर समिति म. मैनपुर	342100
योग				1054063
2.	2009-10	1.	चित्रगुप्त बुनकर समिति म. मुंगझर	37140
		2.	गांधी बुनकर समिति म. खलियाभाठा	37140
		3.	महेश्वरी बुनकर समिति म. गिरसूल	37140
		4.	गणेश बुनकर समिति म. सीनापाली	37140
		5.	जय दुर्गा बुनकर समिति म. पारागांव	12500
		6.	महामाया बुनकर समिति म. टुण्डरा	12500
		7.	चम्पेश्वर बुनकर समिति म. मंदलौर	12500
योग				186060
3.	2010-11	1.	छत्तीसगढ़ बुनकर समिति म. रायपुर	62929
		2.	बुनकर समिति म. गरियाबंद	4363
		3.	बजरंग बुनकर समिति म. पेंडावन	24040
		4.	छत्तीसगढ़ अपेक्स रायपुर	13460
		5.	महावीर बुनकर समिति म. कोसमकानी	35000
		6.	भवानी बुनकर समिति म. कुम्हडईकला	60640
		7.	गणेश बुनकर समिति म. सीनापाली	24640
		8.	गांधी बुनकर समिति म. खलियाभाठा	74800
		9.	महेश्वरी बुनकर समिति म. गिरसूल	30000
		10.	जय दुर्गा बुनकर समिति म. पारागांव	12500
		11.	नेहरू बुनकर समिति म. धौराकोट	24640
		12.	चित्रगुप्त बुनकर समिति म. मुंगझर	84800
योग				451812